लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
On 18-9-92
Parliament Library

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक है / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, गुरुवार, दिसम्बर 15, 1977/अग्रहायण 24, 1899 (शक)

No. 22. Thursday, December 15, 1977/Agrahayana 24, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—12
तारांकित प्रश्न संख्या 426, 429, 430, 432, 434 और 435	*Starred Questions Nos. 426, 429, 430, 432, 434 and 435	12—108
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 427, 428, 431, 433 और 436 से 445	Starred Questions Nos. 427, 428, 431, 433 and 436 to 445	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3997 से 4094 और 4096 से 4166	Unstarred Questions Nos. 3997 to 4094 and 4096 to 4166	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . .	109
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	109
पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक	Port Laws (Amendment) Bill	109
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	As Passed by Rajya Sabha	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	109—113
नेशनल हेराल्ड के प्रबन्धकों द्वारा पत्र के दिल्ली संस्करण को बन्द करने का कथित निर्णय	Reported decision of management to close down National Herald, Delhi	109
श्री कृष्ण कान्त	Shri Krishan Kant	109
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L.K. Advani . .	110
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	110
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	111
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra .	112
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	112

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	113
19वां और 28वां प्रतिवेदन	Nineteenth & Twenty-eighth Reports	113
समितियों के लिये निर्वाचन	Election to Committees . . .	113—114
(एक) राजघाट समाधि समिति	(i) Rajghat Samadhi Committee	113
(दो) पशु कल्याण बोर्ड	(ii) Animal Welfare Board	114
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	114
(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक	(i) Merchant Shipping (Amendment) Bill	114
(दो) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक	(ii) Child Marriage Restraint (Amendment) Bill . . .	114
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377 . . .	115—117
(एक) नागपुर द्वारा कोल हेंडलिंग प्लांट की खरीद	(i) Purchase of Coal Handling Plants by Nagpur . . .	115
(दो) कलकत्ता की छात्राओं के साथ रेल कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार	(ii) Maltreatment of Girl students from Calcutta by Railway Employees	115
(तीन) आन्ध्र प्रदेश में तूफान-पीड़ितों के लिये धन तथा राहत सामग्री का वितरण	(iii) Distribution of funds and relief materials to victims of cyclone in Andhra Pradesh . . .	116
(चार) सीमेन्ट के उत्पादन में गिरावट	(iv) Shortfall in production of Cement	117
भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे के बारे में हुए समझौते के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Agreement between India and Bangladesh for sharing Ganga Waters at Farakka . . .	117—131
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	117
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	119
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	120
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M.S. Sanjeevi Rao	121
श्री कृष्ण कान्त	Shri Krishan Kant	123
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu .	124
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt .	124
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	125
श्री कंवल लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	126
श्री पी० के० कोडियन	Shri P.K. Kodiyan .	126
श्री ए० बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor .	127
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	128
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirandranath Basu	128
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	129

लोक सभा
LOK SABHA

गुरूवार, दिसम्बर 15, 1977/ अग्रहायण 24, 1899 (शक)
Thursday, December 15, 1977, Agrahayana 24, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से आय

*426. **श्री बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से पहले 6 महीनों में और 1 अप्रैल, 1977 से बाद के 6 महीनों की अवधि में इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से सरकार ने कितनी धनराशि एकत्र की है ;

(ग) क्या यह धनराशि अपर्याप्त है और धीरे-धीरे कम होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) 15-11-77 को देश में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या लगभग 6900 थी।

(ख) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों से अक्तूबर, 1976 से मार्च 1977 तक की अवधि के दौरान 50.47 लाख रु० और अप्रल, 1977 से सितम्बर, 1977 के दौरान 47.53 लाख रु० का राजस्व वसूल हुआ था।

(ग) जी हां।

(घ) ब्लाक/तहसील/उप-तहसील मुख्यालयों तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में घाटा उठाकर अधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की सरकार की नीति के अनुसार घाटा उठाकर अधिक से अधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा अधिक राजस्व अर्जित करने वाले उन सार्वजनिक टेलीफोन घरों को, जहां स्थानीय टेलीफोन कनेक्शनों की मांग है, टेलीफोन एक्सचेंजों में बदला जा रहा है। अल्पविकसित क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधाएं देने के लिए वहां के कुछ श्रेणीगत स्थानों में घाटा उठाकर भी लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति विभाग ने काफी विचार-विमर्श के बाद बनायी है।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या मंत्री जी राज्य वार और ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी हो तो उसे सभा पटल पर रख दें।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और राज्यो में अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए प्रयास करेगी ? जहां इनकी बहुत कमी है ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई : हम यह इस वर्ष कर रहे हैं।

Shri Jagdish Prasad Mathur : The Telephone Department of the Government thrives on the mistakes. Every time we dial the number we get wrong number while 50 paise are spent. Will he give figures in this connection ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : No such figures are there.

Shri Hukam Chand Kachwai : This Department is running into loss and they are planning to install some public call offices. May I know the extent of loss and the target fixed for opening new public call offices per year. The time by which telephone facilities are likely to reach in every village. The rate of 18 paise is on the high side. Is there any proposal to reduce it ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : We have a target of 2000 P.C.O's. this year.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the loss per year and whether Government propose to reduce the rate of 18 paise ?

The Minister of Communication (Shri Brij Lal Verma) : I have no figures about the losses at present. I want notice for that.

Shri Hukam Chand Kachwai : Does he propose to install such machines which may return the money if there is a wrong number.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास अभी ऐसी मशीनें नहीं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्या मंत्री जी जानते हैं कि ये सार्वजनिक टेलीफोन अधिकतर खराब रहते हैं ? ऐसे खराब टेलीफोनों का प्रतिशत कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जानकरी नहीं है।

Shri Surendra Bikram : Whether he had formulated a scheme to link those villages through P.C.O's which have a population of 5 thousand people? Whether any survey has been conducted in this regard and when they will be linked through P.C.O's.

अध्यक्ष महोदय : इस विशेष प्रश्न का उत्तर कुछ समय पहले दिया गया था। उसी प्रश्न का उत्तर दुबारा नहीं दिया जा सकता।

Shri Brij Lal Verma : There are 40 thousand villages having population of more than 2000 people and we have covered 12000 out of them.

Shri Surendra Bikram : What about the rest ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : Very soon.

Shri Brij Lal Verma ; These will be installed at the rate of 2000 per year.

Shri Somji Bhai Damor : May I know if you will give priority to remote villages where there are no roads or railway lines.

Shri Brij Lal Verma : We are giving priority to areas like district, main tehsil, tehsil, block and police stations which are important from the administrative point of view.

Shri Somji Damor : The Minister has told about losses. But I may say that they are not incurring losses. Simply they want to earn profit.

Shri Ram Dhari Shastri : The Hon. Minister has said that telephone is installed in Tehsil offices even after incurring losses. But he has not given figures. He should state figures as well as the steps being taken by the Government to avoid losses. Sir, you should ask him to reply to this question. May I know the time by which target fixed for the installation of telephnes will be achieved.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : When revenue from P.C.O. increases it is converted into exchange. When revenue decreases they run into losses.

Shri Ram Dhari Shastri : I had asked about the time by which target fixed for the installation of telephones upto block and tehsil level would be achieved.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : Within 2 years.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री प्रसन्नभाई मेहता—नहीं है श्री जाफर शरीफ भी अनुपस्थित हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरा निवेदन है कि नियम 48 (13) के अधीन यदि वह सदस्य, जिसके नाम से प्रश्न पूछा गया है, अनुपस्थित है, तो अध्यक्ष, किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर मंत्री जी को उत्तर देने के लिए निदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न आपका ही है।

कुछ राजनैतिक नेताओं की डाक को बीच में देखा जाना

*429. **श्री के० लकप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ राजनैतिक नेताओं की महत्वपूर्ण डाक को अब भी उसी प्रकार बीच में देखा जा रहा है जिस प्रकार आपात स्थिति के दौरान किया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सचाई है ;

(ग) क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इसके बारे में आरोप लगाया था ;

(घ) इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(ङ) क्या बीच में डाक देखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी अब भी मंत्रालय में हैं तथा विपक्ष के नेताओं की डाक को बीच में देखने में वर्तमान सरकार की भी सहायता कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) ऊपर भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन् मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न का इन के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है ? इसकी जांच तो गृह मंत्री को करानी चाहिये और उन्हें ही इसका उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : मैं आप का इस पर पहले निर्णय चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ज़रा रुकिये :

Shri Hukam Chand Kachwai : This has been a tradition of Congress Government for the last 30 years. Our dak was opened during that time.

अध्यक्ष महोदय : आप ने अपना प्रश्न संचार मंत्रालय को सम्बोधित किया था। अतः अब आप यह नहीं कह सकते कि गृह मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री के० लकप्पा : क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने ऐसा आरोप लगाया है और क्या यह सच है कि जैसे आपात स्थिति के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं की डाक बीच में देखी जाती थी वैसे ही अब भी किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने क्या इसकी जांच करायी है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री बृज लाल वर्मा : इस संबंध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री के० लकप्पा : मैं नियमबाह्य कोई बात नहीं कहना चाहता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हाल में कहा है कि आपात स्थिति के दौरान जैसे नेताओं की डाक बीच में देख ली जाती थी वैसे ही अब भी किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार वही पढ़ रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय ने शिकायत की जांच करायी है ?

श्री बृज लाल वर्मा : मैंने वह नहीं पढ़ी है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय के ध्यान में मैं यह लाना चाहता हूँ कि इस बारे में एक गिरोह है। (**व्यवधान**)

अरक्षता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि स्पष्ट है कि राजनीतिक नेताओं की डाक बीच में ही देखी जा रही है। हमें शंका है कि हम इस प्रकार ठीक ढंग से प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पायेंगे (**व्यवधान**)।

राजनीतिक नेताओं की महत्वपूर्ण डाक को बीच में देखे जाने को रोकने के लिये उनके मंत्रालय के पास क्या व्यवस्था है। मैं आप से आश्वासन चाहता हूं कि ऐसी बातें फिर नहीं होंगी और आप मंत्रालय के काम में सुधार करेंगे।

श्री बृज लाल वर्मा : यह आरोप गलत है। मैं डाक के बीच में खोले जाने के आरोप को निराधार मानता हूं। हमें किसी प्रतिपक्षी नेता से या इन्दिरा गांधी से कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री टी० ए० पाई : माननीय मंत्री ने बंगलौर में कहा था कि टेलीफोन को टेप नहीं किया जाता, परन्तु श्री जगजीवनराम ने शाह आयोग के समक्ष कहा है कि यह अभी भी किया जा रहा है। और यह एक पुरानी आदत है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इसे समाप्त किया जायेगा।

श्री बृज लाल वर्मा : हमारे विभाग का टैपिंग से कोई संबंध नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्री लकप्पा ने अपने प्रश्न के भाग (क) में पूछा है कि क्या मंत्रालय पर यह आरोप है कि कतिपय राजनीतिक नेताओं की डाक अभी भी वैसे ही बीच में देखी जा रही है जैसे आपात स्थिति के समय देखी जा रही थी। अर्थात् श्री लकप्पा मानते हैं कि उस समय ऐसा किया जा रहा था। **(व्यवधान)**

क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि कार्यप्रणाली क्या थी ?

श्री बृज लाल वर्मा : जहां तक आपात स्थिति के समय का संबंध है गुप्तचर विभाग यह कर रहा था।

Shri Chhabi Ram Argal : The former Prime Minister is creating an atmosphere of sabotage and violence by her statements. Incidents of this type have taken place. What steps are being taken by Government to stop it.

अध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है।

गुजरात के नगरों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

*430. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष 1977–78 के दौरान गुजरात के प्रमुख नगरों के बीच तथा एक नगर से दूसरे नगर में डायल धुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएं बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) गुजरात के प्रमुख नगरों के बीच ट्रंक टेलीफोन सर्किटों का विस्तार करने की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। आशा है कि ये योजनाएं 1978–79 और 1979–80 में विभिन्न चरणों में पूरी हो जायेंगी। इसके बाद गुजरात के शहरों के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधाओं का उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वर्ष 1978–79 और 1979–80 में इस योजना के अधीन किन-किन नगरों में यह सुविधा दी जायेगी। क्या यह प्रणाली अहमदाबाद और गुजरात के अन्य नगरों में ठीक प्रकार से चल रही है ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई : गुजरात में सीधे डायल करके टेलीफोन करने में निम्न लाइनें कार्य कर रही है : अहमदाबाद-राजकोट, अहमदाबाद–बड़ोदा, अहमदाबाद–गांधी नगर, अहमदाब.द–नाडियाड, अहमदाबाद–दिल्ली, बड़ोदा-सूरत, गांधीनगर-राजकोट, गांधीनगर–बड़ोदा, जामनगर–राजकोट और गांधी नगर––दिल्ली।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने भविष्य की योजना के बारे में कहा है।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई : एक स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थापित किता जा रहा है। गांधीनगर और अहमदाबाद के एक्सचेंज को इसमें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। 1979–80 में बड़ोदा, राजकोट और जामनगर को टी० ए० एक्स० से जोड़ दिया जायेगा। अहमदाबाद

के टी० ए० एक्स० को इन्दौर और बम्बई से जोड़ा जायेगा। और डायल धुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा बम्बई, पूना, सूरत, बड़ोदा, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, अहमदाबाद, इन्दौर और भोपाल को उपलब्ध हो जायेगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वर्तमान सुविधाएं ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं? दूसरे क्या उन अन्य नगरों को भी शामिल किया जायेगा जो बड़े वाणिज्यक केन्द्र है और जहां से करोड़ों रुपये माल निर्यात होता है।

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा): जहां एक सौ से अधिक ट्रंक काल होती है वहां एस० टी० डी० सुविधा दी जाती है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कांडला एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। परन्तु कांडला और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल धुमाकर टेलीफोन की सुविधा नहीं है। क्या इसे उपलब्ध किया जायेगा?

श्री बृज लाल वर्मा : यह भविष्य की योजना में है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में काम की मात्रा (वर्क नार्मस)

*432. **श्री के० रामसूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेन्युअल आफ एकाउंट्स प्रोसीजर फार ई० पी० एफ० आर्गेनाइजेशन आफ 1960 में निर्धारित काम की मात्रा को कहां तक लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या कर्मचारी परिवार पेंशन अधिनियम, 1971 और एम्पलाइज डिपाजिट लिंक्ड इन्शोरेंस ऐक्ट, 1976 के पास हो जाने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के काम (वर्क नार्मस) में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार अतिरिक्त कर्मचारियों की कहां तक क्षेत्रवार मंजूरी देने का है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 1968 में जारी किए गए लेखा-प्रक्रिया के मैन्युअल में कर्मचारी भविष्य निधि के लेखे रखने के संबंध में कोई कार्य मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 1963 में जारी किए गए कर्मचारी 'भविष्य निधि मैन्युअल' में कार्य मानक समाविष्ट है। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 1970 में इन मानकों में संशोधन किया था और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 तथा कर्मचारी जमा संबद्ध (डिपाजिट लिंक्ड) स्कीम, 1976 संबंधी काम के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए अलग कार्य-मानक तयार किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1977 को हुई अपनी बैठक में संशोधित मापदण्डों की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार अभी करना है।

श्री के० रामसूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष उत्तर क्यों नहीं दिया गया। उत्तर में कहा गया है कि 5 दिसम्बर, 1977 को न्यासी बोर्ड की बैठक में कार्य-मानक पर विचार किया था। यह

संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि यह कर्मचारियों के लिये एक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। कार्मिक संघों को बहुत सी शिकायतें मिली है और 1 से 6 वर्ष तक बड़ी संख्या में खातों को निपटाया नहीं गया है। जब हम उसकी पूछताछ करते हैं तो बताया जाता है कि कर्मचारी बहुत कम है और हाल अनिवार्य जमा योजना, परिवार पेंशन आदि संबंधी विधान के कार्य के कारण मामलों को शीघ्रता से निपटाया नहीं जा सका। अब जबकि यह संगठन 25 वर्ष पूरे कर रहा है क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वह एक समिति गठित करेंगे जो संगठन के कर्मचारियों के कार्यमानकों के प्रश्न पर विचार करेगी?

डा० राम कृपाल सिन्हा : जहां तक कार्यमानकों में संशोधन करने का प्रश्न है मैंने पहले ही कहा कि कार्यभार की समीक्षा के बाद समय-समय पर कम किया जाता है। 5 दिसम्बर को भविष्य निधि के कर्मचारियों की एक समिति गठित की गई थी। उसने विचार किया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि मैन्युल में त्रुटियां होने के कारण भुगतान कठिन हो गया है। क्या आप इसमें सुधार करेंगे।

डा० राम कृपाल सिन्हा : समिति ने कुछ सिफारिशें की है और कार्य को पूरा करने के लिये सभी संभव कार्यवाही की जा रही है।

श्री के० राममूर्ति : भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने हाल में देश भर में आन्दोलन किया था उन्होंने वेतन बढ़ाने, कार्य-मानक, और संगठन के रजत जंयती के अवसर पर नकद लाभ संबंधी कुछ मांगें रखी है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वह कर्मचारियों को बुलाकर बातचीत करेंगे और सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को निपटायेंगे।

डा० राम कृपाल सिन्हा : कुछ दिन पहले में मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधियों से मिला था और समास्या के संबंध में उनसे बातचीत की थी। हमने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। जिन मांगों को हम मान सकते हैं हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जहां तक नकद सुविधा देने तथा अन्य बातों का संबंध है, ये बातें अन्य मामलों से जुड़ी हुई है, और हम उनको देखेंगे।

प्रेजीडेंट सादात की इजराइल यात्रा

*434. **श्री जी० एस० रेड्डी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेजीडेंट सादात की हाल की इजराइल यात्रा के बारे में भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है ;

(ख) विभिन्न अरब देशों द्वारा इस बारे में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रेजीडेंट सादात की इजराइल यात्रा से जनेवा में शांति सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने की स्थिति बनी है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) भारत सरकार स्थिति पर निगाह रख रही है।

(ख) हाल की घटनाओं के विषय में विभिन्न अरब देशों ने तरह-तरह के मत व्यक्त किये हैं जो प्रेस में पहले ही आ चुके हैं।

(ग) जी नहीं।

श्री जी० एस० रेड्डी : मंत्रालय ने 18 नवम्बर के अपने वक्तव्य में मिश्र तथा इजराइल द्वारा लिए गए ठोस कदमों की सराहना की थी। लेकिन 20 नवम्बर को इसी मंत्रालय ने यह वक्तव्य दिया गया कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मूल वक्तव्य की समस्त भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सराहना की गई थी और यह कहा गया था कि भारत बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और उनकी यात्रा की सराहना करना एक ठोस कदम है। मुझे पता नहीं है कि क्या सरकार ने गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति में अब परिवर्तन कर लिये है, क्योंकि वह स्थिति पर नजर रखे हुए ही है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मुझे यह कहने में खेद है कि प्रेजीडेंट सादात की इस्राइल यात्रा के प्रश्न पर हमारे रुख से गुट निरपेक्षता की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पडा है। अरब देशों के आन्तरिक विवादों में किसी का पक्ष न लेना भारत की नीति रही है। कुछ देशों ने प्रेजीडेंट सादात की यात्रा का स्वागत किया है लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका घोर विरोध किया है। इसीलिए मैंने यह कहा है कि हम स्थिति पर निगाह रख रहे हैं और यही सरकारी रुख है।

श्री जी० एस० रेड्डी : चूंकि भारत सरकार गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास करती है और वह किसी का पक्ष नहीं लेना चाहती इसलिए उसे निडर होकर पश्चिम एशिया में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम उन मामलों पर निर्भयता दिखा सकते हैं जहां ऐसी आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ मामलों में विद्धवता दिखाने की आवश्यकता होती है।

Shri Om Prakash Tyagi : It has been the declared policy of India to solve mutual problems peacefully. I want to know from the hon. Minister, if the Arab countries solve their problems and issues peacefully, will India welcome their stand or not ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: If all the Arab countries arrive at a just agreement with Israel, India will certainly welcome that move.

Shri Ugrasen: The hon'ble Minister has said that Arab countries are strongly opposed to President Sadat's Israel Visit and some of them have welcome this step. The hon. Minister might be knowing that the Arab countries, which opposed President Sadat's Israel visit, organised a conference in Tripoli the Capital of Libia. They have the support of Russia. Russia is our friend. We have Indo-Soviet treaty. I want to know that when Soviet Russia has assured his all assistance to them in Tripoly Conference has Russia discussed this issue with our External Affairs Minister; if so, the reaction of the hon. Minister thereto ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have no discussion on this issue with Soviet Russia, Soviet Russia is equally free to have his own policy on West Asia as we are.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : प्रेजीडेंट सादात की यात्रा के बारे में एक हास्यटीकाकार ने कहा है कि प्रेजीडेंट सादात भले ही शांति के लिए नोबल पुरस्कार के लिए पात्र घोषित न किये जायें लेकिन ओस्कार पुरस्कार के लिए उन के बारे में अवश्य ही विचार किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या उनकी यात्रा से नाटकीयता एवं दिखावे के अतिरिक्त और कोई ठोस परिणाम निकलेगें ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जाना बहुत कठिन है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप मेरी कठिनाई समझते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I admit it is a very sensitive matter, and the countries of the world are divided on this issue. The hon. Minister has just now stated that if there is any agreement between Arab countries and Israel on the basis of

Justice, India will certainly welcome that step. I want to know from the hon. Minister what is justice in his wisdom and what the policy of India regarding Arab-Israel dispute ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Both the parties have to solve their problems. Any agreement which both the countries consider just, we shall also welcome that stand.

श्री बशीर अहमद : क्या भारत सरकार को पता है कि इस्राईल ने अरब का बहुत बड़ा भू-भाग अपने कब्जे में कर रखा है। क्या भारत सरकार इस मामले में मध्यस्थता करने का प्रयास करेगी ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : भारत की नीति है कि इस्राईल को अरब प्रदेश खाली कर देने चाहिए जिन पर उसने आक्रमण करके कब्जा किया है। जहां तक मध्यस्थता का संबंध है भारत को इसमें कोई रुचि नहीं है और न ही किसी ने हमसे मध्यस्थता करने के लिए कहा है।

श्री वी० अरुणाचलम : यह कहा गया है कि इस्राईल और मिश्र के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इस्राईल के साथ संबंध सुधारने की दिशा में क्या सरकार इस्राईल में अपना राजदूत नियुक्त करेगी ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रसन्नता का विषय है कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वह स्थिति पर निगाह रख रहे हैं। लेकिन सरकारी प्रवक्ता ने अपने एक वक्तव्य में यह कहा है कि श्री सादात ने बहुत ठोस कदम उठाया है। यदि सरकार अब अपनी स्थिति में सुधार कर रही है तो मैं समझता हूं कि ऐसा कहना यह बेहतर होगा। क्योंकि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि पी० एल० ओ० ही एक मात्र वह प्रतिनिधि है जो अरब वार्ता के दौरान भविष्य में फिलस्तीनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का पहले उत्तर दूंगा। पी० एल० ओ० के प्रतिनिधित्व फिलस्तीनी लोगों के पूर्ण रूप से भाग लिए बिना पश्चिम एशिया की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो लोग अपने देश से उजाड़े गये हैं उन्हें अपने देश जाने का पूर्ण अधिकार है और ऐसा ही समाधान भी होना चाहिए। जहां तक सरकारी विज्ञप्ति से सरकारी प्रतिक्रिया का संबंध है मुझे यह जानकारी नहीं है कि सरकारी स्रोत क्या है और कौन सरकारी प्रवक्ता है।

श्री के० लकप्पा : श्री कुन्दू ने वक्तव्य दिया था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री कुन्दू यहां मौजूद हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सरकारी प्रवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य से भारतीय नीति पर प्रभाव पड़ा है। अब मंत्री महोदय यह पूछ रहे हैं कि कौन सरकारी प्रवक्ता है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यदि उन्हें पता नहीं है तो वह यहां क्यों बैठे हैं। कोई भारत सरकार की ओर से वक्तत्व देता है और जिस की जानकारी विश्व भर को हो जाती है। अब दो सप्ताह के बाद यह कहा जा रहा है। क्या ये सरकारी प्रवक्ता किसी ऐसी अन्य विदेश नीति का पालन कर रहे हैं जो मंत्रियों की नीति से अलग है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : समाचार पत्र जो कुछ प्रकाशित करते हैं वह सभी सही नहीं होता। मैंने मंत्रालय से स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया था। मंत्रालय के किसी अधिकारी ने प्रेस को कोई वक्तव्य नहीं दिया। इस मामले की जांच की जानी होगी। मैंने यह किया और ज्यूं ही यह मेरे ध्यान में लाया गया मैंने इस समाचार का खण्डन किया। इससे भारत की प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आई है। लेकिन यदि विपक्ष के नेता इस तरह की बातें करते रहे तो विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा अवश्य ही कम होगी।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इसलिए कहता हूं कि आप इस मामले में सुस्त हैं। आप के अधिकारी आप की सलाह से कार्य नहीं करते हैं। आपका उन पर नियंत्रण नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं जानता हूं कि विदेशी मामलों से कैसे निपटा जाता है और मैं यह भी जानता हूं कि श्री चव्हाण ने भी विदेशी मामलों को निपटाया था।

Shri Yeshwantrao Chavan : Dramatics would not do. There was an official statement 15 days back and you are saying this today.

हम आप की सहायता करना चाहते हैं। आप अपने अधिकारियों को नियंत्रण में रखें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस समाचार का तुरन्त खण्डन किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं 1967 से इस सदन का सदस्य हूं। अतः इस समय सत्ताधारी दल के तत्कालीन सदस्यों का ऐसा कथन............ **(व्यवधान)** । मैं इस सदन में इस्राईल के पक्ष वाले सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं।

इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका उस अरब शिविर को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है जो भारत के राजनीतिक हितों के विरुद्ध है। जब तक अरब-ब्लाक हमारे सामने अविभाजित और दृढ़ रहेगा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी स्थिति बहुत ढीली रहेगी। तेल के भंडारों के कारण विश्व में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होने के कारण क्या अमरीका अरब देशों और हमें विभाजित करने और कमजोर बनाने के लिए श्री सादात को अपना मोहरा नहीं बना रहा है ?

श्री अटल पिहारी बाजपेयी : यह आपकी राय हो सकती है। भारत चाहता है कि अरब देश सुदृढ़ बने रहें और अरब शिविर को विभाजित करने के सभी प्रयासों को विफल बनायें।

Decline in Zinc Production

435. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the main reasons for the decline in zinc production in the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur during the last one year ; and

(b) whether Government are taking action against the persons responsible therefor ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा पिछले वर्षों की तुलना में 1976-77 के दौरान जस्ते के कुछ कम उत्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) 1976-77 के दौरान देवरी जस्ता प्रद्रावक की क्षमता के विस्तार को स्थापित और चालू किया जा रहा था। इस विस्तार से संबंधित कार्य को करने के उद्देश्य से यानी नए उपकरण लगाने तथा पुराने और नए उपकरणों को आपस में जोड़ने संबंधी निर्माण कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संयंत्र को वर्ष के दौरान सामान्य से अधिक अवधि के लिए बंद रखना पड़ा। फिर चूंकि नया संयंत्र पुराने संयंत्र की वैंच लीचिंग प्रक्रिया के मुकाबले निरन्तर लीचिंग प्रक्रिया पर आधारित था, इसलिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन को स्थिर करने में समय लगा और उसके फलस्वरूप भी उत्पादन में कमी हुई।

(2) देवारी के पुराने प्रद्रावक के एसिड और रोस्टर संयंत्रों की सफाई, मरम्मत तथा नए संयंत्र लगाने संबंधी कार्यों के लिए तीन महीने की लम्बी अवधि तक बन्द रखना पड़ा था।

(3) समय-समय पर बिजली की कटौतियां और प्राप्ति में बाधाएं।

(ख) उत्पादन में कमी के इन कारणों को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Shri Lalji Bhai: I want to know the total loss sustained by Hindustan Zinc Ltd. Udaipur since 1974? The hon. Minister should avoid this by saying that Machinery was defective. There were power cuts and interruptions in power & water supply. These have no relevance. An enquiry may be conducted when Shri Banerjee was Manager of this concern. I want to know the details of the officials involved.

श्री बीजू पटनायक : यह तो मंत्री महोदय की राय है। मैंने उत्पादन में कमी होने के कारणों का ब्यौरा दे दिया है।

Shri Lalji Bhai: It is not my opinion. The hon. Minister should know as to how many times enquiry was conducted during the period Mr. Banerjee was Manager of this concern and action have been taken against the persons. There has been misappropriation and bungling during this period. I want to know from the hon. Minister as to what procedure Government propose to adopt for conducting enquiry so that there is no loss in production.

श्री बीजू पटनायक : यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट आरोप लगाते हैं तो वह मुझे भेज दें और मैं उसकी जांच कराऊंगा। वस्तुस्थिति यह है कि 1-4-1977 से जब से हमने इसे अपने अधिकार में लिया है, 30-11-1977 उदयपुर देबारी कारखाने में 18,544 मीटरी टन उत्पादन हुआ जबकि उत्पादन लक्ष्य 15,900 टन का था। स्थिति में सुधार हुआ है। अप्रैल-सितम्बर के दौरान 78 प्रतिशत उत्पादन हुआ और अक्तूबर-नवम्बर में 81 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हुआ है। अतः उत्पादन में कमी होने के संबंध में माननीय सदस्य की चिन्ता निराधार है।

Shri Lalji Bhai: My question has not been answered. I want to know as to how many times there has been loss during the last three years.

Secondly, why the hon. Minister is not aware of the inquiry conducted during the period of Shri Banerjee. It is not my opinion. The hon. Minister should furnish me the details about the number of enquiries conducted, the number of persons against whom action was taken and the result thereof.

श्री बीजू पटनायक : यह भिन्न प्रश्न है। इसका संबंध जिंक उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारणों से है। मैंने यह सब उत्तर में बता दिए हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से

जिंक उत्पादन में कमी हुई। अब चालू वर्ष में उत्पादन बढ़ा है। निम्न स्तर पर कुछ खामियां भले ही हुई हों। इसके बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी। लेकिन उत्पादन में कमी होने का यह मुख्य कारण नहीं है।

Dr. L. N. Pandey: I want to know from the hon. Minister whether the Expansion of Dehasi State Zinc Smelter of the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur has not been completed within the specified period and the machinery is lying idle there? Is it also a fact that some of the officers are responsible for this lapse ? If so, what action has been taken against such officers and the extent of loss sustained ? When the machinery is likely to be commissioned ?

श्री बीजू पटनायक : कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ है। यह जटिल कार्य है। जब पुरानी मशीनें और नई मशीनें एक साथ लगाई जाती हैं और आपस में बदली जाती हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ विलम्ब अवश्य ही होता है। आशा से अधिक विलम्ब हुआ है। यह कहना उचित नहीं है कि व्यक्तिगत कारणों से या किसी व्यक्ति विशेष के कारण विलम्ब हुआ है। इतने विलम्ब का पहले अनुमान नहीं था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

500 रु० मासिक से अधिक वेतनवाले कर्मचारियों को बीमा राहत योजना के अन्तर्गत लाया जाना

*427. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि वह उन कर्मचारियों को राहत प्रदान करे जिनकी वेतन सीमा 500 रु० प्रति माह से अधिक हो गई है और इसलिए वे न तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत और न ही श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उस अवधि के लिए जिसमें कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं. उन्हें रोजगार चोट लाभ का भुगतान करने की भी मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उन मुद्दों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने के लिये मजदूरी की सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 रु० प्रतिमाह करने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा था।

(ख) मजदूरी सीमा आदि में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक संशोधन, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा किया गया था और 1,000 रु० प्रति माह की परिवर्तित मजदूरी सीमा 30-11-1975 से लागू की गई थी।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ऐसी कोई मांग नहीं की। तथापि, कुछ ट्रेड यूनियनों ने ऐसी मांग की थी।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना का स्वरूप ऐसा है कि लाभों, जिनमें रोजगार चोट के लिए नकद लाभ भी शामिल है, की स्वीकृति के लिये इसके उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव देना संभव नहीं है।

कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरान से सहायता

***428. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरान से 63 करोड़ डालर की सहायता प्राप्त की है; और

(ख) क्या इस परियोजना का संगठनात्मक ढांचा पूरा हो चुका है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा यह सम्भवतः कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) जी, हां । 4 नवम्बर, 1975 को हस्ताक्षरित वित्तीय करार के अनुसार ईरान की शाही सरकार ने कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के कार्यान्वियन की लागत वहन करने के लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० के नाम में अधिकाधिक 63 करोड़ अमरीकी डालर की राशि के लिए यह साख-पत्र खोला है ।

(ख) तथा (ग) इस प्रायोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह तैयार है तथा प्रायोजना का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है । करार के अनुसार ईरान की लौह अयस्क सांद्रण का लदान अगस्त, 1980 के अन्त तक शुरू हो जायेगा।

खानों में यंत्रीकरण के लिये वित्तीय सहायता

***431. श्री के० ओबुल रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खानों में यंत्रीकरण अथवा उनके विकास के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रम प्रधान उद्योग को यह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) और (ख) यह सही नहीं है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं खानों के यंत्रीकरण और विकास के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रही हैं।

बिनाबारी टेलीफोन कनेक्शन देने के मानदण्ड

***433. श्री के० प्रधानी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

(ख) क्या दिल्ली में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस समय प्रतीक्षा सूची है; और

(ग) सरकार ने गत 6 मास में बिना बारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :(क) बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नही किए गए हैं। प्रत्येक मामले पर, उस के गुण-दोषों को देखकर और यह देखकर कि तकनीकी दृष्टि से टेलीफोन कनेक्शन देना व्यवहार्य होगा कि नहीं, विचार किया जाता है ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन में बिना बारी के आधार पर मंजूर किए गए 24 टेलीफोन कनेक्शन अभी नहीं दिए जा सके हैं।

(ग) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये होस्टल तथा सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण

*436. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने किसी ऐसी योजना का प्रस्ताव किया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये एक होस्टल तथा सांस्कृतिक केन्द्र का नई दिल्ली में निर्माण किया जाये;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इस प्रयोजन के लिये दान देने में भी रुचि दिखाई है और उन्होंने इस इच्छा के बारे में सूचित किया है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां, विदेश मंत्री ने 30 जून, 1977 को 'फ्रैंड्स आफ इंडिया सोसायटी इन्टरनेशनल' के दूसरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कहा था कि दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय आवास एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां । सरकार को इस विषय में अस्थायी सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) सरकार इस संबंध में गंभीर रूप से विचार कर रही है । यह एक बड़ा प्रस्ताव है जिस पर काफी वित्तीय खर्च होगा और जिसकी योजना सावधानीपूर्वक बनानी होगी । यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा, लेकिन इस पर काम हो रहा है ।

उगांडा से प्राप्त मुआवजे का वितरण

*437. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा से मुआवजे के रूप में प्राप्त पूरी राशि का दावेदारों में वितरण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त दावों का ब्यौरा क्या है तथा किन दावों का निपटान किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) उगांडा मूल्यांकन समिति ने जो 628 दावे अनुमोदित और स्वीकृत किये थे, और जिनके लिए उगांडा की सरकार ने प्रतिपूर्ति के रूप में 1,44,88,792.35 रुपये दिये थे, उनमें से 488 दावों को निपटाया जा चुका है और 1,13,74,800 रुपये की राशि बांटी जा चुकी है । 98 दावेदारों से घोषणा प्रपत्र आने की प्रतीक्षा है । 42 मामलों में अदायगी के लिए अग्रिम रसीदों की भी अभी प्रतीक्षा है।

सिंगापुर में आजाद हिन्द सरकार के ऐतिहासिक अवशेषों को सुरक्षित रखना

*438. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में आजाद हिन्द सरकार के प्रथम राष्ट्रपति के आवासीय स्थानों और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन आजाद हिन्द सरकार की अंतरिम सरकार के मुख्यालय को खरीदने और उसे सुरक्षित रखने के लिए चौथी लोकसभा और पांचवीं लोकसभा में अनेक बार अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आजाद हिन्द क्रांति के इन ऐतिहासिक अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए जनता सरकार ने कोई पहल की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशिया के उन स्थानों पर विवरण-पट्टिकायें लगाने और भारतीय सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना करने के लिए पहल करेगी, जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ठहरे थे और जो स्थान अन्तरिम सरकार और आजाद हिन्द की गतिविधियों से सम्बद्ध थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) सरकार ने सिंगापुर स्थित अपने हाई कमीशन से कहा है कि वह सिंगापुर में उन इमारतों के बारे में सूचना एकत्र करें जिनका संबंध आजाद हिंद फौज से रहा है और साथ ही उनकी वर्तमान स्थिति का तथा इस बात का भी पता लगाये कि क्या सिंगापुर में ऐसी पंजीकृत संस्था बनाना संभव होगा जो इन इमारतों को अपने कब्जे में लेकर इनका अनुरक्षण कर सके। यह मामला निरंतर सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने संबद्ध मिशनों को पहले ही इस बात के अनुदेश दे दिये हैं कि वे इस बात का पता लगाकर बतायें कि क्या स्मृति-फलक लगाना संभव होगा। जहां तक सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना का प्रश्न है सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया में जहां भी संभव होगा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करना चाहेगी ।

आस-पास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास और सहायता में इस्पात संयंत्रों का योगदान

***439. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :**
श्री पी० बी० पेरियासामी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस-पास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास और सहायता के लिए इस्पात संयंत्रों का क्या विशिष्ट योगदान रहा है ;

(ख) इस सहायता के परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन और रोजगार संभावनाओं में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में सार्थक समयबद्ध कार्यक्रम के लिए कोई ठोस मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस्पात कारखानों के प्रबन्धक सहायक उद्योगों को कई प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं, जैसे उनको ऐसी मदों के लिए आर्डर देना जिनका उत्पादन वे कर सकते हैं, तकनीकी जानकारी देना और मार्गदर्शन करना, कच्चे माल का प्रबंध करके उसकी प्राप्ति में सहायता करना, परीक्षण और प्रयोगशाला की सुविधाएं देना, उन मदों की नियमित रूप से संवीक्षा करना जिन मदों का निर्माण सहायक उद्योगों में किया जा सकता है तथा उन मदों को इन उद्योगों के लिए सुरक्षित रखना आदि-आदि ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि इस्पात कारखानों द्वारा इन उद्योगों को दी गई सहायता के फलस्वरूप विशेषरूप से कितना उत्पादन हुआ है अथवा रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के आस-पास के इन उद्योगों के उत्पादन का मूल्य तथा वर्ष 1976-77 में इनसे खरीदे गए माल का मूल्य नीचे दिखाया गया है :-

कारखाने का नाम	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये)	इस्पात कारखानों द्वारा खरीदे गए माल का मूल्य (लाख रुपये)
भिलाई इस्पात कारखाना	715.63	196.80
राउरकेला इस्पात कारखाना	1210.15	318.31
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	उपलब्ध नहीं है	25.50
बोकारो इस्पात लि०	232.00	232.00
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि० .	76(इस्को के पास पंजीकृत लघु उद्योग)	30.00

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने आस-पास के सहायक उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

Realisation of Cess Fund from Nandni Dalli and Rajhara Iron Ore Mines

*440. **Shri Mohan Jain:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the amount of cess fund received from the Nandni-Dalli and Rajhara etc. iron ore mines near Bhilai Steel Plant by Government during the last three years, year-wise;

(b) the amount out of that given for the welfare of workers;

(c) whether all the workers in the Nandni Dalli and Rajhara Coal Mines have been benefited from it; and

(d) if so, the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): There are five captive iron ore mines of Bhilai Steel Plant in this area viz., 1. Dalli, 2. Mayurpani, 3. Aridongri, 4. Mahamaya, and 5. Kokan. Separate figures regarding cess collected in each mine is not readily available. According to available information, iron ore cess fund collected from Bhilai Steel Plant is as under:—

1975-76	Rs. 10.85 lakhs.
1976-77	Rs. 11.80 lakhs.
1977-78 (upto October, 1977)	Rs. 6.47 lakhs.

There is no readily available disaggregated figure for the cess collected from the Nandni Lime Stone Mine.

(b) The funds for welfare activities are not allotted minewise, but Region-wise. For Madhya Pradesh Region, the allocation for the last three years is as follows :—

1974-75	Rs. 12.82 lakhs.
1975-76	Rs. 20.30 lakhs.
1976-77	Rs. 85.75 lakhs. (provisional).

(c) Welfare facilities are meant to cover the maximum number of workers residing in a particular area.

(d) For Rajhara area in Madhya Pradesh, the following welfare facilities have been provided :—

(i) Rs. 2,16,000 have been sanctioned for purchase of specialised equipment for Bhilai Main Hospital.

(ii) One mobile medical unit.

(iii) One Ambulance Van.

(iv) 46 wells.

(v) Rajhara Township Water-supply Scheme.

(vi) 1600 low-cost houses (Type I) and 700 houses under the New Housing Scheme (Type II) were sanctioned out of which 600 houses in Type I and 700 houses in Type II have been completed.

(vii) One multi-purpose institute, one cinema unit, 12 radio centres, one library and one children's park.

(viii) Grant-in-aid to Hindustan Steel Ltd., for maintenance of dispensary services.

(ix) Scholarships to school-going children, grant-in-aid for mid-day meals to school children @ 75 paise per child.

(x) One bus for school-going children.

(xi) One bus for workers.

(xii) In Nandni (lime-stone) mining area, an Ayurvedic dispensary and 100 houses under type I.

राजनयिक कर्मचारियों के लिए भारतीय संस्कृति में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

*441. श्री दुर्गाचन्द : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में नियुक्त राजनयिक कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति वाले देश में प्रचार करने के लिये भारतीय संस्कृति और जीवन आचरण में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न देशों में भारत की प्रतिभा के चित्रण का आकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के राजनयिकों की सावधिक रूप से बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) और (ख) परिवीक्षा की अवधि में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में भारतीय संस्कृति पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूरा करना होता है । राजनयिक कर्मचारी विदेश तैनाती से पूर्व अथवा तैनाती का स्थान बदलने के समय मुख्यालय पर अपनी ड्यूटी के संबंध में कुछ समय के लिए रुकते हैं जबकि उन्हें इस दिशा की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की सुविधा प्रदान की जाती है । इस प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् करता है । फिर भी, सरकार राजनयिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के उपयुक्त अभिन्यास की आवश्यकता पर विचार कर रही है जिससे कि विदेशों में देश का ठीक चित्र प्रस्तुत किया जा सके । सितम्बर 1977 में अपने सभी राजनयिक मिशनों को विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें अपने प्रत्यायन के देश में सही चित्र प्रस्तुत करने के महत्व पर बल दिया गया था ।

(ग) और (घ) विदेशों में भारत के चित्र का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के राजनयिकों की सांवधिक बैठकें होती रहती हैं । हाल ही में दक्षिण-एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों के मिशन प्रमुखों की एक बैठक दिल्ली में 23 से 26 अगस्त, 1977 तक हुई थी ।

विदेश मंत्री की भूटान यात्रा

442. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भूटान की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो वहां की सरकार से हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां । भूटान के महामहिम नरेश के निमंत्रण पर मैंने 19 से 21 नवम्बर तक भूटान की यात्रा की थी ।

(ख) भारत और भूटान के बीच विशेष रूप से निकट मित्रता के अनुरूप ही यह यात्रा भी भारत और पड़ोसी देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परम्परा के अनुरूप थी । भूटान के महामहिम नरेश और भूटान की शाही सरकार के साथ हुई बातचीत में आपसी हित के मामलों पर विचार किया गया जिनमें भूटान के आर्थिक विकास के लिए सहायता, भूटान के विदेश व्यापार को सुविधाजनक बनाने का प्रश्न तथा अन्य मामले भी शामिल हैं ।

वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश में डाक घर तथा उप-डाकघर खोलना

*443. **श्री शरद यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में वर्ष 1978 के दौरान कितने डाकघर तथा उप-डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) क्या उप-डाकघरों के स्थानों का निश्चय करने के लिए गांवों की जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 1977-78 के दौरान 22 उप-डाकघर और 750 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1978-79 में डाकघर खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) उप-डाकघर किन जगहों पर हों, इस बात का फैसला जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। जिन 20 विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है, उन में अनुमानित कार्यभार, आमदनी और उन पर आने वाली लागत के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया गया है।

आवेदकों से एकत्र की गई अग्रिम जमाराशि और विभिन्न श्रेणियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन देना

*444. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदकों से अग्रिम जमा राशि के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के टेलीफोनों के बारे में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा-सूची में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या अग्रिम जमाराशि की योजना शुरू होने के बाद एक एक्सचेंज से विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए टेलीफोन आवंटित करने का कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) अग्रिम जमा योजना चालू हो जाने पर ओ० वाई० टी० श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या लगभग 60% और गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी में लगभग 40% कम हो गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच टेलीफोन कनेक्शन देने का कोटा अग्रिम जमा योजना चालू करने से पहले भी मौजूद था। यह कोटा ओ० वाई० टी० के लिए 70%, सामान्य श्रेणी के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए 15% था। परन्तु जुलाई 1976 से इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब अलाटमेंट का संशोधित अनुपात ओ० वाई० टी० श्रेणी के लिए 75%, विशेष श्रेणी के लिए 10% और गैर- ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी के लिए 15% हो गया है।

इस्पात उद्योग के बिक्री अधिकारियों की बैठक

*445. **श्री के० ए० राजन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इस्पात उद्योग के सभी बिक्री अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का उद्देश्य क्या था और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) देश के ग्राम्य क्षेत्र में इस्पात की वस्तुओं की मांग में तेजी लाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों पर बातचीत करने के लिए हाल में इस्पात के मुख्य उत्पादकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि कृषि यंत्रों तथा इस्पात से बनी दूसरी वस्तुओं के जिनका

निर्माण वहीं पर किया जा सकता है और जिनकी खपत वहीं पर हो सकती है, रूपांकन, निर्माण तथा विपणन के लिए इस्पात उत्पादक प्रत्येक ब्लाक में एक छोटी इकाई की स्थापना के लिए विशिष्ट रूप से योजनाएं तैयार करें।

महाराष्ट्र अलैक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड की ओर से चन्द्रपुर में हाई कार्बन फैरो मैंगनीज का उत्पादन करने की और आगे अनुमति देने के बारे में अभ्यावेदन

3997. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलैक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड तथा महाराष्ट्र सरकार की ओर से, महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र चन्द्रपुर में हाई कार्बन फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिये और आगे अनुमति देने के बारे में क्रमशः दिनांक 6-8-77 तथा 23-9-77 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और क्या इसकी सूचना संबंधित पक्षों को भेज दी गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त कार्यवाही कब की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) मेसर्स महाराष्ट्र अलैक्ट्रोसमेल्ट लि० को प्रतिवर्ष 75000 टन साधारण इस्पात तथा दूसरे कार्बन इस्पात और स्प्रिंग इस्पात के बिलेट/पिण्ड तैयार करने के लिए दिसम्बर, 1973 में एक आशय-पत्र दिया गया था। टनेज आक्सीजन प्लांट की सप्लाई और स्थापना में विलम्ब हो गया, परिणामस्वरूप इस फर्म द्वारा इस्पात के उत्पादन में अनुमानतः 1977 की अन्तिम तिमाही तक विलम्ब हो जाने की संभावना हो गई। इसलिए फर्म ने प्रतिवर्ष 50,000 टन फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने की प्रार्थना की और अप्रैल, 1976 में उन्हें उनके पिण्ड/बिलेट के लाइसेंस पर विविधिकरण के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 50000 टन हाई कार्बन फेरो मैंगनीज और 40000 टन मैंगनीज फेरस स्लैग तैयार करने के लिए अनुमति दे दी गई। उत्पादन में विविधता लाने की यह अनुमति केवल 3 वर्ष के लिए दी गई थी। फर्म ने और राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस स्थायी रूप से दे दिया जाए। इस प्रार्थना पर उनके कारखाने की, जो मुख्यतः इस्पात के उत्पादन के लिए लगाया गया था, फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए तकनीकी आर्थिक सक्षमता तथा फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए पहले जितनी क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। उसके मुकाबले में भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया में विस्फोटक स्थिति

3998. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम एशिया में हाल ही में पैदा हुई विस्फोटक स्थिति (फ्लेयर अप) से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कुछ देशों ने इस समस्या पर विचार करने के लिये जेनेवा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के विचार क्या हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर निगाह रख रही है । जेनेवा सम्मेलन बुलाने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है । भारत सरकार को आशा है कि संबद्ध सभी पक्षों की सहमति से जेनेवा सम्मेलन में कोई व्यापक समाधान निकल सकेगा।

Gangapur City Telephone Exchange (Rajasthan)

†3999. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether an eight channel system was installed in Gangapur city Exchange, Rajasthan sometime back;

(b) whether this system has not yet been commissioned and if so, the reasons therefor;

(c) the number of lines circuits that would be available at the Gangapur Exchange after the commissioning of this system; and

(d) whether capacity exists in trunk boards for installation of these lines circuits and if so, the number of lines for which the capacity is available and if not, in what way would Gangapur City Exchange be benefited by commissioning of the said system?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes, Sir.

(b) System was commissioned on 29-10-77.

(c) Seven against three existing at present.

(d) Yes, Sir. Capacity is available for four additional circuits.

गंभीर दुर्घटनाओं में हताहत कामगारों को कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान

4000. **श्री रोबिन सेन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गम्भीर दुर्घटनाओं में हताहत कामगारों को कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची चार के अन्तर्गत उचित मुआवजे से वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विकलांगता की प्रतिशतता का सही आंकन करके उन्हें मुआवजे का पूरा लाभ देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन विभाग द्वारा तालुक हेड क्वार्टर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

4001. **श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों के लिए तालुक हैड क्वार्टर में स्टाफ क्वाटरों के निर्माण संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर क्वार्टरों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) दूरसंचार शाखा के कुल लगभग 2.75 लाख कर्मचारियों के लिए सारे देश में करीब 16400 स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध हैं । इस प्रकार 5.9 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए क्वार्टर उपलब्ध हैं । तालुक मुख्यालयों के संबंध में अलग से आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) विभाग पर्याप्त निधि की माँग कर रहा है, ताकि 1978-83 की नई योजना के अन्त तक उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाए । वित्तीय आबंटन के आधार पर तालुक मुख्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ।

पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघर

4002. **डा० आर० रोथुअम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर मिजोरम में डाक-तार घरों की अत्यधिक कमी के बारे में जानकारी है जहां एक स्थान पर डाला गया पत्र दूसरे स्थानो पर पहुंचने में कई सप्ताह और यहां तक कि महीने लगा देता है और बीच में डाक व्यवस्था में अत्यधिक अनियमितता है और गांवों में लैटर बक्स सुविधा अभी तक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मिजोरम में डाक-तार विभाग के कार्यकरण की संपूर्ण स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई योजना के अन्तर्गत घोषित कसौटी के अनुसार रहामफाई सर छिप हनाथियाल तुईपांग, घानजोल कानपुई, में नाल आदि जैसे 3000-5000 आबादी वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर और अधिक डाक-तार घर खोलने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मिजोरम में 230 गांव है । इनमें से 150 गांवों में डाकघर हैं ।

रहामफाई सर छिप, हनाथियाल तुईपांग, थानजोल कानपुई और सैतनाल में डाकघर पहले से मौजूद है । 2000 या उससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों में डाकघर खोल दिए गए हैं ।

पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध

4003. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों अर्थात् पुर्तगाल, ब्राजील तथा अफ्रीका में पूर्ववर्ती पुर्तगाली उपनिवेशों के साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ख) इस दिशा में आगे क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोआ में एक पुर्तगाली अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) तथा (ख) इस दिशा में जो कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने का विचार है उसका विवरण नीचे दिया गया है :

पुर्तगाल

लिस्बन में 15 फरवरी, 1977 को भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार, उद्योग एवं तकनीकी सहयोग के करार पर हस्ताक्षर हुए । इस करार में दोनों देशों के बीच व्यापार में समरस और पर्याप्त वृद्धि की बात तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात सोची गई है ।

पुर्तगाल के साथ एक सांस्कृतिक करार करने की बात सोची जा रही है । इस बीच भारत ने तदर्थ आधार पर आल इंडिया रेडियो तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के माध्यम से पुर्तगाल के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं ।

ब्राजील

एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 1976 में ब्राजील की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच व्यापार की यात्रा बढ़ाने के विषय में ब्राजीलीयाई प्राधिकारियों के साथ लाभदायक विचार-विमर्श किया । 1968 में भारत और ब्राजील के बीच लाभप्रद सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक सांस्कृतिक करार किया गया था । हाल ही में दोनों देशों के बीच दोनों ओर से विद्वानों की यात्राओं का भी प्रबंध किया गया । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में एक करार पर विचार किया जा रहा है जिससे इन क्षेत्रों में सहयोग की मात्रा बहुत बढ़ जायेगी।

मोजाम्बिक

सरकार ने मोजाम्बिक के लिए राष्ट्रमंडल कोष में एक लाख अमरीकी डालर के मूल्य के बराबर अपरिवर्तनीय रुपये की मुद्रा दी है। मोजाम्बिक सरकार के अनुरोध पर सद्भाव के नाते भारत ने नौ लाख रुपये मूल्य का भूरा कपड़ा भी उपहार में दिया है । मोजाम्बिक सरकार के अनुरोध पर भारत ने सीधी संविदा पर रेलवे, सिविल इंजीनियर, मेडिशिन, लेखाशास्त्र, अध्यापन आदि के प्राथमिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करना भी स्वीकार कर लिया है । आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में रेलवे के क्षेत्र में मोजाम्बिक की कुल जरूरतों का आकलन करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था । मोजाम्बिक की विभिन्न संस्थाओं को भेंट किये जाने के लिए भारत ने इस संबंध में पांच-हजार रुपये मूल्य की किताबें मोजाम्बिक स्थित अपने मिशन को भेजी।

अंगोला

सरकार आइटेक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में अंगोला को तकनीकी सहायता देती रही है । सरकार ने अंगोला में स्कूली बच्चों के लिए चिकित्सा-सामग्री तथा लेखन-सामग्री भी हवाई जहाज द्वारा भिजवाई ।

गिनी-बिसाऊ

सरकार ने गिनी-बिसाऊ को जूट के सामान और चाय तथा दवाइयों की दो खेपें भिजवाई हैं। सरकार शीघ्र ही एक छोटी-सी तकनीकी टीम भी राष्ट्रीय उद्योग-विकास निगम से आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत गिनी-बिसाऊ की सहायता के लिए भेजेगी जो इस बात का पता लगायेगी कि छोटे चीनी उत्पादन एककों के विषय में उनकी आवश्यकताएं क्या हैं ।

(ग) गोवा में एक पुर्तगाली अध्ययन-संस्थान स्थापित करने से सम्बद्ध पुर्तगाली प्रस्ताव पर विचार-विनिमय हुआ है और इस पर भारत में विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए संस्थानों की स्थापनाओं के मामले में सरकार की आम नीति की रूपरेखा के अंतर्गत विचार किया जायेगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अभ्रक, मैंगनीज, लौह अयस्क के उत्पादन में गिरावट

4004. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अभ्रक, मैंगनीज, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का उत्पादन गत तीन वर्षों से गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कितनी खानों में इन खनिजों का उत्पादन हो रहा है ; और

(ग) उनको योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने तथा गैर-वैज्ञानिक एवं अंधाधुंध खनन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में मैंगनीज़ उत्पादन में वर्ष 1976 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान कोई कमी नहीं आई है। गैर-सरकारी खानों में 1975 के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 1974 से अधिक था परन्तु 1976 के दौरान उत्पादन में नाममात्र की कमी रही। अभ्रक का उत्पादन 1975 और 1976 वर्षों में पूर्व वर्ष की तुलना में कम रहा। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इन खनिजों का उत्पादन गत तीन वर्षों से घट रहा है।

(ख) लौह अयस्क और अभ्रक के संबंध में ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। मैंगनीज तथा कुछ अन्य खनिजों के बारे में जानकारी लोक सभा के पटल पर बाद में रखी जाएगी।

(ग) गैर-वैज्ञानिक और अनाप-शनाप खनन की रोक थाम और खानों के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

(मात्रा : टनों में)

अभ्रक

राज्य	1974		1975		1976	
	खानों की कुल संख्या	उत्पादन	खानों की कुल संख्या	उत्पादन	खानों की कुल संख्या	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश .	57	5,386	59	3,584	52	2,834
बिहार	198	6,418	209	6,125	177	5,732
राजस्थान .	112	1,852	110	1,686	90	845
तमिलनाडु .	4	79	4	40	4	14
पश्चिम बंगाल .	2	4		..	1	1
कुल भारत	373	13,739	382	11,435	324	9,426

लौह अयस्क

(मात्रा : हजार टनों में)

1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	7	103	13	136	14	102
बिहार	26	2,756	24	3,141	24	3,261
गोआ	159	12,608	155	13,684	155	13,605
कर्नाटक	94	2,626	104	3,332	98	2,778
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	4	1,038	7	1,011	6	757
उड़ीसा	44	1,723	49	2,823	48	3,029
राजस्थान	1	1	2	1	—	—
कुल भारत	335	20,855	354	24,128	345	23,532

गोआ मेडिकल कालेज में प्रोफेसर के पदों का भरा जाना

4005. **श्री अमृत कासर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ मैडिकल कालेज में प्रोफेसरों के कई पद अब भी रिक्त पड़े हैं ;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये उतना अधिक समय लिये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां, जीव-रसायन, नेत्र-विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विसंज्ञा-विज्ञान और कान-नाक गला के प्रोफेसरों के पद क्रमश: 26-10-77, 1-1-77, 29-1-77, 29-11-77 और 6-8-77 से खाली हैं।

(ग) इन पदों को भरने के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

जीव-रसायन का प्रोफेसर : इस पद की मांग संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

नेत्र-विज्ञान का प्रोफेसर : संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश प्राप्त हो गई है। नियुक्ति-प्रस्ताव शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

शल्य चिकित्सा का प्रोफेसर : इस पद पर नियुक्त नियमित अधिकारी की केन्द्र स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड 1 पद पर तदर्थ पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप यह पद रिक्त हुआ है। चूंकि यह रिक्ति केवल अल्पकालिक है, इसलिए यह नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता है। इस पद के तदर्थ आधार पर भरे जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विसंज्ञा विज्ञान का प्रोफेसर : : संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद को पहले ही विज्ञापित कर दिया है और उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

कान-नाक गला का प्रोफेसर : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित उम्मीदवार अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डा० बी० एम० अबरोल को नियुक्ति प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग ने डा० अबरोल को 2000/- रुपये प्रति मास के हिसाब से प्रारम्भिक वेतन देने की सिफारिश की है, परन्तु डा० अबरोल ने 2250/- रुपये प्रतिमास के प्रारम्भिक वेतन की मांग की है। इस मामले की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है।

प्रोफेसरों के 50% पदों को सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। गोआ मेडिकल कालेज के उपर्युक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरा जा रहा है यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश मिल गई है; तथापि इन पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति अपेक्षित है। चुने गए उम्मीदवार जहां कार्यभार ग्रहण करने में कुछ समय लगा देते हैं, वहां कभी-कभी वे कार्यभार ग्रहण ही नहीं करते। इन सब कारणों से पदों के भरने में देरी हो जाती है। तथापि, गोआ सरकार की परेशानियों को देखते हुए इस मंत्रालय ने पहले ही इन रिक्त पदों की जब तक वे स्थायी आधार पर नहीं भरे जाते तब तक गोआ सरकार को स्वयं ही राज्यों के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य स्रोतो से तदर्थ आधार पर भरने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

Emerald in Rawanral Village in Kota

4006. **Shri Chaturbhuj**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that emerald (diamond) mines are located in the hills near Rawanrai village of Chhipa Badod in Kota (Rajasthan); and

(b) the steps being taken by Government for exploration/Survey and commercial use thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) No emerald or diamond mines are known to exist in the area mentioned.

(b) Question does not arise.

Teaching Ayurveda in Kameshwar Singh Darhhanga Sanskrit University

4007. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether any scheme has been undertaken for the study and teaching of the Ayurvedic System of Medicine by the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, and whether a demand for a special grant has been made to the Central Government for its smooth implementation; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Accommodation to Nurses of Safdarjung Hospital

4008. **Shri Ugrasen**: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the most of the nurses working in the Safdarjung Hospital have not been provided with Government accommodation as a result of which they have to face great hardships in attending the duty at odd hours in the winter and summer; and

(b) the steps being taken by Government for removing their hardships?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Out of 612 nurses/student nurses, 274 have been provided Government accommodation in or near the hospital.

(b) A proposal to construct a Nurses Hostel for accommodating 600 Nursing staff is under consideration.

मध्य-पूर्व के देशों को भेजे गये इंजीनियरों की संख्या

4009. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दोरान कुल कितने इंजीनियरों का चयन किया गया और उनको मध्य-पूर्व देशों को भेजा गया; और

(ख) उनकी श्रेणी क्या थी और उन्हें लेने वाले देशों ने क्या वेतन तथा भत्ते देने पर सहमति प्रकट की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष में सरकार से सरकारी आधार पर द्विपक्षीय नियोजन के लिए 318 इंजीनियर चुने गए थे। यह मालूम नहीं है कि इन चुने हुए इंजीनियरों में से कितने अपने नियोजित कार्य पर पहुंचे हैं ।

(ख) जो इंजीनियर चुने गए हैं उनमें सिविल, इलैक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर भी शामिल हैं । अलग-अलग देश में अलग-अलग वेतन और भत्ते हैं और उम्मीदवारों की योग्यताओं और अनुभव पर निर्भर करते हैं । यह नहीं मालूम कि ठीक-ठीक कितना वेतन या कितना भत्ता दिया जाता है क्योंकि यह बातचीत के लिए आये दलों और अलग-अलग उम्मीदवारों के बीच तय किया जाता है। लेकिन इनमें आवास स्थान की व्यवस्था या उसके एवज में भत्ते की व्यवस्था होती है । कष्ट-साध्य जीवन भत्ता और समयोपरि भत्ता जैसे अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं । वेतन संबद्ध देशों में जीवनयापन के अनुरूप होते हैं ।

विभागेतर कर्मचारी

4010. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में डाक तथा तार विभाग में कुल कितने विभागेतर कर्मचारी हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने कर्मचारियों को नियमित सेवा में ले लिया गया है ;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे 10 वर्ष से अधिक, 5 से 10 वर्ष तक आदि ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को सेवा में नियमित करने का है जिनकी निर्धारित वर्षों की सेवावधि पूरी हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) 22,159

(ख) और (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । प्राप्त होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) और (ङ) जी नहीं ।

कुद्रेमुख परियोजना की लागत में वृद्धि

4011. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख परियोजना की लागत 567 करोड़ रुपये से बढ़कर 644 करोड़ रुपये हो गयी है और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ख) ईरान के साथ सहयोग समझौते (टाई अप अरेंजमेंट) पर इस लागत वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि इस समझौते से भारत को वित्तीय हानि न हो ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां। पूंजीगत लागत के 567 करोड़ रुपये का पहले का अनुमान कुद्रेमुख के बारे में भारत-ईरान के बीच बातचीत को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले लगाया गया था। यह अनुमान परियोजना की समय-सूची, अयस्क की प्राप्ति, सांद्रण की विशिष्टियों कर प्रभाव आदि से सम्बन्धित कई धारणाओं पर लगाया गया था। बाद में इन धारणाओं में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधित अनुमान सरकार के विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान वित्तीय समझौते के अन्तर्गत ईरान की शाही सरकार ने इस परियोजना के निर्माण खर्च के लिए अधिकाधिक 63 करोड़ अमरीकी डालर (567 करोड़ रुपये) के लिए साख-पत्र खोला है। नेशनल ईरानियन स्टील इन्डस्ट्रीज कम्पनी के साथ किये गये बिक्री तथा क्रय समझौते के अन्तर्गत परियोजना की वास्तविक लागत बढ़ जाने के परिणामस्वरूप सांद्रण का विक्रय मूल्य बढ़ाने की व्यवस्था है। इसलिए इस सम्बन्ध में भारत को कोई वित्तीय हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Conversion of Telephone Exchanges in North Uttar Pradesh into Automatic ones

†4012. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the telephone exchanges in Nainital and Haldwani into automatic telephone exchanges ;

(b) if so, the time by which this work is likely to be completed ; and

(c) the names of the telephone exchange in North Uttar Pradesh which are proposed to be converted into automatic telephone exchanges ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : (a) According to a scheme for automatisation of exchanges, Nainital has been approved for automisation. Haldwani at present is not under consideration.

(b) It is expected to instal an automatic exchange at Nainital during 1981.

(c) It is proposed to automatise in a phased manner the following exchanges in North U.P. during the next few years :—

1. Almora
2. Bijnor
3. Chamoli
4. Nainital
5. Pauri
6. Pithorgarh
7. Tehri
8. Uttar Kashi.

मेघालय में भूगर्भीय सर्वेक्षण

4013. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में मेघालय राज्य में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक स्तर पर दोहन की संभाव्यता निश्चित हुई है, यदि हां, तो उस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए गये खोज कार्यों के फलस्वरूप राज्य के विभिन्न भागों में सीमेंट ग्रेड और फ्लक्स ग्रेड चूनापत्थर के लगभग 2240 लाख टन ; कोयले के 1650 लाख टन ; गुंथी हुई चीनी मिट्टी (लियोमर्ज क्ले) के 350 लाख टन और फायर क्ले के 5,000 टन भंडार होने का अनुमान है।

(ग) चूना पत्थर और कोयले के दोहन हेतु संबद्ध एजेंसियों द्वारा साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सामान्य सूची में दर्ज व्यक्तियों के नाम

4014. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सामान्य सूची में कितने वर्षों से ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जो इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : दिल्ली के विभिन्न एक्सचेंज इलाकों में में सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में जिन-जिन तारीखों तक दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं, उनका उल्लेख नीचे की तालिका में कर दिया गया है।

एक्सचेंज का नाम	सामान्य श्रेणी में किस तारीख तक कनेक्शन दे दिए गए हैं
1	2
शाहदरा (पूर्व)	29-9-76
शाहदरा	9-7-76
तीस हजारी	28-5-59
शक्ति नगर . . .	9-2-59
दिल्ली गेट	15-3-77
जनपथ . .	अद्यतन
सचिवालय	30-6-77

29 LSS/77—3

1	2
राजपथ	15-10-76
कैंट	13-8-64
कनाट प्लेस	8-2-77
ईदगाह	19-3-65
करोलबाग	25-4-60
जोरबाग	28-9-63
ओखला .	1-10-62
हौज खास '65'	2-4-69
हौज खास '67'	23-5-61
अलीपुर	1-4-76
फरीदाबाद	24-11-72
बदरपुर	12-4-72
बहादुरगढ़	30-6-71
गाजियाबाद	3-11-65
नजफगढ़	21-4-77
नांगलोई .	17-11-76
बल्लभगढ़	23-11-66
नरेला . . .	अद्यतन
बादली	12-10-71
जनकपुरी	29-5-64

राज्यों में परिवार कल्याण केन्द्र/औषधालय/अस्पताल

4015. **श्री जी० एस० मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में परिवार कल्याण केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के हिसाब से उनका अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या, औषधालयों और अस्पतालों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य में जितनी औसतन जनसंख्या को ये सेवाएं प्रदान करते हैं उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1378/77]

श्रमिक कल्याण समिति की नियुक्ति

4016. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में श्रम आयोगों जैसी श्रमिक कल्याण समिति नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने अधिकारी नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) इन नियुक्तियों के लिये प्रत्येक राज्य से कितने अधिकारी लेने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बोकारो स्टील सिटी में शराब की दुकानें

4017. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर प्रशासन ने बोकारो स्टील सिटी में कितनी शराब को दुकानें चलाने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात मंत्रालय ने बोकारो स्टील एम्प्लाईज प्रोग्रेसिव फ्रंट से बातचीत करते समय स्टील सिटी में शराब की दुकानें खोले जाने के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की थी;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार क्रांति मोर्चा ने 26 नवम्बर, 1977 के अपने पत्र में बोकारो स्टील सिटी में नगर प्रशासन द्वारा बार खोलने की पुनः अनुमति देने के बारे में बात उठाई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पत और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) बोकारो स्टील लि० के नगर प्रशासन को बोकारो स्टील सिटी में शराब का कारोबार करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है । इसके लिए लाइसेंस बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है और बोकारो स्टील लि० तो केवल यह बताती है कि उसे (बोकारो स्टील लि० को) ऐसा लाइसेंस दिए जाने के बारे में कोई आपत्ति तो नहीं है । अब तक कम्पनी ने आठ दुकानों के लिए "अनापत्ति" पत्र जारी किए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां, लेकिन आरोप सही नहीं था । प्रबन्धकों द्वारा "अनापत्ति" पत्र बहुत पहले अर्थात् 25-1-1977 को जारी किया गया था न कि इस्पात मंत्रालय से बातचीत करने के पश्चात् जैसाकि प्रश्न के भाग (ख) में बताया गया है ।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों की रक्षा

4018. **श्री शंकरसिंहजी वाघेला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे विदेशी मिशनों के अधिकारियों पर आक्रमणों के मामलों में विदेशों द्वारा इस बारे में की गई विभिन्न कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कितनी कमी हुई है अथवा ऐसे मामले बन्द हो गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों द्वारा की गई कार्यवाही से सरकार सन्तुष्ट है; और

(ग) आनन्द मार्गियों के हमलों से भारतीय दूतावासों के अधिकारियों और सम्पत्ति को बचाने के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डु) : (क) और (ख) विदेशों ने हमारे कार्मिकों और हमारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, जैसे हमारे मिशनों के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा दलों द्वारा सघन गश्त लगाना और वैयक्तिक अंग रक्षकों की व्यवस्था, उससे सुरक्षात्मक प्रबन्धों में सुधार हुआ है। इस बात का मूल्यांकन करना तो कठिन है कि इससे कितना लाभ हुआ है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि जब कभी अनुरोध किया गया है, विदेशी सरकारों ने इस संबंध में अपना सहयोग दिया है और वे हमारे मिशनों के लिए बेहतर निगरानी की व्यवस्था कर रही हैं;

(ग) सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं और विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों को अनुदेश दोहरा दिये गए हैं ।

मैंगनीज ओर लिमिटेड

4019. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बालाघाट में एक कारखाना स्थापित करने के लिए मैंगनीज ओर लिमिटेड को इस बीच लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस कम्पनी का आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में गैर सरकारी नर्सिंग होमों का कार्यकरण

4020 **श्री अनन्त दवे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने गैर-सरकारी नर्सिंग होम चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को उनके उचित कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार गैर-सरकारी नर्सिंग होमों के कार्यकरण पर कोई निगरानी रखती है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगम्बी प्रसाद यादव) : (क) महोदय, दिल्ली में 89 रजिस्टर्ड नर्सिंग होम हैं ।

(ख) कोई सामान्य शिकायत नहीं मिली है । वैसे कभी-कभी अलग-अलग नर्सिंग होमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) ये शिकायतें सामान्यतया अधिक पैसा चार्ज करने, उपयुक्त चिकित्सा देख-रेख न होने आदि के बारे में होती हैं । इनकी जांच करने के बाद उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । आमतौर पर ये गलत-फ़हमी पर आधारित पाई गई हैं ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने गैर-सरकारी नर्सिंग होमों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1953 पारित किया हुआ है ।

मलेरिया के मच्छर मारने की योजना

4021. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :
श्री अनन्त दवे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम के उप-स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) डा० के० वी० अरोड़ा द्वारा व्यक्त की गई राय की ओर दिलाया गया है कि मलेरिया के मच्छरों को मारने की योजना गलत ढंग से बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन में दिए गए डा० के० वी० अरोड़ा के भाषण का खण्डन पहले ही जारी कर दिया है । दिल्ली नगर निगम में सहायक प्रैस एवं सूचना अधिकारी के 13 सितम्बर, 1977 के उस पत्र की एक प्रति जो उन्होंने टाइम्स आफ़ इण्डिया के सम्पादक के नाम लिखा था, संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०—1379/77)

Measures to Prevent Harmful Effect of Lead

4022. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether during their various studies a team of the All India Institute of Medical Sciences, found excessive lead in the blood and bones of children due to tap water and use of domestic utencils, etc ; and

(b) if so, the quantity thereof in each case and the quantity of lead in excess which is harmful and whether some measures are being contemplated by Government to prevent the harmful effects thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) An estimation of lead was done in the blood of 100 children with Pica (the habit of ingesting or mouthing non-food objects). Some children had blood lead levels higher than those in children who did not eat non-food objects. Testing of bones, tap water or of utencils has not been reported by the All India Institute of Medical Sciences.

(b) The required information is as under :—

	Blood Lead		Number of Children	
	Meg.	100 ml.	Pica	Control
Normal	0	19	57	60
	20	29	14	33
Boderline .	30	39	10	—
	40	49	10	7
	50	59	7	—
Abnormal	60	69	1	—
	70	100	1	—

The preventive aspect in educating mothers the dangers of children nibbing on paint chips, magazines, Newspapers and other non-food articles is important.

Setting up of a Commission for doing Justice to the Persons Sterilized during the last Regime

4023. **Shri Bhagat Ram** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Commission to do justice with the people who became physically disabled and were humiliated and with the families of those killed as a result of forced sterilizations during the last regime; and

(b) if not, the steps taken or proposed to be taken to do justice with such people ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) and(b) : The Government of India have already set up a Commission of Inquiry vide Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 374(E) dated the 28th May, 1977 to inquire into the misuse of authority, excesses and malpractices committed by public servants and other individuals who may have directed, abetted or otherwise associated with the commission of such acts during the period of operation of the Proclamation of Emergency made by the President of India on the 25th June, 1975, or during the period immediately preceding it. One of the Terms of Reference of the Commission of Inquiry is to inquire into the facts and circumstances relating to specific instances of compulsion and use of force in the implementation of the Family Planning Programme during the aforesaid period. In order to provide relief to the persons affected by sterilization operation, the Government provide free medical treatment of all post-operative complications and also provide ex-gratia relief to the dependents of those who die as a consequence of sterilisation operation. Facilities for recanalisation have also been arranged at Government expense for those who may need them. Further the Government have emphatically conveyed to the States that there shall be no use of coercive methods in regard to the promotion of Family Welfare Programme and only educational and motivational approach is to be used.

लहसुन और शिवाम्बु का उपयोग

4024. **श्री एस० एस० दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि के रूप में 'लहसुन' और 'शिवाम्बु' के नियमित उपयोग को अनुभव और विज्ञान, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर गम्भीर असाध्य और जीर्ण रोगों का निश्चित और परीक्षित औषधि माना गया है और इस सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों के आधार पर इसे अनुसंधान संस्थानों द्वारा भी मान्यता दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषध कम्पनियों द्वारा नये लेबल लगाकर किन्तु भ्रामक नामों के साथ इन दोनों प्राकृतिक उत्पादों का औषधि के रूप में नियमित उपयोग के लिए उत्पादन किया जा रहा है और समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्वयं इन दोनों प्राकृतिक उत्पादों का औषधि के रूप में नियमित सेवन किया है और इन दोनों प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन, प्रचार तथा सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में मंत्रालय की नीति और मान्यता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबम्बी प्रसाद यादव) : (क) आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में लहसुन अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से लहसुन का सेवन शोथजन्य स्थितियों जैसे सन्धिशोथ (आमवातिक सन्धिशोथ सहित), हृदय के विकारों जिनमें उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा आदि शामिल हैं, आदि के उपचार के लिए किया गया है। विगत कुछ वर्षों में आधुनिक अन्वेषणों (रासायनिक और भेषजगुण दोनों के सम्बन्ध में) से ज्ञात हुआ है कि लहसुन के रस तथा वाष्पशील तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्राल के तल को घटाया जा सकता है और यह क्लाटिंग टाइम कम कर देता है। लहसुन को शोध-रोधी क्रिया का भी हाल ही में अध्ययन किया गया है। यद्यपि शिवाम्बु पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है, तथापि मूत्र के सेवन में, जिसका 'शिवाम्बु' के अन्तर्गत हाल ही में बड़ा प्रचार हुआ है, चिकित्सीय गुण मौजूद बताये जाते हैं।

(ख) अभी हाल ही में लसोना (थामस फ़ार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित) तथा गार्लिक पर्लस (रनबेक्सी प्रयोगशाला आदि द्वारा निर्मित) जैसी विभिन्न दवाइयां बाजार में बेची जानी लगी हैं जिनका सेवन मुख्य रूप से सीरम कोलेस्ट्रेल तल घटाने के लिए किया जाता है। लेकिन, शिवाम्बु के निर्माण के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन दवाइयों तथा इनकी उपयोगिता, आदि का प्रचार संबंधित कम्पनियों द्वारा किया जाता है। यद्यपि वह (श्री राजनारायण) नियमित रूप से लहसुन का प्रयोग करते हैं तथापि वह कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर शिवाम्बु का सेवन भी कर लेते हैं।

Character Assassination of J. P. during Emergency

†4025. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during emergency the Ministry had issued secret notifications for character assassination of Lok Nayak Jayaprakash Narayan and other political leaders ;

(b) if so, the form in which the aforesaid leader were characterized in those notifications; and

(c) whether the then Foreign Minister had himself given orders for issuing each notification or the officers had themselves issued the notifications and obtained approval of the Minister thereon ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu): (a) to (c) : It would be recalled that it came to be the policy of the then Government of India, particularly after the proclamation of Emergency in June, 1975 to criticise Shri Jayaprakash Narayan and other opposition leaders for allegedly attempting to introduce chaos and bringing about a collapse of the administration and government of the day. Some letters and pamphlets were issued containing, among other things, criticism of Shri Jayaprakash Narayan and other opposition leaders.

Talks with Dalai Lama of Tibet

†4026. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Dalai Lama of Tibet has had talks with Prime Minister during July-August ;

(b) if so, the brief details thereof ;

(c) the demands made from the Government of India therein ; and

(d) whether China has expressed strong reaction to the talks held by Dalai Lama with him and the reply given by Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu): (a) to (c) : His Holiness the Dalai Lama paid a courtesy call on Prime Minister Desai on 22nd July 1977, while on his way to Southern India to visit Tibetan refugee establishments, Matters, relating to humanitarian assistance to the Tibetan refugees in India were discussed.

(d) The Chinese Charge d' Affairs in New Delhi lodged a verbal protest with the Government of India on 4th August, 1977. This was followed by an item in the official news agency, the New China News Agency, reporting the protest and criticising the Government of India and its leaders for receiving His Holiness as an interference in China's internal affairs.

The Government of India rejected the Chinese protest on the ground that our assistance to Tibetan refugees in India is of purely humanitarian nature. The Government of India's policy not to interfere in the internal affairs of any country is too well-known to bear repetition.

बोकारो में तथा भारत कोकिंग कोल लि०, झरिया में सुरक्षा एजेंसियां

4027. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्थित इस्पात संयंत्र और भारत कोकिंग कोल लि०, झरिया केन्द्रीय सुरक्षा बल के अतिरिक्त अनेक सुरक्षा एजेंसियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) बोकारो के इस्पात कारखाने की सुरक्षा के लिए केवल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ही तैनात है । जहां तक भारत कोकिंग कोल लि० झरिया का सम्बन्ध है, सुरक्षा कार्य के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा होम गार्ड और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भी लगाई है ।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में प्रश्न नहीं उठता । भारत कोकिंग कोल लि० में वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को आवश्यकताओं के कारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलवा अन्य सुरक्षा अभिकरणों को भी तैनात किया गया है ।

नेशनल यूनियन ग्राफ जरनलिस्टस की ग्रोर से नेशनल हिराल्ड, लखनऊ के पत्रकार कर्मचारियों की बर्खास्तगी तथा उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम को लागू करने के बारे में ज्ञापन

4028. **श्री एन के० शेजवलकर :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन ग्राफ़ जरनलिस्टस ने लखनऊ के नेशनल हिराल्ड के दो पत्रकार-कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में ग्रक्तूबर, 1977 में एक ज्ञापन पेश किया था; ग्रौर यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; ग्रौर

(ख) क्या नेशनल यूनियन ग्राफ़ जरनलिस्टस ने उत्तर प्रदेश ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम को उस राज्य में भी पत्रकार-कर्मचारियों पर लागू करने के लिये केन्द्रीय विधान बनाने की मांग की है ग्रौर यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) शायद ग्राशय सूचना तथा प्रसारण मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिनांक शून्य से है जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में ग्रक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुग्रा था ग्रौर जिसमें नेशनल हिराल्ड के प्रबन्धकों द्वारा दो पत्रकार कर्मचारियों को सताए जाने का ग्रारोप लगाया गया था। यह मामला वस्तुत: राज्य के क्षेत्राधिकार में ग्राता है ग्रौर उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है ।

(ख) उपर्युक्त ज्ञापन में श्रमजीवी पत्रकार ग्रधिनियम में संशोधन करने संबंधी सुझावों पर प्रस्तावित व्यापक ग्रौद्योगिक संबंध कानून के साथ विचार किया जाएगा ।

Sterilization of Employees during Emergency

†4029. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of gazetted and non-gazetted employees in his Ministry who got themselves sterilized during emergency;

(b) whether Government would conduct an enquiry to find out whether some of the operations were done forcibly; and

(c) Government's future Scheme and policy regarding sterilization of employees ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) Ministry of External Affairs do not maintain statistics in regard to this matter.

(b) No complaints have been received from any employee of this Ministry to warrant enquiries as to whether some of the operations were done forcibly.

(c) In its Statement of Policy dated 29th June, 1977, Government have already stated that there should be no coercion or compulsion of any kind in the Family Welfare Programme.

श्रेणी तीन के डाक तार कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों को कथित परेशान किये जाने के विरुद्ध ज्ञापन

4030. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनियन के सक्रिय पदाधिकारियों को परेशान किये जाने के बारे में भुवनेश्वर डिवीजन, उड़ीसा के श्रेणी तीन के डाक-कर्मचारियों की राष्ट्रीय यूनियन से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो यूनियन के पीड़ित कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसमें कितनी अनियमितताएं हुई हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजनीतिक नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों की स्विटजरलैंड की यात्रा

4031. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और बड़े व्यापार गृहों के निदेशकों या सलाहकारों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों में स्विटजरलैंड गये थे;

(ख) स्विटजरलैंड जाने का उनका प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि श्री एन० के० सिंह, श्री बेरीवाला तथा अन्य व्यक्तियों सहित कुछ अधिकारी और व्यक्ति गत तीन वर्षों में स्विटजरलैंड गये थे;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं, जो उपरोक्त अवधि में स्विटजरलैंड गये थे;

(ङ) क्या सरकार ने स्विटजरलैंड जाने के उनके प्रयोजन के बारे में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) से (च) यथासंभव सूचना एकत्र करके सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

दूषित पानी के कारण होने वाले एक रोग के लिये राजस्थान को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

4032. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दूषित पानी पिये जाने के कारण एक विशेष रोग पैदा होने का पता चला है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Payment of Bonus to Employees of M/s. Warner Hindustan

4033. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have given instructions to M/s. Warner Hindustan that they should pay bonus to their employees; and

(b) if so, the basis of the payment of bonus ?

Minister of Parilamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) & (b) Payment of bonus under the Payment of Bonus Act, 1965 is a statutory obligation, as such no specific instructions are required to be given by the Government to individual undertakings. In the instant case, as the State Government is the appropriate Government, details regarding bonus payment by the company are not available with the Central Government.

अमरीका के सांस्कृतिक केन्द्र फिर से चालू करना

4034. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि अमरीका सरकार अपने कुछ सांस्कृतिक केन्द्र फिर से चलाना चाहती है जो वर्ष 1969 में बन्द कर दिए गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दे दी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) भारत सरकार को कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of Medical College in Madhya Pradesh

4035. **Shri Narmada Prasad Rai :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a medical college in the Sagar district of Madhya Pradesh was submitted by the former Government of the State;

(b) if so, the action taken by Government thereon; and

(c) if not, the programme of Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No such proposal has been received by the Government.

(b) Does not arise.

(c) Under-Graduate medical education as well as scheme for the opening of new medical colleges are subjects in the State Sector. There is no scheme for the opening of any new medical college during the Fifth Plan period.

Number of Workers in BALCO

4036. **Shri Shyamlal Dhurve :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of workers as on 31st March, 1977 in the Bharat Aluminium Pvt. Ltd. Kurdart-Dadar Miner BALCO (Amerkantak) Bauxite Mine :

(b) the number among them of those belonging to the local district ; and

(c) whether it will be ensured that local employees are given preference by the management in matter of appointment there ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda) :

(a) 27 at Raktidadar Mines with Mining Office at Khurkhari dadar.

(b) & (c) Statictics of employees on the basis of their regional origin are not maintained by the Company, which is employing local people to the maximum extent possible, within the framework of the recruitment policy applicable to Central Government undertakings, in accordance with Government instructions on the subject.

अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी समाचार ऐजेंसियों द्वारा भारतीय पत्रकारों को अन्तरिम राहत का भुगतान

4037. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही कुछ अंतर्राष्ट्रीय विदेशी समाचार एजेंसियों ने इन एजेंसियों में काम कर रहे भारतीय पत्रकारों को अन्तरिम सहायता का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेन्सियों ने अन्तरिम सहायता का भुगतान नहीं किया है और उनमें से प्रत्येक में कितने भारतीय पत्रकार काम कर रहे हैं; और

(ग) अन्तरिम सहायता का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाराष्ट्र में कोल्हापुर और इचलकर्णजी सिटी में टेलीफोन कनेक्शन

4038. **श्री रामाराम शंकरराव माने** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोल्हापुर और इचलकर्णजी सिटी में प्रतीक्षा सूची में टेलीफोन की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और सरकार उनकी संपूर्ण मांगें कब तक पूरी कर देगी ;

(ख) क्या सरकार इचलकर्णजी में मुख्य डाकघर के लिए भवन निर्माण का काम आरंभ कर रही है जिसके लिए चालू वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि का पुनर्वियोजन करके भूमि अर्जित की गई है ; और यदि नहीं तो भूमि अर्जन पर पहले से किये गये इतने अधिक खर्च को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इस काम को प्राथमिकता देगी; और

(ग) कोल्हापुर जिले में कितने शाखा डाकघर उप-डाकघरों के रूप में बदले जायेंगे जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र भी स्थापित हों और इस वर्ष के दौरान कितने शाखा डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) तारीख 30-11-1977 को प्रतीक्षा सूची की स्थिति इस प्रकार थी :--

(1) इचलकर्णजी	302
(2) कोल्हापुर	621

(1) इचलकर्णजी में मार्च 1978 के अंत तक 100 टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे। आशा है वर्ष 1978-79 के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज बाकी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

(2) कोल्हापुर में मार्च 1978 के अंत तक 250 टेलीफ़ोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है। आशा है कि इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज बाकी लोगों को 1978-79 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(ख) इचलकर्णजी में मुख्य डाकघर के लिए इमारत बनाने का कार्य वर्ष 1978-79 के बजट में रखा गया है और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में शुरू किया जायेगा।

(ग) 31 मार्च, 1978 तक 21 नये शाखा डाकघर खोलने और एक विभागेतर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है। उदार योजना के अधीन उन सभी शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिये जायेंगे, जहां इनका औचित्य सिद्ध होगा।

नागालैंड से चोरी छिपे बाहर जाने वाले नागाओं का गिरोह

4039. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल में लगभग 100 नागा विद्रोहियों का एक नया गिरोह शस्त्रास्त्र प्राप्त करने और गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लेने चोरी छिपे नागालैण्ड से निकल कर चीन जाते हुए पड़ोसी देश बर्मा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में चीन गए 200 विद्रोही प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उत्तर-पश्चिम बर्मा के जंगलों से होते हुए पैदल वापिस आ रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या चीन और भारतीय सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरूआत को देखते हुए भारत सरकार इस संबंध में चीन की सरकार के साथ अपने सद्भाव का उपयोग करेगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, लेकिन उसके पास इस मामले में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) चूंकि सरकार के पास इनकी संख्या के बारे में ठीक-ठीक वितरण तो नहीं है, लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमिगत कुछ नागा जो पहले चीन गए थे, अब वापस लौट रहे हैं।

(ग) सरकार पूर्णतः सतर्क है और जैसी भी स्थिति उत्पन्न होगी उससे यथोचित रूप से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

उड़ीसा में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती

4040. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल, बी०बी० एण्ड आर० में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के बाहर से कुल कितने जूनियर इंजीनियर भर्ती किए गए ; और

(ख) कुल कितने उड़िया जूनियर इंजीनियर प्रशिक्षित किए गए तथा बेकार बैठे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) कोई नहीं।

(ख) 33 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को खपाया जाना है।

Sanction of Automatic Telephone Exchange at Porbander, Junagarh and Veraval Towns

†4041. **Shri Dharmasinbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sanctioned automatic telephone exchanges for Porbander, Junagarh and Veraval towns of Junagarh District in Gujarat ;

(b) when the work on these automatic telephone exchanges is likely to commence and when it is to be completed and the expenditure involved in each of them ; and

(c) the number of new telephones to be sanctioned for these three towns ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Automatic telephone exchange scheme for Junagarh has been sanctioned. Schemes for Porbandar and Veraval are under consideration.

(b) The work on construction of building at Junagarh is likely to commence in 1979-80. Other components are being planned suitably. It is expected that the exchange might be commissioned by 1982. The cost of this scheme is approximately Rs. 1.25 crores.

(c) All demands pending on 30-9-77 at Porbander and Veraval are expected to be met during the current year; those at Junagarh during 1978-79.

Tour Undertaken by Former Health Secretary

4042. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6271 on the 4th August, 1977 re : Tour Undertaken by former Health Secretary and state :

(a) whether the former Health Secretary possessed special knowledge or expertise in the subjects in connection with which he was sent abroad ;

(b) if not, the consideration on which he was sent abroad and a huge amount of public money was spent ;

(c) whether Government propose to conduct an inquiry into this case ; and

(d) if not, the reasons therefor,

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) and (b) As the head of the Departments of Health and Family Planning, Shri Gian Prakash, former Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare, was conversant with the various programmes and was competent to participate in the discussions and meetings in connection with which he was sent abroad.

(c) and (d) No inquiry is considered necessary for the reasons stated above.

Post Offices in the Country

4043. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of Post and Telegraph Offices in the country as on 15th August, 1947 and as on 15th August 1977 and the names of the cities to which the facility of mobile Post Offices have been made available ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): The information is being collected and will be placed on the table of the House.

बुरहानपुर खंडवा और हरसूद से ट्रंक काल

4044. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुरहानपुर, खंडवा और हरसूद (मध्य प्रदेश) से अन्य नगरों तथा कस्बों को 1-11-76 से 31-10-77 तक कुल कितनी ट्रंक काल को गईं; और

(ख) उनमें से कितनी ट्रंक काल मिली और ट्रंक काल मिलाने में कितना समय लगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरिप्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र को जा रही है और इसे शीघ्र हो सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसर्स राजकपूर की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

4045. **श्री कल्याण जैन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सुप्रसिद्ध अभिनेता/फ़िल्म निर्माता मेसर्स राजकपूर द्वारा भविष्य निधि की राशि का भुगतान प्रायः नहीं किया जाता था और यदि हां, तो प्रत्येक बार कितनी राशि का कितने समय तक भुगतान नहीं किया गया था।

(ख) क्या इस बारे में दोषी पाये जाने के लिए किसी फ़र्म के विरोध न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार वापस नहीं लिया जा सकता है।

(ग) क्या राजकपूर के विरुद्ध बम्बई के एक न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा इस बारे में सभी नियमों का उल्लंघन करके वापस ले लिया गया था। और यदि हां तो यह मुकदमा अवैध तरीके से किन कारणों से वापस लिया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार बकाया की अवधियां और राशियां नीचे दी गई हैं :—

अवधि	अंशदान	प्रशासनिक प्रभार
	रु०	रु०
फरवरी, 1971 से मई, 1972 तक	36035.50	824.75
मार्च, 1972 से जून, 1972 तक	20257.00	467.25
जून, 1973 से जनवरी, 1974 तक	25577.75	309.05
परिवार पेंशन	14.00	

(ख) भविष्य निधि अधिनियम या भविष्य निधि योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन मुकदमा चलाया जाता है और उसके उपबन्धों के अनुसार ही मुकदमे वापिस लिए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मच्छरों को मारने के लिए दवा छिड़कना

4046. **श्री पी० के० कोडियन : श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थय और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मच्छरों को मारने के लिए दवा छिड़कने के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें आरोप लगाया है कि यह काम खाली कागजों पर हुआ है घरों में नहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में पूरी जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के अनुसार स्टाफ रिपोर्टर के अनुरोध पर नई दिल्ली नगरपालिका के मलेरिया रोधी अधिकारी डा० वी० एन० रियु ने "स्टेट्समैन" के स्टाफ रिपोर्टर के साथ कुछ क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने उन चार मकानों को देखा जिनके बारे में सहायक सफ़ाई निरीक्षक (मलेरिया) ने अपने छिड़काव रजिस्टर में यह दर्ज किया था कि इनमें से तीन मकानों में 4-11-1977 को छिड़काव किया गया था और एक में 1-11-1977 को। इन मकानों की वास्तविक रूप से जांच करने पर यह पता चला कि पहले तीन मकानों में छिड़काव नहीं किया गया था, जबकि चौथे मकान का विधिवत छिडकाव किया गया था। संबंधित सहायक सफाई निरीक्षक (मलेरिया) को 4-11-77 को चौदह ऐसे मकान छिड़काव करने के लिए दिए गए थे जहां मलेरिया के पाजिटिव रोगी पाए गए थे। दस मकानों में छिड़काव किया गया था और अन्तिम चार मकानों में छिड़काव नहीं किया गया था। लेकिन रजिस्टर में यह दर्ज कर दिया गया था कि उनमें छिड़काव किया जा चुका है। संबंधित सहायक सफाई निरीक्षक (मलेरिया) का स्पष्टीकरण लेकर उसे सख्त चेतावनी दे दी गई है और संबंधित मकानों का तत्काल छिड़काव करा दिया गया था।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल चढाने-उतारने का ठेका लेने वाली सहकारी समिति को कम राशि के भुगतान के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) इलाहाबाद का नोटिस

4047 **श्री सुभाष आहुजा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल उतारने-चढ़ाने का काम ठेके पर करने वाली सहकारी समिति को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) इलाहाबाद द्वारा कम राशि के भुगतान को पूरा करने के लिए नोटिस दिया गया है;

(ख) क्या प्रधान नियोक्ता अर्थात् वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे को भी ऐसा ही नोटिस दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति और प्रधान नियोक्ता पर ऐसी कितनी राशि बनती है और उनने यह राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) संबंधी केन्द्रीय नियमों के अभिकथित लागू न किए जाने के कारण श्रमिकों को कम किए गए भुगतान की राशि 31,621.50 रुपये है। मजदूरी भुगतन अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावा-आवेदन पत्र दायर करने की स्वीकृति देने से पूर्व उक्त राशि के संबंध में प्रधान नियोजक के विरुद्ध दावा-प्रस्ताव की क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

Opening of Sub-Post Office in Bahraich, Uttar Pradesh

†4048. **Sri Rudra Sen Chaudhury :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to open sub-Post Offices in the headquarters of Development Blocks in Baharaich (U.P.); and

(a) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : Out of 10 Blocks, 10 Block Headquarters have sub-Post Offices and remaining have Branch Post Offices. Two are being upgraded from 1-1-1978.

आल इंडिया नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक एम्पलाईज फेडरेशन से अभ्यावेदन

4049. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक एम्प्लाईज फैडरेशन से बैंक प्रबन्धकों की प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियाओं और पुराने लम्बित मामलों का निपटान करने से इन्कार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) आल इंडिया नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक इम्प्लाईज फैडरेशन से 2-11-1977 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिबंधी बैंकिंग प्रथाओं और अनुचित तथा प्रतिशोधनात्मक व्यवहारों को आरम्भ करने का आरोप लगाया गया था। जहां तक प्रतिबन्धी बैंकिंग प्रथाओं का संबंध है, रिजर्व बैंक ने इस बैंक को यह सुझाव दिया है कि उसे स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा सावधि विक्षेपों के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि तथा उन्हें स्वीकार करने की अधिकतम अवधि में समुचित परिवर्तन करना चाहिए। अनुचित तथा प्रतिशोधात्मक श्रम व्यवहारों के संबंध में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस फैडरेशन और/या इसके घटकों द्वारा उठाये गए विवादों के संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने समय-समय पर कार्यवाही की है और जहां कहीं तथ्यों के आधार पर ऐसा करना न्यायोचित था, सरकार ने कुछ विवादों को न्यायनिर्णय के लिए भेजा है।

Pay Scale of Pharmacists

4050. **Shri Ishwar Chaudhury :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Health Ministry of the Government of India had agreed in 1973 to give technical grade of Rs. 425—700 to pharmacists ;

(b) whether the Pharmacists Council of India also have approved a pay scale for Pharmacists in commensurate with qualifications and professional abilities;

(c) whether the pay scale of pharmacists is not adequate in spite of the fact that the post of pharmacists is a medical and technical one and prospects of promotion are negligible ; and

(d) the reasons for which Government have been ignoring their claims to proper pay scale and creation of avenues of promotion for them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No.

(b), (c) & (d) : The 3rd Pay Commission had recommended a pay scale of Rs. 330-560 to the pharmacists who were in the pay scale of Rs. 130-240. The suggestions of the Pharmacy Council of India and various other organisations of the pharmacists for upgradation of their scale of pay were carefully considered, but it was not found possible to agree to the same for the reason that such steep increase in the emoluments of Pharmacists is likely to have repercussion on the other para-medical categories as well as other scientific/technical categories in Class III like Laboratory Technicians, Junior Research Assistants, Draftsmen etc. under various Ministries. As far as the subject of creation of avenues of promotion for the pharmacists is concerned it was decided that it would be more appropriate to take a decision in this regard on the basis of the result of the discussion with the staff side of the National Council (JCM) on the Pay Commission's general recommendations relating to the percentage of posts in Class III services to be placed in the Selection Grade and criteria therefor.

विदेशों में भारतीयों से लिये गये धन को स्वदेश भेजना

4051. **श्री विनोद भाई बी० शेट :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा, बर्मा आदि जैसे देशों में भारतीयों से वहाँ की सरकारों द्वारा लिए गए धन को स्वदेश भेजने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों के दावों का तत्काल निपटान करने के लिए कार्यवाही करने का है ताकि उन्हें मुआवजा समय पर मिल सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) : विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति अधिगृहीत कर लिये जाने पर उन्हें मुआवजा देने का प्रश्न वस्तुतः एक जटिल प्रश्न है जिसमें कि दूसरी बातों के अलावा राष्ट्रीयकरण से सम्बन्ध परिस्थितियों, सम्बद्ध देश के आंतरिक विनिमय और संपत्ति के अधिग्रहण से सम्बद्ध कानून की प्रकृति के सवाल भी शामिल रहते हैं। इस प्रकार के मुआवजे के लिए समप्रभुत्ता-प्राप्त राज्यों के बीच की बातचीत अनिवार्यतः जटिल होती है और इसमें समय भी लगता है और साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रथा की रूपरेखा के अंतर्गत भी करना होता है ।

भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति अथवा उनके कोषों के अधिग्रहण से सम्बद्ध मामलों में जब कभी जरूरत होती है, विदेश-स्थित भारतीय मिशन उनकी समुचित सहायता करते हैं। 1972 में जो भारतीय

राष्ट्रिक उगांडा छोड़कर चले आये थे उन्हें मुआवजा देने के बारे में उगांडा सरकार के साथ एक द्विपक्षीय मुआवजा समझौते के बारे में बातचीत की गई थी। बर्मा में भारतीय राष्ट्रिकों की समस्याओं के समाधान के प्रश्न पर पिछले कुछ वर्ष से विचार-विमर्श हो रहा है।

भविष्य निधि संगठनों में सहायक आयुक्तों की तदर्थ नियुक्ति

4052. **श्री सौगत राय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि संगठनों में कुछ सहायक आयुक्त तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कब से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें उस तारीख से नियमित करने का है जिससे नियमित पद उपलब्ध हों और यदि हां तो कब ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंहा) : (क) जी, हां।

(ख) सहायक भविष्य निधि आयुक्तों के दो ग्रेड हैं, अर्थात् सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-2) (650–1200 रु०) और सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-1) (700–1300 रु०)।

इन दो ग्रेडों में की गई तदर्थ नियुक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड—1)	सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड—2)
1967	1	
1969	1	
1971	1	
1972	1	..
1974	1	2
1975	12	
1976	6	2
1977	7	..
योग	30	4

(ग) तदर्थ नियुक्तियां लोकहित में अल्पावधियों के लिए की जाती हैं और जब तक नियमों के अनुसार पदों को नियमित आधार पर भर नहीं दिया जाता, इन तदर्थ नियुक्तियों को जारी रहने दिया जाता है।

Smelter Plant in Balaghat, M.P.

4053. **Shri Rameshwar Patidar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased **to state :**

(a) whether projects are under consideration of Government apart from smelter plant to be set up in Balaghat District (M.P.); and

(b) if so, the time by which they are likely to be commissioned ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) In Balghat District, M.P. apart from the mining and beneficiation of copper ore project at Malanjkhand, Manganese Ore (India) Limited has a proposal to set up a plant at Ukwa for the beneficiation of manganese ore.

(b) As the proposal to establish the beneficiation plant at Ukwa by Manganese Ore (India) Limited is still in a preliminary stage, it is premature to indicate a time schedule for its completion. The Malanjkhand Copper Project is scheduled to be commissioned in 1981-82.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था को कोलार के निकट सोना मिलना

4054. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने कोई सर्वेक्षण किया है और उसे कर्नाटक में कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के निकट सोने के नए निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था के खोज कार्यों से कोलार स्वर्ण क्षेत्र के मैसूर खान क्षेत्र में संभावित आर्थिक महत्व की स्वर्ण-खनिज पट्टी तथा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मालल्वा कोंडा और चिगारगुंडा के निकटवर्ती क्षेत्र में 2 नए प्राप्तिस्थलों का पता चला है। मैसूर खान क्षेत्र में 200 मीटर की गहराई पर 8 ग्राम/टन की मात्रा वाले 25000 टन भंडार होने का अनुमान है। उपर्युक्त क्षेत्रों में और अधिक अयस्क की पुष्टि के लिए काम चल रहा है।

Dispensary in Trans-Yamuna Area

4055. **Shri Phool Chand Verma** : Will the **Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only two Central Government dispensaries are functioning in the trans-Yamuna area of Delhi ;

(b) whether it is also a fact that there is great rush of patients in these two dispensaries ;

(c) the number of beneficiaries in each of these dispensaries ;

(d) whether Government propose to open four more dispensaries there immediately in order to reduce the rush ; and

(e) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) Yes.

(c) The number of beneficiaries registered upto the end of October, 1977 at the C.G.H.S. Dispensary, Shahdara and C.G.H.S. Dispensary, GKG are 28925 and 36715, respectively,

(d) & (e) The question of opening an additional C.G.H.S. Dispensary in the trans-Yamuna area is under active consideration.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य का सुधार

4056. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्वस्थ और अस्वस्थ लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) खराब स्वास्थ्य के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) अस्वास्थ्य के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. पानी से हुई बीमारियां, जैसे दस्त और पेचिश।

2. बुखार, जैसे आन्त्रज्वर।

3. श्वास संबंधी बीमारियां, जैसे निमोनिया, श्वसनी शोथ, क्षयरोग आदि।

(4) आंख पर असर डालने वाली बीमारियां विशेष रूप से नेत्रश्लेषमला शोथ।

5. त्वचा की बीमारियां, जैसे खुजली आदि।

6. कुपोषण और अल्प पोषण।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, प्रतिरक्षण कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं।

Bidi Workers and Wages

4057. **Shri Birendra Prasad :** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4361 on **the 21st July, 1977 and state :**

(a) whether the information has since been collected and if not, by when it would be laid on the Table of the House ;

(b) whether uniform rates of wages are enforced in all the States of India and if not, whether Government of India propose to take any step to bring this uniformity; and

(c) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) According to information made available by the State Governments, the number of bidi factories and workmen working there, statewise, is given in the Annexure.

(b) and (c) In State Labour Ministers' Conference held in September, 1974, it was agreed that the minimum rates of wages in bidi industry should be revised further within the range of Rs. 4.50 and Rs. 5 for rolling 1000 bidis and this has largely been implemented. The enforcement of the minimum wages for bidi workers is being looked after by the State Governments.

Statement

State	No. of bidi factories	No. of workers working in these factories	No. of inspections during 1976	No. of Factories against which action was taken
1. Madhya Pradesh	1035*	28,201	1,309*	NIL
2. Uttar Pradesh .	2659	55,912	98	27
3. Andhra Pradesh .	3526	1,12,387	1,933	NIL
4. Karnataka . .	2827	1,76,299	93	NIL
5. Tamil Nadu .	1731*	17,142	1,732*	NIL
6. Bihar . .	2500	50,000	1,604	29
7. Maharashtra .	1895	2,80,328	155	NIL
8. Kerala . .	1562	64,329	917	NIL
9. Orissa .	473	9,946	32	NIL
10. Gujarat .	502	4,696	239	NIL
11. Rajasthan .	207*	13,930	220*	18
12. Tripura .	20	490	20	1
13. Assam .	16	2,500	16	NIL
14. Sikkim . .	01	20	..	..
15. Nagaland * .	01	04	..	..
16. West Bengal	—Information not received—			

*The number of inspections are more because some factories are inspected more than once.

Improvement of Communication System in Remote Areas

4058. **Shrimati Parvati Debi :** Will the Minister Communications be pleased to state:

(a) whether there is any Scheme to provide or improve the communication system in remote areas of Ladakh ; and

(b) if so, the details of the Scheme to provide communication system in backward areas of Janskar, Nubara, Neoma, Durbuk, Dah-habu, Skyurbuchan and Wakha-Mullik ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes, Madam.

(b) Post Offices already exist at Diskit (Nubara), Sukarbachan (Skyurbuchan), and Mullick (Wakha-Mallik) and Nyoma (Neoma). Cases for opening of Post Offices at Durbuk (Darbak) and Janskar (Zanskar) are under examination. There is no proposal at present to open post office at Dah-habu.

Out of 235 villages in Ladakh, 218 are covered by daily delivery arrangements. There are already 54 post offices in Ladakh.

Information regarding telegraph and telephone facilities is being collected and will be placed on the table of Lok Sabha.

उड़ीसा में डाकघर

4059. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने नये डाकघर और उप डाकघर खोले जाने की योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में, स्थल चयन को अन्तिम रूप देने के बाद प्रधान डाकघर की इमारत का निर्माण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ; और

(ङ) क्या डाकघर की इमारत का निर्माण करने के लिए क्यांझर जिले के निवासियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नर हरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) से (ङ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे जल्दी ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में चिकित्सा सुविधाएं

4060. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुछ अस्पताल तथा परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए अस्पतालों में कितनी शय्या क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : 1978-79 के वित्तीय वर्ष में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र में कोई नये अस्पताल तथा परिवार कल्याण केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

पश्चिम एशिया में रोजगार की तलाश करने वाले केरल के युवकों की कठिनाइयां

4061. **श्री बी० के० नायर** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें पता है कि सरकार द्वारा पारपत्र जारी करने के संबंध में हाल ही में अपनाई गई उदार नीति के बाद, हजारों की संख्या में, मुख्यत: केरल के युवक, रोजगार की तलाश में पश्चिम एशिया के देशों में जा रहे हैं ;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि उनमें से अनेक के संबंध में रोजगार की स्थिति इतनी अधिक खराब है कि उनकी इतनी आशा नहीं थी और उन्हें विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) उदार अनुमोदन नीति (लिबरलाइज्ड एन्डोर्समेंट पालिसी) के लागू होने के पश्चात्, भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 2,51,110 पासपोर्ट जारी किए गए थे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो रोजगार के लिए वास्तव में पश्चिम एशिया के देशों में गए हैं या उनके उद्‌गत राज्यों के संबंध में, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

यद्धपि, सरकार द्वारा जून, 1976 में लिए गए निर्णय के अनुसार, विदेशों में रोजगार के लिए भारत से कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की भर्ती को श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा उस मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तों पर क्रमबद्ध (चेनलाइज्ड) किया जाता है, तो भी सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ अनधिकृत तथा बेईमान भर्ती एजेंटों द्वारा बिना उचित रोजगार करारनामे के बड़ी संख्या में श्रमिक विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती किए जा रहे हैं तथा इस प्रकार उन्हें कठिनाइयां होती हैं।

भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अन्तर्गत कामगरों को संरक्षण दिया जाता है। सरकार निकास के स्थलों (पाइंटों) पर भी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि अवैध उत्प्रवासियों को जाने की अनुमति न मिल सके जब तक कि वे उत्प्रवासी अधिनियम 1922 के अन्तर्गत अपेक्षित जरूरी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त, हर एक पासपोर्ट आवेदन फार्म के साथ एक चेतावनी नोटिस संलग्न होता है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि अगर वह किसी लाभपूर्ण रोजगार के लिए विदेश जा रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी भर्ती केवल किसी प्राधिकृत भर्ती एजेंट जो कि श्रम मंत्रालय के साथ पंजीकृत है, द्वारा की गई है और उत्प्रवासियों के संरक्षक के सामने, श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक ठोस रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण

4062. **श्री बसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां, एक केन्द्रीय कानून जो सभी पर लागू हो, विचाराधीन है। अभी इस कानून को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ; अतः ब्यौरा संभव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नही उठता।

भारत-पाक सम्बन्ध

4063. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार भारत-पाकिस्तान संबंधों में आगे सुधार के लिये पाकिस्तान की यात्रा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) और (ख) अच्छी प्रतिवेशिता के संबंधों के हित में परस्पर उपयुक्त किसी भी समय पाकिस्तान की यात्रा करके मुझे प्रसन्नता होगी। बहुत से महत्वपूर्ण पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के कारण यह कार्य शायद जल्दी संभव न हो। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि यथा समय यह यात्रा तय हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में टेलीफोन की शिकायतें

4064. **श्री हरगोबिन्द वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग को गत तीन महीनों के दौरान सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश) में कुल कितनी शिकायतें मिलीं और क्या सभी शिकायतों की उसी दिन सुनवाई की गई थी जिस दिन वे की गई थीं और यदि नहीं, तो कितनी शिकायतों पर उसी दिन कार्यवाई नहीं की गई ; और

(ख) कुल कितने ट्रंक काल बुक किये गये और ऐसे कितने ट्रंक काल रद्द किये गये जो उस दिन नहीं मिले ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) पिछले तीन महीनों (अर्थात् सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1977) के दौरान टेलीफोन संबंधी 820 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 42 को छोड़कर बाकी सभी शिकायतों पर उसी दिन कार्यवाई कर दी गई थी। शेष 42 शिकायतों पर अगले दिन कार्यवाई की गई थी।

(ख) कुल 43,533 ट्रंक कालें बुक की गई थीं। इनमें से 2700 कालें उसी दिन न लग पाने के कारण रद्द करा दी गई थीं।

बैंकों में भविष्य निधि जमा किया जाना

4065. **श्री एस० ननजेश गौडा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अन्तर्गत भविष्य निधि की समूची राशि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा ऐसे किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जैसा कि केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, जमा की जायेगी ;

(ख) क्या कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बैंकों को छोडकर अन्य बैंकों में भविष्य निधि का धन जमा किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी बैंकों और उसकी शाखाओं के नाम क्या हैं तथा क्या ये सभी बैंकर वर्तमान सी० पी० एफ० सी० कर्नाटक के स्थायी निवास स्थान के हैं; और

(घ) सरकार ने इस अवैध कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि भविष्य निधि खाते में जमा राशियों का सरकार द्वारा विहित निवेश-नमूने पर निवेश किया जाता है। प्रशासनिक खाते में पड़ी अधिशेष की राशियों का निवेश तत्कालीन उप श्रम मंत्री, जो केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष थे, के अनुमोदन से सावधि निक्षेपों के रूप में स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों में तथा दिल्ली स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में भी किया गया है, जैसे सिंडीकेट बैंक, केनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक।

(घ) 8 जून, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कि भविष्य निधि संगठन के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए थे, शाह आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है, जो उन्हें भेज दी गई है। उसमें लगाए गए आरोपों के संबंध में सरकार ने अंतिम निर्णय अभी लेना है।

महरौली, नई दिल्ली स्थिति क्षय रोग अस्पताल में श्री केशर सिंह की मृत्यु

4066 **श्री टी० एस० नेगी०** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1977 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि महरौली स्थित क्षय रोग अस्पताल में नर्सों तथा डाक्टरों की लापरवाही के कारण श्री केशर सिंह की दुखद मृत्यु हो गई ;

(ख) इस दुःखद घटना के लिये उत्तरदायी नर्सों तथा डाक्टरों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) उक्त अस्पताल की शोचनीय दशा में सुधार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि वहां रोगियों को उचित देखभाल की जाये ताकि भविष्य में ऐसी दुःखद घटनाएं न हों, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का मृतक के परिवार को राहत देने के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच करने पर यह पाया गया है कि संबंधित नर्सों और डाक्टरों ने रोगी श्री केशर सिंह की मृत्यु होने तक विधिवत देखभाल की। इसलिए किसी नर्स या डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

Places of Telephone Exchanges Air-Conditioned in Uttar Pradesh

4067. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether air-conditioned place is required for installation of machines of exchanges and if so, the number of places in Uttar Pradesh where air-conditioning facilities are available in the exchanges working round the clock;

(b) the other requirements for smooth running of these exchanges; and

(c) the action being taken in this regard by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : Air-conditioning is needed for large type of automatic exchanges. In U.P., out of 16 such exchanges, 11 are already air-conditioned, remaining are being air-conditioned.

(b) Availability of adequate trained technical personnel and timely supply of spares.

(c) Government is taking necessary steps to provide adequate training to the maintenance staff and for timely supply of the spare parts.

लंदन में भारतीय छात्रावास का बन्द होना

4068. **श्री रेणुपद दास** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय छात्रों के छात्रावास को जो कि वहां जाने वाले भारतीय छात्रों के लिये सब से सस्ता आवास स्थान है, लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा इसे गिराये जाने के कथित निर्णय के फलस्वरूप, छात्रों को निकाल बाहर कर शायद बन्द करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग लंदन विश्वविद्यालय से इसे दीर्घावधि पट्टे पर लेने और उसे उचित दर पर जिसे औसत भारतीय विद्यार्थी विदेश में उच्च अध्ययन के लिए खर्च कर सकता है, ठहरने के लिये आदर्श स्थान बनाने में क्यों असफल है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) लन्दन में भारतीय छात्रावास 1947 में खोला गया था। जिस भवन में यह है वह लंदन विश्वविद्यालय से पट्टे पर लिया गया है। इस पट्टे की अवधि 1959 में समाप्त हो गयी और अब यह वार्षिक पट्टे के आधार पर चल रहा है। इस भवन की जीर्ण दशा के कारण लंदन विश्वविद्यालय इसे गिरा देना चाहता है। परन्तु यह कब हो जाएगा, इस बात की जानकारी नहीं है। यह सच नहीं है कि छात्रावास के बन्द हो जाने से छात्रों के रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। लंदन में उचित मूल्य का अन्य आवास स्थान भी उपलब्ध है। लन्दन में इस समय 700 से अधिक भारतीय छात्र हैं जिनमें से केवल 35 छात्र ही इस छात्रावास में रहते हैं। जुलाई, 1977 में शिक्षा मंत्रालय ने भी इस छात्रावास को हमेशा के लिए बंद कर देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) लंदन-स्थित भारत के हाई कमीशन ने छात्रावास की इस इमारत को दीर्घावधि पट्टे पर प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवसरों पर लंदन विश्वविद्यालय के साथ कई बार जोरदार प्रयत्न किये परन्तु विश्वविद्यालय ने केवल वर्ष दो वर्ष के पट्टे के आधार पर अवधि बढ़ाना स्वीकार किया।

उपग्रह के जरिए विदेशों के साथ संचार सम्पर्क स्थापित करना

4069. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह के जरिए विदेशों के साथ अधिकाधिक संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और विश्व के सभी बड़े देशों के साथ कब तक संचार-सम्पर्क स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ख) उपग्रह सेवा स्थापित करने के लिये कितना खर्च होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई) : (क) अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत उन 39 देशों के साथ सीधा उपग्रह संचार सम्पर्क स्थापित कर सकता है जो हिन्द महासागर के ऊपर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इंटलसेट) के उपग्रह के माध्यम से संचार सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और जहां मानक किस्म के भू-केन्द्र स्थापित हैं।

भारत ने 1 दिसम्बर, 1977 को नीचे लिखे देशों के साथ सीधा उपग्रह संचार सम्पर्क स्थापित कर लिया था :

1. आस्ट्रेलिया
2. बंगला देश
3. बेरीन
4. पूर्वी अफ्रीका
5. हांगकांग
6. ईरान
7. इटली
8. जापान
9. कुवैत
10. मलयेशिया
11. सिंगापुर
12. श्रीलंका
13. थाइलैण्ड
14. ब्रिटेन
15. फ्रांस
16. स्पेन
17. पाकिस्तान
18. संयुक्त अरब अमीरात
19. अमान
20. जाम्बिया

आगामी दो वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से शेष देश जैसे पश्चिम जर्मनी, नीदरलैण्ड, ग्रीस, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, सऊदी अरब, इराक, अल्जीरिया, सीरिया, नाइजेरिया के साथ सीधा उपग्रह संचार सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव ऐसे संचार सम्पर्क की स्थापना के लिए सम्बद्ध देश की स्वीकृति, परियात में वृद्धि और प्रचालन की अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर होगा।

उपग्रह द्वारा सीधे संचार सम्पर्क के अलावा भी भारत का संसार के सभी देशों के साथ तार सेवा सम्पर्क, 197 देशों के साथ टेलीफोन सेवा सम्पर्क और 191 देशों के साथ टेलेक्स सेवा सम्पर्क है। यह सम्पर्क संचार तंत्र की 'थ्रू पुट' और 'स्विच्ड' प्रणाली का प्रयोग कर स्थापित किया जाता है। केबल के माध्यम से विस्तार की सुविधा का उपयोग कर संसार के सभी बड़े देशों के साथ उपग्रह सम्पर्क सुलभ है। ऐसी संचार सुविधा सोवियत रूस से सम्पर्क के लिए नहीं है क्योंकि इस देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टलसेट) उपग्रह के माध्यम से सम्पर्क संभव नहीं है।

(ख) बाह्य संचार सेवा के लिए यह उपग्रह सम्पर्क पुणे और देहरादून में 18 करोड़ रुपयों की लागत से संचार सम्पर्क के लिए बने दो भू-केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। उपग्रह संचार सेवा के विस्तार के लिए, आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978—83) में 14 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

विदेशों में भेजे गये इंजीनियर, डाक्टर और अध्यापक

4070. **श्री सी० वेणुगोपाल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के माध्यम से कितने इंजीनियरों, डाक्टरों और अध्यापकों तथा अन्य कार्मिकों के विदेशों में कार्य हेतु नाम दर्ज किये और उन्हें प्रतिनियुक्त किया ; और

(ख) उन की राज्यवार क्या संख्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुरक्षित

विदेश नियोजन पैनल पर 30 जून, 1977 तक 27,156 लोगों का नाम पंजीकृत किया गया। विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञों (इंजीनियर, डाक्टर, अध्यापक, आदि) की संख्या इस प्रकार है:

इंजीनियर	6750
डाक्टर	9097
अध्यापक	6468
लेखाकार	2078
विविध	2763

1970 के बाद द्विपक्षीय नियोजनों के लिए प्रतिनियुक्त/चुने हुए विशेषज्ञों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह मंत्रालय ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का राज्यवार रिकार्ड नहीं रखता।

विवरण

वर्ष	डाक्टर	नर्सें तथा अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारी	प्रोफेसर/अध्यापक/शिक्षा-अधिकारी	इंजीनियर, वास्तुकार, भू-वैज्ञानिक तथा अन्य तकनीकी विशेषज्ञ	वित्तीय विशेषज्ञ, लेखा-कार आदि	अर्थशास्त्री तथा सांख्यि-कीविद्"	विविध विशेषज्ञ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970 . .	12	4	24	74	30	10	16	170
1971	30	4	89	76	25	2	25	251
1972	117	281	60	133	43	3	41	678
1973	119	95	249	253	38	1	46	801
1974	165	184	163	530	42	4	70	1158
1975	1369	218	335	214	16	3	161	2316
1976 . .	321	152	146	315	12	16	21	983
1977 से 31-10-77 तक	744	226	211	422	111	2	11	1727
कुल . .	2877	1164	1277	2017	317	41	391	8084

घटिया आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन

4071. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुर्वेदिक औषधियों के अधिकांश निर्माता स्टेंडर्ड औषधियां नहीं बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप औषधियों की आयुर्वेदिक पद्धति की बदनामी होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या तत्कालिक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान नकली औषधियों का उत्पादन करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के कितने निर्माताओं को हिरासत में लिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में अभी तक कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ये औषधियां उपयुक्त मानक की हैं या नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों के बन्द होने से प्रभावित श्रमिक तथा उत्पादन

4072. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक असन्तोष के कारण उद्योगों के बन्द होने के फलस्वरूप गत सात महीनों के दौरान कितने श्रमिकों तथा कितने उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ख) श्रमिकों तथा उत्पादन के हितों के संरक्षण हेतु सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7380(77)]** जिसमें अप्रैल से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के सम्बन्ध में हड़तालों तथा तालाबन्दियों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या तथा इस प्रकार की हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण हानि हुए उत्पादन का मूल्य दर्शाया गया है ।

(ख) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केन्द्र तथा राज्यों के औद्योगिक सम्बन्ध तंत्रों की सहायता देश के औद्योगिक वातावरण में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, समझौते कराने के विचार से सरकार विवादों में हस्तक्षेप कर रही है।

सरकार औद्योगिक सम्बन्ध कानून में व्यापक संशोधन करने के काम में भी लगी हुई है ताकि संसाधन, न्यायनिर्णय, विवाचन आदि जैसे तंत्रों में, जो विवादों को तय करने के लिए इस समय विद्यमान हैं, सुधार किया जा सके, जिससे विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो और परिणामस्वरूप औद्योगिक अशांति के कारण कम हो जाएं।

रेड क्रास के कर्मचारियों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक

4073. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इंडियन रेड क्रास के कुछ कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री के साथ भेंट की थी और वे रेड क्रास से सम्बन्धित कुछ मामले उनके ध्यान में लाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने कुछ पदाधिकारियों को त्याग पत्र देने के लिये अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके निदेश का पालन किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जब तक त्यागपत्र के लिए कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी व्यक्ति से त्यागपत्र देने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों के घरों के लिये केन्द्रीय सहायता

4974. **श्री रामानन्द तिवारी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों के लिये अधिक घर बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, हां। स्वैच्छिक संगठन अर्थात् हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, भुवनेश्वर ने उड़ीसा राज्य में कटक, सम्बलपुर और पुरी में रोग मुक्त कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास/व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने इस संघ को इस प्रकार सहायता-अनुदान मंजूर/रीलीज किया है:—

	1974-75 के दौरान संस्वीकृत अनुदान	अब तक रिलीज की गई किस्तों की राशि	प्रयोजन
	रुपये	रुपये	
1. पुरी में रोगमुक्त कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए	81,375	81,375	उपकरणों को खरीदना तथा स्टाफ़ को वेतन देना
2. कटक में —तदेव—	2,83,100	2,00,000	—तदेव—
3. सम्बलपुर में —तदेव—	2,83,100	1,82,100	—तदेव—
		4,63,375	

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांच व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

4075. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित संस्थान की पद्धति पर विभिन्न स्थानों पर पांच व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यावसायिक संस्थानों का प्रयोजन औद्योगिक एवं निर्माण सम्बन्धी उत्पादन के तरीकों के लिए ऊंचे दर्जे का कौशल और विशेष ज्ञान प्रदान करना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मद्रास स्थित संस्थान अच्छा कार्य नहीं कर रहा है ; और

(घ) ये संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में किस हद तक सहायक सिद्ध होंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) के सहयोग से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रारम्भ की गई उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के प्रशिक्षण क्रियाकलापों का विस्तार करने तथा कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लुधियाना और हैदराबाद में स्थित पांच केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों में चुने हुए व्यवसायों में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण को शुरू करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, 15 राज्यों में 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चुने हुए व्यवसायों में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली कार्यकलापों का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां। इस प्रणाली में विभिन्न उच्च तथा विशिष्ट कौशलों में उच्च दक्षता प्राप्त कामगरों तथा टकनीशियनों के प्रशिक्षण की परिकल्पना है जो किसी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास पूर्ण रूप से चालू है और बिल्कुल संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के कौशल विकास कार्यक्रमों की उद्योगों द्वारा प्रशंसा की गई है और प्रशिक्षण स्थानों की मांग के लिए हमेशा वृद्धि हुई है ।

(घ) उच्च प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगले पांच वर्षों में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के लिए अनन्तिम लक्ष्य अनुमानतः 14,000 है ।

बिड़ला कंपनियों द्वारा 'बिलेट्स' का निर्यात

4076. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला कम्पनियां 6,000 रुपये प्रति टन की दर पर 'बिलेट्स' का निर्यात कर रही हैं जबकि देश की मंडियों में इसका भाव 11,000 रुपये प्रति टन है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वास्तविक भाव 6,000 रुपये प्रति टन से बहुत अधिक है और दोनों के अंतर को विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Persons Accompanied Prime Minister on his Visit to USSR

†4077. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the names of the persons who accompanied the Prime Minister during his recent visit to Soviet Union on Government expenses together with the names of Officers and Institutions to which they belong ; and

(b) the expenditure incurred on them and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) & (b) The required information is furnished in the Statements laid on the Table of the House. [Placed in Library *see* No. LT-1381/77].

कांगड़ा शैली की चित्रकला से सम्बद्ध व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

4078. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि महाराजा संसारचन्द, जिन्होंने प्रसिद्ध कांगड़ा शैली की चित्रकला को आश्रय दिया था, हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार श्री चन्द्रधर शर्मा (गुलेरी) अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अपनी वीरता के लिये विख्यात श्री राम सिंह पठानिया तथा कांगड़ा शैली की चित्रकला से सम्बद्ध प्रसिद्ध चित्रकार श्री नरोत्तम धीया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरिप्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) डाक टिकट निकालने के प्रस्ताव फ़िलैटली सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ रख दिए जाते हैं। विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए निर्धारित नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की एक प्रतिलिपि भी संलग्न है।

विवरण

विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए निर्धारित नीतिनिर्देशक सिद्धान्त

1. असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, स्मारक डाक-टिकट जारी करने के किसी प्रस्ताव पर आमतौर पर तब-तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक उसके सम्बन्ध में विभाग को 18 महीने पहले सूचना न दे दी जाय।

2. किसी व्यक्ति के सम्मान में सामान्यत: स्मारक डाक टिकट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी 100वीं जयन्ती या बरसी का अवसर न हो। किसी व्यक्ति की पहली या 10वीं बरसी पर भी स्मारक डाक टिकट जारी किया जा सकता है।

3. किसी भी घटना के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट सामान्य रूप से तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी अर्द्धशताब्दी या शताब्दी का अवसर न हो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर ही विशेष डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाए। अन्य घटनाओं की स्मृति में केवल विशेष कैंसिलेशन जारी किए जाएं।

4. किसी वर्ष में जारी किए जाने वाले डाक टिकटों में से (24/25 डाक टिकटों से अधिक नहीं) प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले स्मारक डाक टिकटों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. साहित्य अकादमी की राय ले लेने के बाद ही साहित्यकारों पर डाक टिकट जारी किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाए।

6. प्रत्येक डाक टिकट जारी करने की योजना पर, सामान्यतया, जारी करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले कार्रवाई शुरू कर दी जाए और डाक टिकट की डिजाइन बनाने तथा उसके मुद्रण के लिए भारतीय सुरक्षा प्रेस को पूरे छह महीने का समय दिया जाए।

विकासशील देशों की वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस (विश्व खनन सम्मेलन)

4079. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विकासशील देशों की वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के सम्मेलन के आयोजन की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन कहां होगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) 'विश्व खनन कांग्रेस', जिसमें केवल विकासशील देशों का ही प्रतिनिधित्व नहीं है का अगला सम्मेलन 8 से 12 अक्तूबर, 1979 को इस्ताम्बूल (तुर्की) में होगा।

Lack of Capacity in Sawai Madhopur SAX Board

†4080. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether no capacity is available in Sawai Madhopur SAX Board to provide telephone connections as a result of which a number of people are deprived of the new telephone connections ;

(b) whether a number of people had applied some months ago for telephone connections ;

(c) whether a scheme to construct a new exchange building has been under consideration of Government for a long time and if so, the time by which the new building would be ready and if not, the reasons therefor ; and

(d) how Government propose to give new connections till the construction of the new building ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) to (d) The Sawai Madhopur SAX has a connectable capacity of 90 and has 87 working connections. There is a Waiting List of 3. General Manager Telecommunciations, Rajasthan is examining the possibility of providing these 3 connections. There is no proposal at present for construction of a new building for the exchange.

तालुक मुख्यालयों में काम कर रहे टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान

4081. **श्री आर० कोलनयाइवेलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तालुक मुख्यालयों में काम कर रहे टेलोफ़ोन विभाग के अनेक कर्मचारियों को कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता पाने के लिए पात्र बनाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) सरकार को मौजूदा नीति के अनुसार सामान्यतया केन्द्रीय सरकार के वे सभी कर्मचारी, जिनमें डाक-तार कर्मचारी भी शामिल हैं, मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं जो 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 या इससे अधिक को आबादी वाले स्थानों में काम करते हैं । जो स्थान यह मानदंड पूरा नहीं करते, वहां काम करने वाले कर्मचारी आमतौर पर मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं होते ।

(ग) केवल तालुक मुख्यालय होने के नाते उन स्थानों पर मकान किराया भत्ता मंजूर करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त और भूतपूर्व सचिव द्वारा स्वीकृत ऐसे कनेक्शन

4082. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या महानगरों में गैर-सरकारी व्यक्तियों, पार्टियों, फर्मों तथा अन्य लोगों को बिना बारी के अस्थाई (3 महीनों से अधिक और उनके बाद के नवीकरण) तथा स्थाई—दोनों ही प्रकार के टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो क्या;

(ख) डाक तथा तार विभाग के विभिन्न अधिकारियों का ऐसे कनेक्शनों की मंजूरी देने के लिये क्या-क्या शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है ;

(ग) संचार मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान मंजूर किये गये ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों का पूरा ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या उन्हें पता है कि इन कनेक्शनों की मंजूरी की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर बहुत से कदाचार और भ्रष्ट प्रभाव काम करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका इन कदाचारों को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) बिना बारी के अस्थायी (जिनमें कंक्शनों का नवीकरण भी शामिल है) और स्थायी दोनों तरह के टेलीफोन कनेक्शन प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी मंजूर करते हैं बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से कनेक्शन देना संभव हो । इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को दी गई शक्तियों का उल्लेख अनुबंध में कर दिया गया है।

(ग) जैसा कि अनुबंध में उल्लेख है, बिना बारी प्राथमिकता के आधार पर स्थायी कनेक्शन मंजूर करने के मामले पिछले ढाई वर्षों के दौरान संचार मंत्री के पास प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। ये मामले आम तौर पर संचार सचिव द्वारा संचार मंत्री के पास प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार अस्थायी टेलीफोन और उनकी अवधि बढ़ाने की मंजूरी देने की शक्तियां सौंपी गई है। कुछ मामलों में एक उच्च प्राधिकारी होने के नाते संचार सचिव ने भी नये अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों की या उनके नवीकरण की स्वीकृति दी होगी। महानिदेशालय में ऐसे मामलों को अलग-अलग करना कठिन होगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजर करने की शक्तियां

श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1	2
(क) अस्थायी टेलीफोन	
(1) दो वर्षों तक	सर्किलों/जिलों के अध्यक्ष
(2) चार वर्षों तक	डाक-तार महानिदेशालय
(3) 4 वर्षों से अधिक	अपवाद स्वरूप मामलों में संचार मंत्री की स्वीकृति पर
(ख) स्थायी टेलीफोन	
(1) प्राथमिकता श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोनों के मामले यथा ओ० वाई० टी० सरकारी ओ० आई० बी० (विशेष), ओ० वाई० टी० विदेशी मुद्रा, गैर-ओ०वाई० टी० 'समाज सेवा'	(1) सर्किलों/जिलों के अध्यक्ष (2) डाक-तार महानिदेशालय
(2) ओ० वा० टी०—सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन	मामले के गुण-दोष के आधार पर सर्किलों/टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष बशर्ते कि केन्द्रीय या राज्य सरकारों ने सिफारिश की हो; जुलाई 1976 से पहले यदि टेलीफोन सलाहकार समिति ने भी सिफारिश की हो; जुलाई 76 के बाद, ओ० वाई० टी० श्रेण के अंतर्गत टेलीफोन सलाहकार समिति बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अलाट की जाने वाली क्षमता के $2\frac{1}{2}\%$ कनेक्शनों की सिफारिश कर सकती थी, अक्टूबर 1977 से यह कोटा समाप्त कर दिया गया है।

1	2
(3) गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के के अन्तर्गत टेलीफोन	(1) टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिश पर सांकलों/जिलों के अध्यक्ष, जुलाई 76 से पहले टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अलाट की जाने वाली क्षमता के $7\frac{1}{2}\%$ तक कनेक्शन दिए जा सकते थे; जुलाई 76 के बाद यह कोटा घटा कर 5% कर दिया गया था; अक्टूबर 77 से यह कोटा समाप्त कर दिया गया है।
	(2) डाक-तार महानिदेशालय
(4) गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य	डाक-तार महानिदेशालय

टिप्पणी:—डाक-तार महानिदेशालय के पास ओ० वाई० टी० और गैर-ओ० वाई० टी० दोनों श्रेणियों के अंतर्गत बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने की पूरी शक्तियां हैं। गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत बिना बारी कनेक्शन विरले और बहुत ही अपवाद स्वरूप मामलों में मंजूर किए जाते हैं। किन्तु दिल्ली, बम्बई आदि जैसे स्थानों में टेलीफोन कनेक्शनों की निहायत कमी को ध्यान में रखते हुए पिछले लगभग 2 वर्षों से या इसके आस-पास के समय से ऐसे मामले संचार मंत्री के पास प्रस्तुत करने की पद्धति अपनाई जा रही है।

Development of Communication in Ladakh

†4083. **Shrimati Pravati Devi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government for the development of communications, setting up of new post offices, up-grading of the existing post offices and for the mechanisation where possible, in Ladakh ; and

(b) the names of the places in Ladakh provided with post and telegraph and telephone facilities at present and the names of the places there where such facilities are proposed to be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b) At present there are one Head post office, 5 Department sub-post offices and 48 Extra Departmental Branch Post Offices in Ladakh. Opening of 4 more post offices has been sanctioned by the Postmaster-General, Srinagar and these will be opened very shortly. 13 proposals for the opening of new post offices are under examination. Upgradation of existing Branch Post Offices into Department sub-post offices has not been found justified under the existing norms at present.

Mechanisation of Mail Line to Sakti, Thiksey and Chashootshama is under examination. Mechanisation of Mail Communication to Zanskar Valley will also be examined on construction of Kargil-Zanskar Road.

(ii) List of places provided with post offices and for which proposal are under examination, is given in the annexure. Telegraph and telephone facilities are available at Kargil, Leh and Drass in Ladakh district at present and there is no proposal under consideration to extend these facilities to other places in Ladakh.

Statement

I. Names of places in Ladakh provided with post offices.

1. Leh
2. Cheshutshama
3. Chumathang
4. Diskit
5. Ego
6. Fiang
7. Gayamero
8. Hemain
9. Hemischanga
10. Kingam
11. Kairy
12. Nimmu
13. Nyoma Mud
14. Sakti
15. Shara
16. Stok
17. Thiksey
18. Shey
19. Baroo
20. Chaskore
21. Manji
22. Silmoon
23. Yurbaltak
24. Chuglamsar
25. Drass
26. Matayan
27. Pandrass
28. Kargil
29. Bodhkharbu
30. Chhanagund
31. Chiktan
32. Hardass

33. Mulbik
34. Namsaroo
35. Omba
36. Panikhar
37. Poshkam
38. Purtakche
39. Saliskot
40. Sangra
41. Sanko
42. Shakar (SHEKAR)
43. Shamshakharboo
44. Yuljug
45. Khalsi
46. Lamayuru
47. Nurla
48. Saspol
49. Shakarbuchan
50. Tamisgam
51. Taqmachik
52. Hamisukpacham
53. Bazgo
54. Chutoomal.

II. Names of places where post offices are proposed to be opened.

(i) Sanctioned for opening in the current financial year :—

1. Mathoo
2. Lakir
3. Batalik
4. Lochum.

III. Proposals under examination.

1. Darbuk
2. Alchi
3. Choykal
4. Kirkitchoo
5. Radio Station Leh

6. Tangtse
7. Tangale
8. Tacka Karit
9. Thasgam
10. Tambis
11. Tumil
12. Turtuk
13. Zanskar.

भारत में मेडीकल स्टोर डिपुग्रों द्वारा ग्रौषधियां मंगाने वालों को ग्रौषधियों की सप्लाई

4084. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मेडिकल स्टोर डिपो ग्रौषधि मंगाने वालों को कहां तक ग्रौषधियां सप्लाई करने में समर्थ है;

(ख) मंगाई गई पूरी ग्रौषधियां सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि मांग पूरी करने के लिये मेडीकल स्टोर डिपुग्रों के पास उपयुक्त व्यवस्था हो ?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1973-74 से 1976-77 की ग्रवधि तक संभावित मांगों की सामग्री का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

1973-74	59 प्रतिशत
1974-75	52 प्रतिशत
1975-76	52 प्रतिशत
1976-77	55.7 प्रतिशत

(ख) मांग की ग्रपर्याप्त पूर्ति के मुख्यतः ये कारण हैं : (1) सामग्री की भारी खरीद के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय पर निर्भर रहना, (2) उपलब्ध भण्डार के वितरण में बड़े ग्रस्पतालों की ग्रपेक्षा ग्रामीण ग्रौर ग्रर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित छोटी-छोटी यूनिटों को तरजीह देने की डिपुग्रों की नीति, ग्रौर (3) यह तथ्य कि डिपु केवल उन ग्रौषधियों का भण्डार रख रहे हैं जो मेडिकल स्टोर की शब्दावली में शामिल हैं।

(ग) भारत में मेडिकल स्टोर डिपुग्रों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :—

1. पर्याप्त धन का नियतन।
2. भण्डार को सीधी खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर्स ग्रार्गेनाइजेशन को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
3. ग्रौषधियां मंगाने वालों से, जो ग्रधिकतर राज्य सरकारे हैं, देय राशि वसूल करने की पद्धति को सरल ग्रौर कारगर बनाना।

गवर्नमेंट मेडीकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास के श्रमकों द्वारा नोटिस दिया जाना

4085. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने दिनांक 24 नवम्बर, 1977 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को नोटिस दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि उनकी बहुत दिनों से चली आ रही समस्याओं को 15 दिन के भीतर हल किया जाये और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे;

(ख) उनकी कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि तूफान राहत कार्य पर बुरा प्रभाव न पड़े इस मामले को मित्रतापूर्ण ढंग से तथा शीघ्र सुलझाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने अपने 24 नवम्बर, 1977 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ हमारा ध्यान निम्नलिखित प्रस्ताव की ओर भी आकर्षित किया था जो उनकी यूनियन की कार्यकारी समिति ने पारित किया था—

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि निदेशालय से अनुरोध किया जाए कि वह इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर-अन्दर वर्कर्स यूनियन को मान्यता दे दें और इस यूनियन को डिपो के अहाते में ही अपना नोटिस बोर्ड गाढ़ने की भी अनुमति दे दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह यूनियन डिपो के अहाते में अपना नोटिस बोर्ड गाढ़ देगी जैसा कि उन संघों ने किया है जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है।

अद्यतन श्रम नीति के अनुसार देश के विभिन्न सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं में एक से अधिक यूनियन/एसोसिएशन को मान्यता देना अनुशासन संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है। ऐसी यूनियन बनाने के लिए जो अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हों, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो एम्पलाइज यूनियन, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो अफीशियल्ज एसोसिएशन और सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का विचार है ताकि इन सभी संघों को मिलाकर उन्हें एक मान्यता प्राप्त जनरल यूनियन बनाने के लिए रजामंद किया जा सके।

मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्कूलों के अध्यापकों द्वारा चलाये जा रहे डाकघर

4086. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्कूलों के अध्यापक कितने ग्रामीण डाकघर चला रहे हैं;

(ख) चालीस वर्षों में इनकी संख्या कितनी रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इनका दर्जा बढ़ा कर उपशाखा डाकघर करने तथा उनमें टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) 88.

(ख) 33.

(ग) इनका दर्जा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पांच स्थानों में टेलीफोन की सुविधाएं दे दिये जाने की संभावना है।

दिल्ली तथा नागपुर के बीच दो तरफा सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सेवा

4087. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नागपुर के बीच पूर्णकालिक दो तरफा सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां।

(ख) आशा है कि नागपुर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू होने के समय वर्ष 1979-80 में दिल्ली और नागपुर के बीच पूरे समय की और दोनों ओर की उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा (एस० टी डी०) चालू कर दी जाएगी।

बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों पर हमले

4088. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से बोकारो इस्पात लिमिटेड में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर हमले के कितने मामले हुए तथा इसके लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो स्टील लिमिटेड में हमला करने के आरोपों तथा प्रत्यारोपों की पूरी जाँच करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) वर्ष 1974 से बोकारो स्टील लि० के अधिकारियों द्वारा कामगारों पर हमले की वारदात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अतः इस कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का उल्लंघन

4089. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एम० सत्यनारायण राव :
श्री वी० एम० सुधीरन :
श्री वयालार रवि :
श्री एडुआर्डो फेलीरो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान हवाई अड्डों पर ऐसे कुल कितने व्यक्तियों का पता चला है जिन्होंने देश में प्रवेश करते समय पीले ज्वर (येलो फीवर) का टीका नहीं लगवाया;

(ख) क्या यह सच है कि संचार मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के उल्लंघन के कारण बम्बई में अलग रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) केन्द्रीय संचार मंत्री, श्री बृज लाल वर्मा तथा उनके साथ उनके दो अधिकारियों सर्वश्री ए० के० गुप्त तथा टी० एस० सुब्रह्मणियन 14 अगस्त, 1977 को भारत से सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका को रवाना हुए। वे लन्दन से 24 अगस्त, 1977 को भारत लौट आए। बम्बई पहुंचने पर यह मालूम हुआ कि उनके पास पीत ज्वर के टीके का प्रमाण पत्र नहीं है जो सूरीनाम से आने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक होता है। चूंकि वहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें नई दिल्ली के लिए रवाना होना था, इसलिए वायुयान के धूमन आदि की आवश्यक सावधानियां बरतने के बाद उन्हें आइ० ए० सी० फ्लाइट सं० आई० सी० 185 द्वारा नई दिल्ली आने की अनुमति प्रदान कर दी गई। नई दिल्ली पहुंचने के उपरांत मंत्री जी तथा उनके साथियों को भारतीय टेलीफोन उद्योग के गेस्ट हाऊस में 26 अगस्त, 1977 तक समुचित निगरानी तथा संगरोध स्थिति में रखा गया।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4090. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बयास-सतलुज लिंक परियोजना में कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिलता था अब वह पहली अप्रैल, 1974 से बंद कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने का विचार है और यदि हां, तो कब तथा क्या कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से लाभ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां, कुछ परियोजना क्षेत्र के कार्यालयों को छोड़ कर।

(ख) परियोजना क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, परियोजना भत्ता उन्हीं कार्यालयों के लिए मंजूर किया जाता है जो परियोजना क्षेत्र में मुख्यतः परियोजना से संबंधित कार्य करते हैं। ये कार्यालय न तो परियोजना प्राधिकारियों की प्रार्थना पर खोले गये थे और न ही मुख्यतः परियोजना की आवश्यकता की पूर्ति करते इसलिए परियोजना भत्ता देना बंद कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

जनकपुरी औषधालय नं० 61 में डाक्टरों की कमी

4091. **श्री उग्रसेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अधिक जनसंख्या वाली और बहुत बड़ी कालोनी जनकपुरी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का केवल एक औषधालय संख्या 61 है ; और

(ख) क्या इस औषधालय के साथ नये क्षेत्र जोड़ दिए गए हैं किन्तु उसके अनुसार डाक्टरों तथा अन्य सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई जिससे रोगियों को भारी असुविधा हो रही है और उक्त औषधालय में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों आदि की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनकपुरी में दो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय हैं। एक जनकपुरी के 'ए' ब्लाक में खुला हुआ है जो जनकपुरी औषधालय संख्या 61 कहलाता है और दूसरा जनकपुरी के 'डी' ब्लाक में स्थित है जो नांगलराय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 58 के नाम से जाना जाता है।

(ख) 9 मई, 1977 से जनकपुरी औषधालय संख्या 61 के साथ निम्नलिखित और बस्तियां/इलाके जोड़ दिए गए थे :—

(1) शंकर गार्डन ।
(2) नारंग कालोनी ।
(3) कृष्ण पार्क ।
(4) जे०जे० कालोनी, हस्थाल ।
(5) जे०जे० कालोनी, पंखा रोड ।
(6) असलतपुर ।
(7) उत्तम नगर ।

इस औषधालय के लिए स्वीकृत किए गए पांच डाक्टर लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

बिहार स्टील अलाय लिमिटेड तथा फ्रांसीसी फर्म

4092. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी फर्म, क्रियुसोट लोर विशेष इस्पात के निर्माण में बिहार स्टील अलाय लिमिटेड के साथ अपने करार के अन्तर्गत अपनी भूमिका पूरी नहीं कर रही है;

(ख) भारत में अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनकी साथ इस फर्म के सम्बन्ध हैं, और

(ग) अन्य परियोजनाओं के संबंध में इस फर्म का कार्यकरण कैसा है और यदि कार्यकरण उपेक्षापूर्ण है तो उसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस फर्म का संबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं के साथ है:—

(1) स्टील अथारिटी आफ इंडिया, लिमिटेड ने आक्सीजन कन्वर्टर की गैसों की कूलिंग, क्लीनिंग और रिकवरी के लिए इरपिड-केफल प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए मैसर्स करीयूसेट लोर एन्टरप्राइसेस एण्ड एस० ए० के साथ सामान्य लाइसेंस के बारे में एक करार किया है।

(2) भिलाई इस्पात कारखाने ने भी अपनी स्टील मेल्टिंग शाप नं० 2 के लिए, जिसका निर्माण 40 लाख टन विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है, गैस कूलिंग, कलेक्शन, क्लीनिंग, तथा रिकवरी संयंत्र के लिए मैसर्स क्रीसेट लोर एन्टरप्राइजेज तथा क्लीसिड एस०ए० के साथ कूलिंग के संयंत्र की सप्लाई के बारे में एक करार किया है।

(3) हैदराबाद में विशेष मिश्र धातु निगम के लिए विशिष्ट धातुओं और सुपर एलाय प्लांट की स्थापना करने वाले तीन विदेशी सहयोगियों में से एक सहयोगी मैसर्स क्रीसेट लोर है।

(4) कास्टिंग तथा फोर्जिंग के निर्माण के लिए मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, लिमिटेड ने मैसर्स क्रीसेट लोर से सहयोग प्राप्त किया है।

(5) मुख्यतः भारतीय रेलवे के डीजल लोकोमोटिव के लिए सी०एफ०जी० (पी०आर०) क्रेनशेफ्ट फोर्जिंग के लिए मैसर्स हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन (फाउण्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट) ने जुलाई, 1971 में फ्रांस के मैसर्स क्रीसेट लोर के एस०टी० चामंड डिविजन, डिपार्टमेंट मेल्ट के साथ सहयोग संबंधी करार किया था।

(ग) सेल, भिलाई इस्पात कारखाने, मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ किए गए करारों का निष्पादन संतोषजनक रहा है।

जहां तक हैवी इंजीनियरिंग के साथ किये गये सहयोग करार का संबंध है, क्रीसेट लोर द्वारा करार का पालन न करने की घटनाएं हुई हैं। इस मामले में करार की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए अमरीका की ए० एम० सी० ओ० के साथ बातचीत

4093. **श्री के० राममूर्ति : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो विस्तार कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु ए०एम०सी०ओ० स्टील कारपोरेशन यू०एस०ए० के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Injury to Public Health due to Presence of Lead in Printing Ink

4094. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that, in the International Congress of Paediatrics held in Lucknow in the last week of October, serious concern was expressed over the injury to public health by printing ink and the doctors claimed that lead in large volume could be extracted from printed magazine papers which are chewed by children ; and

(b) if so, measures proposed to be taken by Government for protection from this hazard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) A paper on the subject was presented at the International Congress of Paediatrics held in Delhi in October, 1977. The study was done in Lucknow.

(b) The preventive aspect in educating mothers on the dangers of children nibbling magazines, newspapers, paint chips and other non-food articles is important.

Use of adulterated printing ink should be avoided by purchasing it from reliable sources.

रेड क्रास सोसाइटी के चैयरमैन/सेक्रेटरी जनरल के विरूद्ध मुकदमा दायर किया जाना

4096. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से इंडियन रेड क्रास सोसाइटी के मुख्यालय के एक भूतपूर्व पदाधिकारी ने हाल ही में सोसाइटी के चेयरमैन सैकेट्री जनरल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जालसाजी आदि का मुकदमा हाल ही में दायर किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त भूतपूर्व पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां

(ख) भारतीय रेड क्रास संस्था में उप-सचिव के पद पर नियुक्त श्री डी०सी०के० रामसिंह की सेवाएं प्रबन्ध समिति की मंजूरी से इस संस्था के नियमों के अनुसार समाप्त कर दी गई थीं। इस आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। तत्पश्चात् उन्होंने नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भारतीय रेड क्रास संस्था के अध्यक्ष, महा-सचिव और संयुक्त सचिव के विरुद्ध उनके नाम से फौजदारी का मामला दायर किया जिसमें उसने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने इस बैठक के कार्यवृत्त को बनाने में जालसाजी की है। मजिस्ट्रेट ने इनमें से किसी भी व्यक्ति को समन भेजे बिना इस शिकायत को खारिज कर दिया। श्री डी०सी०के० रामसिंह ने इस आदेश के पुनरीक्षण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से आवेदन किया जिसने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया।

(ग), (घ) और (ङ) इस भूतपूर्व अधिकारी के विरुद्ध इस बजह से आगे कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है। किन्तु वह भारतीय रेड क्रास संस्था के क्वार्टर में उस अवधि के बाद भी रहते रहे जिसके लिए उन्हें अनुकम्पा के आधार पर अनुमति दी गई थी। उन्हें क्वार्टर से बेदखल करने का मामला इस संस्था के हाथ में है। बिना किसी आधार के फौजदारी का मुकदमा दायर करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही सम्भव है, इस बारे में संस्था द्वारा विचार किया जा रहा है।

नेपाल में डोलाघाट-धनकुटा सड़क के निर्माण के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

4097. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल में डोलाघाट-धनकुटा सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का करार किया है; और

(ख) कितनी सहायता उपलब्ध की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) नेपाल के महामहिम महाराज की सरकार और भारत सरकार इस बात से सहमत हुए हैं कि वे डोलाघाट-धनकुटा सड़क का ब्यौरेवार भू-सर्वेक्षण करने के कार्य को जितनी जल्दी और जितनी दक्षता के साथ हो सकेगा

पूरा करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने 9-11 दिसम्बर, 1977 के बीच जो नेपाल यात्रा की थी, उसकी समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इस मामले के बारे में दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते का उल्लेख है। भू-सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद ही इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और इन रिपोर्टों के आधार पर ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस परियोजना के लिए कितनी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत होगी। 1974 में, भारत सरकार ने इसके प्रारंभिक सर्वेक्षण पर 70,866 रुपये की रकम खर्च की।

राज्यों के भेषजीय संयंत्रों को वित्तीय सहायता

4098. श्री उग्रसेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से भेषजीय संयंत्र हैं जिनके लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है; और

(ख) ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां केन्द्रीय सहायता के साथ इन भेषजीय संयंत्रों का गहन विकास शुरू किए जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) विशिष्ट प्रकार के औषधीय पौधों की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों को फार्मेसियों और जड़ी-बूटी वाले फार्मों के विकास के लिए 8.00 लाख रुपये प्रति फार्मेसी वित्तीय सहायता देती है। 1976-77 के दौरान राज्य फार्मेसियों और जड़ी-बूटी वाले फार्मों के विकास के लिए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई और इन राज्यों को निरन्तर वित्तीय सहायता देते रहने के अलावा 1977-78 के दौरान उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश सरकारों को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार फार्मेसी अपनी आवश्यकता के अनुसार जड़ी-बूटी उद्यान में, जिसका विकास केन्द्रीय सहायता से होगा, औषधीय पौधों की खेती करने के लिए स्वतंत्र होगी लेकिन साथ ही वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए औषधीय पौधों को भी प्राथमिकता के आधार पर अपने जड़ी-बूटी उद्यान में उपजाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन पौधों को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के अधीन चल रहे अनुसंधान यूनिटों को सप्लाई करेगी।

भारत बंगलादेश संयुक्त समन्वय बोर्ड

4099. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश संयुक्त समन्वय बोर्ड स्थापित किया गया है;

(ख) यह बोर्ड कब स्थापित किया गया था;

(ग) इसके कृत्य क्या हैं; और

(घ) बोर्ड द्वारा क्या काम किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत एल्यूमिनियम प्राइवेट लि०, खुरखरी का उत्पादन

4100. **श्री श्यामलाल घुर्वे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारत एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड खुरखरी दादर माइनर 'बालको' बाक्साइट माइन का उत्पादन कितना रहा तथा इस संबंध में इस अवधि में उनके निर्धारित लक्ष्य क्या थे; और

(ख) आगामी वर्ष के लिये निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) भारत अल्युमीनियम कंपनी द्वारा अमरकंटक में रक्तीदादर खानों (खनन कार्यालय खुरखरी दादर) से गत तीन सालों के दौरान बाक्साइट खनन से संबंधित वास्तविक उत्पादन और निर्धारित लक्ष्य के वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (टन)	लक्ष्य (टन)
1974-75 . .	164,000	200,000
1975-76 . . .	168,000	173,000
1976-77	150,000	310,000

(ख) अमरकंटक की रक्तीदादर और हजारीदादर खान समूह से 1977-78 के दौरान बाक्साइट निकालने का लक्ष्य 315,000 टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 1978-79 के लिए उत्पादन लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है।

Registration of Promotion of MICA Industry

4100. **Shri R. I. P. Verma:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether mica industry has been registered in the list of industries of Central Government or State Government;

(b) if not, whether mica industry, which is the foremost industry of North Chhota Nagpur division (Bihar) and is the source of livelihood of lakhs of people there, will be included in the development plan for its further development; and

(c) the details of the scheme formulated by Government for the promotion of mica industry ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) As far mining of mica is concerned, the grant of leases for the same is within the jurisdiction of State Governments, as per the MM(RD)Act. In regard to industrial processing of mica, it does not figure in Schedule I of the I(DR) Act, and is therefore open for development without licence except by companies covered by the Foreign Exchange Regulations Act and the MRTP Act.

(b) & (c) Attempts are being made by the Mica Trading Corporation to promote export of processed and fabricated mica. The Corporation is also contemplating the establishment of factories with foreign collaboration to produce—

(i) wet ground and micronised mica powder;

(ii) mica paper and micanite;

(iii) mica capacitors, etc.

It is also proposed to promote research and development facilities to find new uses for mica.

All the above steps are intended to improve the marketability of mica in small pieces and mica scrap which are the most adversely affected varieties in the decline in demand for mica generally.

A Mica Advisory Committee has also been constituted by the Government of India in the Ministry of Commerce in 1976 to advise on—

(i) improving production and export of mica;

(ii) development of processed and fabricated mica, promotion of mica-based industries and export of mica products.

अमरीका और यूरोप में आनन्द मार्ग और यूनिवर्सल प्रौटिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की शाखाएं

4102. **श्री चतुर्भुज :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द मार्ग और यूनिवर्सल प्रौटिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी द्वारा किये जा रहे गुमराह करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : हाल के महीनों में विश्व के अनेक भागों में यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवाल्यूशनरी फैडेरेशन के अनुयायियों द्वारा आतंक एवं हिंसा की कार्रवाइयों को देखते हुए श्री पी.आर. सरकार के अभियोजन एवं उनके दोषी ठहराये जाने से सम्बद्ध तथ्यों के बारे में विदेशी सरकारों को राजनयिक माध्यमों के जरिये बताने के लिए कदम उठाये गये हैं। सरकार के पास इस बात का प्रमाण है विदेशी सरकारें अब इस संगठन के स्वरूप तथा इसके कार्य-कलापों के बारे में अच्छी तरह जान गई है। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय मिशनों तथा कार्मिकों के खिलाफ इन संगठनों द्वारा आतंक एवं हिंसा की विभिन्न घटनाओं का उद्देश्य श्री सरकार को रिहा कराना है जो न्यायालय द्वारा हत्या के अभियोग में दोषी सिद्ध किये जाने के बाद आजीवन कैद भुगत रहा है। सरकार ने अपनी स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी है कि वह इस प्रकार के दबाव की चालों के आगे नहीं झुकेगी। श्री सरकार को अपने अभियोजन के विरुद्ध अपील करने की पूरी छूट दी गई है। असल में, उनकी अपील उच्च न्यायालय में विचार के लिए प्रस्तुत है और उस पर निर्णय की प्रतीक्षा है।

कुकिंग गैस का दिल पर प्रभाव

4103. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुकिंग गैस दिल पर प्रभाव डालती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हृदय पर खाना पकाने वाली गैस के हानिकारक प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, परन्तु विशेषज्ञों का अनुभव बतलाता है कि प्रचलित स्टोव पर खाना पकाने वाली गैस के प्रयोग का हृदय रोग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

29 LSS/77—6

बागान उद्योग के मजदूरों की स्थिति

4104. **श्री बी० के० नायर : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें बागान उद्योग और चाय, काफी, रबड़, इलायची आदि जैसे उत्पादों से करोड़ों रुपये एकत्र कर रही है;

(ख) क्या इस उद्योग में काम कर रहे 50 लाख से भी अधिक श्रमिक अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस तर्क के आधार पर कि वे श्रमिक बागान श्रमिक अधिनियम, 1954 के अनुसार बागान मालिकों के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि किसी भी लाभकारी उपाय का प्रावधान नहीं करती है ;

(घ) क्या हमारी आबादी का यह विशाल अंश अत्यधिक दयनीय स्थिति और असहाय अवस्था में पहुंच गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार समाज के शेष वर्ग की भांति ही उपर्युक्त सामाजिक उत्थान के उपायों से उन्हें भी लाभान्वित करने के लिए समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) यद्यपि यथार्थ आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, तो भी यह सही है कि बागान उद्योग का राज्य और केन्द्रीय सरकारों के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान है। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, चाय, काफी और रबड़ बागानों में औसत दैनिक रोजगार लगभग 8.5 लाख था। बागान श्रम अधिनियम के अधीन, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की रहन-सहन की दशाओं और कल्याण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना है, मालिकों का यह सांविधिक दायित्व है कि वे आवास, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करें। राज्य सरकारें जो उक्त अधिनियम को लागू करती हैं, इन सांविधिक दायित्वों की पुर्ति कराने के लिए कार्रवाई करती हैं। तथापि शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि संबंधी सुविधाओं का, जो सामान्यत: राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, लाभ बागान श्रमिक भी उठा सकते हैं।

डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारी

4105. **श्री बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग ने विभागेतर सार्टरों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों को पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पूर्व श्रेणी 4 में विभागेतर पेस्टर्स के पद पर काम करने को कहा है ;

(ख) क्या जो विभागेतर सार्टरों के रूप में नहीं खपाया गया है जबकि विभागेतर पेस्टर्स जिनकी कोई अर्हतायें नहीं हैं, तीन वर्ष के भीतर ही खपा लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) जी नहीं। वे केवल अंशकालिक कामगार हैं। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह नहीं हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूर्णकालिक कामगर हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूना में राष्ट्रीय श्रम संस्थान को स्थानान्तरित करना

4106. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में राष्ट्रीय श्रम संस्थान को स्थानान्तरित करने के निर्णय को बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो संस्थान को स्थायी रूप से पूना कब स्थानान्तरित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के स्थायी स्थान के समस्त प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

गांव उगमदी, जिला भावनगर में नया टेलीफोन एक्सचेंज

4107. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के जिला भावनगर में गांव उगमदी में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक की जाएगी और उस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) से (ग) उगमदी में 15 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अपनी मांगें दर्ज कराई हैं। लगभग 1 लाख रुपये की लागत वाली एक योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि वह वित्तीय दृष्टि से व्यवहार पाई गई तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसी संभावना है कि मंजूरी की तारीख से लगभग 9 महीने में यह एक्सचेंज चालू हो जाएगा।

अक्तूबर और नवम्बर, 1977 के दौरान उद्योगों का बन्द रहना

4108. **श्री के० लकप्पा** :
श्री सौगत राय :
श्री राजकेशर सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री विनोद भाई बी० सेठ :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों से कुछ राज्यों में उद्योगों में श्रमिक असन्तोष बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक उद्योगपतियों ने इस श्रमिक असन्तोष के कारण अपने उद्योग बन्द कर दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो अक्तूबर, और नवम्बर 1977 में कितने उद्योग बन्द रहे थे ;

(घ) क्या श्रम मंत्री ने इन विवादों में हस्ताक्षेप किया है और इन उद्योगों को पुनः खुलवाने में सफल हुए हैं ;

(ङ) क्या इसका मुख्य कारण कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करना था; और

(च) क्या कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करने के बारे में शिकायतें मिली हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(च) कुछ इकाइयों में बोनस कानून के अनुसार बोनस का भुगतान न किए जाने की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। चूंकि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन अधिकांश इकाइयों के संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं, इसलिए भुगतान न किए जाने के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। भुगतान न किए जाने संबंधी कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विवाद समझा जाता है, जिसमें ऐसे विवादों के निपटाने के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था है।

भारतीय उच्चायोग, लन्दन में नियुक्त कर्मचारी

4109. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उच्चायोग, लन्दन के कार्यलय के सभी एककों में नियुक्त भारतीय ब्रिटिश और अन्य राष्ट्रिकताओं के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) कर्मचारियों को अदा किया जाने वाले वेतन भतों और अन्य सुविधाओं के रुप में उच्चायोग द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च होती है और उच्चायोग के संचालन पर कितनी राशि खर्च होती है ;

(ग) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान 'इण्डिया हाउस' और लन्दन स्थित सम्बद्ध एककों में किसी प्रकार की सहायता के लिए सभी वर्गों और सब प्रकार के कितने भारतीय आये, और

(घ) उनकी क्या वास्तविक सहायता की गई और तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) :

(1) भारतीय राष्ट्रिक	356
(2) ब्रिटिश राष्ट्रिक	26
(3) अन्य राष्ट्रिक :—	
(1) श्री लंका	2
(2) केन्या	1
(3) मारीशस	1
(4) नेपाली	1
(5) स्पेनी	1

(ख) 1976-77 के वित्तीय वर्ष के दौरान लन्दन स्थिति भारतीय हाई कमीशन पर कुल खर्च 2,69,52,000 रु० था इसमें से वेतन और भतों, आवास और यात्रा सुविधाओं पर 1,47,36,600 रु० खर्च हुए।

(ग) और (घ) इस तरह यात्रियों के कोई वार्षिक आंकड़े नहीं रखे जाते। बहुत से छोटी-मोटी पूछताछ करते है जिसके बारे में उन्हें तत्काल मुहय्या कर दी जाती है। प्रतिदिन ऐसे यात्रियों की संख्या 150 में से 200 के बीच होती है। जिस प्रकार की सहायता दी जाती है उसमें प्रमुखत: कोंसली और पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करना, छात्रों को वाणिज्यक और सामान्य सूचना का दिया जाना और भारत के बारे में सामान्य सूचना दिया जाना शामिल है।

स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वेक्षण

4110. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री पी०वी० पेरियासामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक दृष्टि से निर्धन लोगों को पहले से उपलब्ध की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं इलाज आदि का कोई व्यापक सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार ऐसा सर्वेक्षण करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

आंध्र प्रदेश द्वारा खनिजों पर उपकर और उसका उपयोग

4111. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1974, 1975 और 1976 में खनिजों पर उपकर के रुप में कितनी राशि एकत्र की ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि राज्य सरकार ने खनन क्षेत्रों में आधार ढांचे तथा अन्य सुविधा, उपलब्ध करने पर कोई धनराशि व्यय नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो जिसके लिये वह एकत्र की गई थी?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार खनिजों पर उपकर के रुप में 1975-76 के दौरान 102,76,572.00 रुपये की आय हुई। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश (खनिज स्वामित्व) कर अधिनियम, 1975 के अधीन 15-4-75 से 31-3-76 तक 85,42,191.50 रुपये राशि खनिज स्वामित्व कर के रुप में प्राप्त हुई।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि रायल्टी पर खनिज स्वामित्व कर की राशि आधार भूत सुविधाओं जैसे सड़क आदि के विकास के लिए सुरक्षित रखी गयी है और वर्ष 1976-77 और 1977-78 के बजट में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो कोयले के अलावा अन्य खनिजों के खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए सड़क और भवन विभाग द्वारा खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इस कर की 75% राशि सड़कों के लिए और शेष 25% राशि अन्य आधार भूत सुविधाओं के लिए खर्च की जाएगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

गैर-सरकारी खान मालिकों से आवेदन-पत्र

4112. **श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी खान मालिकों के बहुत से आवेदन-पत्र इस आधार पर लम्बित है कि उन क्षेत्रों का विदोहन राज्य सरकारों के निगम करना चाहते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन निगमों के अधिकार में पहले ही बहुत बड़े समय से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विदोहन की कोशिश अभी नही की गई हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार निगमों के अधीन ऐसा कितना क्षेत्र है, कितने क्षेत्र का विदोहन किया गया। उनके द्वारा विदोहन किया जा रहा है, गैर-सरकारी खान मालिकों की साझेदरी के साथ विदोहन किया जा रहा है और गैर-सरकारी लोगों को विदोहन के लिये उप-पट्टे पर अथवा ठेके पर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बेराइट्स और अन्य खनिजों के लिये खनन पट्टे

4113. **श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार बेराइट्स और अन्य खनिजों के लिये खनन पट्टे केवल 2 वर्षों के लिये दे रही हैं और इस शर्त पर दे रही है कि खनिजों के उपयोग के लिए 10 लाख रुपये की लागत पर एक पुलवराइजेशन मिल की स्थापना की जाये;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि दो वर्ष की यह अवधि किसी भी खान मालिक के लिये उद्योग की स्थापना करने हेतु बहुत कम है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को यह निदेश देने का है कि खनन पट्टे पूरे 20 वर्षों की अवधि के लिये दिये जायें जैसा कि खानें तथा खनिज (विनियमन) विकास अधिनियम, 1957 में उल्लिखित है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मचारियों द्वारा अनुशासन संहिता का पालन किया जाना

4114. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक्स एसोसियेशन, आल इण्डिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन और आल इण्डिया बैंक एम्प्लायीज फैडेरेशन अनुशासन संहिता का पालन करने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) इंडियन बैंक ऐसोसिएशन, आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज़ ऐसोसिएशन तथा आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज़ फेडेरेशन ने अब तक अनुशासन संहिता को स्वीकार नही किया है क्योंकि नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच अनुशासन संहिता की एक धारा विशेष के बारे में समझौता नहीं हो पाया है।

विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों में असन्तोष

4115. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में आई०एफ० एस० (ए) और आई० एफ० एस० (बी०) वर्गों के गठन के प्रश्न पर कर्मचारियों में बहुत अधिक असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नये व्यवसायों और क्षेत्रों का निर्दिष्ट किया जाना

4116. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री मंत्रालय के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 1 में प्रकाशित निम्नलिखित विवरण के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि : "33 नए व्यवसाय शीघ्र ही निर्दिष्ट किए जाएंगे जिससे इनकी कुल संख्या 136 हो जाएगी। स्नातक और डिप्लोमा धारियों/तकनीशियों के मामले में वर्तमान 57 के अतिरिक्त 14 अतिरिक्त क्षेत्र निर्दिष्ट किए जा रहे हैं" ;

(क) क्या 33 नए व्यवसाय निर्दिष्ट कर लिए गए हैं और क्या 14 अतिरिक्त क्षेत्र भी निर्दिष्ट कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इन नए व्यवसायों और क्षेत्रों में शिक्षुओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। यह मामला अभी विचाराधीन है।

Jobs Provided in Last Year

4117. **Shri Lalji Bhai:** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the number of persons provided jobs through the employment exchanges, State-wise in the last year indicating the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma):

Placement effected by the Employment Exchange during 1976

States/Union Territories	Public Sector	Private Sector	Total
States			
1. Andhra Pradesh	47,996	2,470	50,466
2. Assam	4,341	1,443	5,784
3. Bihar	29,035	2,922	31,957
4. Gujarat	14,010	970	14,980
5. Haryana	25,876	5,140	31,016
6. Himachal Pradesh	8,557	97	8,654
7. Jammu & Kashmir	3,212	46	3,258

States/Union Territories	Public Sector	Private Sector	Total
8. Karnataka	16,465	811	17,276
9. Kerala	23,018	194	23,212
10. Madhya Pradesh	33,242	2,984	36,226
11. Maharashtra	28,546	14,657	43,203
12. Manipur	895	1	896
13. Meghalaya	816	5	821
14. Nagaland	107	..	107
15. Orissa	17,414	3,06	20,720
16. Punjab	28,937	549	29,486
17. Rajasthan	17,835	794	18,629
18. Sikkim*	..	..	..
19. Tamilnadu	33,563	1,398	34,961
20. Tripura	398	4	402
21. Uttar Pradesh	36,566	13,249	49,815
22. West Bengal	12,913	4,626	17,539
Union Territories			
1. Andaman & Nicobar Islands	432	7	439
2. Arunachal Pradesh*	..	..	..
3. Chandigarh	3,327	59	3,386
4. Dadra & Nagar Haveli*	..	..	..
5. Delhi	50,496	797	51,293
6. Goa	876	288	1,164
7. Lakshadweep	67		67
8. Mizoram	164	..	164
9. Pondicherry	771	89	860
All India Total :	4,39,875	56,906	4,96,781

*No Employment Exchange is functioning in these States/Union Territories.

मलेरिया के मच्छरों के रोगाणु नष्ट करना

4118. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया रोकने सम्बन्धी संघर्ष में डी० डी० टी० अथवा अन्य कीटानाशी औषधियों के उपयोग से वातावरण दूषित होने के खतरों को ध्यान में रखते हुये मलेरिया के मच्छरों के रोगाणु नष्ट करने के प्रयोग बन्द करने के अपने पहले के निर्णय पर सरकार पुनः विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मच्छरों को समाप्त करने के लिए अन्य कौन से जैव-नियंत्रण सम्बन्धी प्रयोग विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता

(ग) गांवों में मच्छरों की सघनता पर नियंत्रण पाने में किसी खास जाति की मच्छली अर्थात् गम्बूसिया और एप्लोचेलस की भूमिका का पता लगाने, खेतों में मच्छरों की सघनता को कम करने के लिए नेमाटोड और बेसिलस स्फैरिकस का इस्तेमाल करने, मकानों, पेड़ के सूराखों और धान के खेतों जैसे विभिन्न स्रोतों से मच्छरों को एकत्र करने और उनकी आदतों की जांच करने जैसे कुछेक प्रयोगों पर इस समय कार्य किया जा रहा है।

नेताजी के डाक टिकटों की उपलब्धता

4119. **श्री समर गुह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान में जारी किये गये डाक टिकटें विभिन्न डाकघरों में बिक्री के लिए अभी तक उपलब्ध होती हैं लेकिन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में जारी की गई डाक टिकटें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महात्मा गांधी. पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में सरकार द्वारा अब तक जारी की गई विभिन्न मूल्यों के डाक टिकटों के आंकड़े देगी ;

(ग) क्या सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में 23 जनवरी, 1978 को उनके आगामी जन्म दिन पर बिक्री के लिए या तो डाक टिकटें दोबारा छापेगी अथवा दोबारा बनायेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) क्या सकार महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और पंडित जवाहर लाल नेहरू के सम्मान में जारी किये गये डाक टिकटों के विभिन्न डिजाइनों के परिचालन संबंधी तथ्यों के बारे में बतायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं ।

(ख) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	.	23-1-64 20 लाख	
नेहरू और नागालैंड	.	1-12-67 20 लाख	
आजाद हिन्द सरकार .	.	21-10-68 20 लाख	
गांधी शताब्दी .		2-10-69	
		75 पैसे	35 लाख
		20 पैसे	80 लाख
		1 रु०	22.5 लाख
		5 रु०	12.5 लाख
गांधी और नेहरू .		15-8-73 50 लाख	

(ग) नेता जी के अगले जन्म दिन पर उनके सम्मान में डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विशेष अवसरों पर जारी किये गए स्मारक डाक टिकटों को फिर से छापने या फिर से विकसित करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जारी किए गए स्मारक डाक-टिकट जनता को बेच दिए गए हैं और लगभग समाप्त हो चुके हैं । यदि कुछ डाक-टिकट उपलब्ध हैं तो वे नगण्य हैं । तथापि, हमने नेहरू पर तारीख 27-5-1976 को और गांधी पर तारीख 2-10-1976 को पांचवीं नियत डाक-टिकट माला जारी की है । स्मारक डाक टिकट केवल एक बार जारी किए जाते हैं, जबकि नियत डाक-टिकट माला एक लगातार प्रक्रिया है और इसे पुनः छापा जाता है ।

काबुल में नेताजी का 'प्लाक' लगाया जाना

4120. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काबुल में उस स्थान पर एक 'प्लाक' लगाने के लिए अफगानिस्तान सरकार से अनुरोध करेगी जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जर्मनी जाने से पूर्व ब्रिटेन के अधीन भारत से भाग निकलने के बाद एक महीने से अधिक समय तक ठहरे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डु) : (क) इस बात का ठीक-ठीक पता लगाने का प्रयत्न जारी है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अपने प्रवास के दौरान कहां-कहां ठहरे होंगे ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Strike in Dalli Rajhara Mines of Bhilai Steel Plant

4121. **Shri Mohan Jain** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the workers of the Dalli Rajhara Mines of Bhilai Steel Plant observed strike in October-November, 1977;

(b) if so, their main demands ;

(c) the demands conceded by Government and the reasons for not accepting the rest of them ; and

(d) whether the loss suffered as a result of this strike has been assessed and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Kaira Munda) : (a) Workmen in the establishment of contractors and labour co-operative societies in the manual mines of Dalli Rajhara had observed strike in October-November, 1977.

(b) Their main demands were :

(1) Fall back wages should be paid to the workmen.

(2) Payment for hutment material should be made by contractors in cases where such payment had not already been made.

(3) Transport workers should be paid arears @Rs. 0.27 per tonne of ore unloaded.

(4) Recommendations of the Iron Ore Wage Board should be made applicable to some categories of staff like clerical staff, operators and casual workers.

(c) All the demands mentioned above were settled through Conciliation Settlement dated the 1st November, 1977.

(d) During the months of September, October and November, 1977, the percentage loss of production of the iron ore actually produced to the planned production target, was 21.6, 19.4 and 52.3 respectively. The value of the quantity of iron ore not produced during the three months, on account of strike, amounted to Rs. 1.87 crores.

Mechanisation of Dalli Rajhara Mines

4122. **Shri Mohan Jain** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether mechanisation has been introduced for production in Dalli Rajhara mines ;

(b) if so, the number of workers likely to be rendered jobless as a result of this mechanisation ; and

(c) the details of the scheme proposed to be formulated by Government to provide alternative employment to the workers rendered jobless ?

The Minister of Eteel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) A mechanised mine is already in existence at Rajhara Iron Ore Mines since 1960. Necessitated by technological considerations, a scheme for mechanisation of Dalli iron ore mines is under implementation and is likely to be completed by the end of current financial year.

(b) Consequent on the mechanisation of Dalli iron ore mines, 6742 workmen, employed at present in the establishments of contractors and labour cooperative societies, are likely to become surplus.

(c) Government have asked the Steel Authority of India Limited whether they can find alternative employment for at least some of these contractors workers in mines in other areas.

Mechanisation and its Effects on Dalli Rajhara Mines Production

4123. **Shri Mohan Jain** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the mechanisation scheme of Dalli Rajhara mines in Durg District has since been completed ; and

(b) if so, the time by which production with the new system would commence and the percentage increase in the production as compared with the present production as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Kunda) : (a) It is presumed that the reference is to the mechanisation of Dalli iron ore mines of the Bhilai Steel Plant. The mechanisation scheme of Dalli Mines is likely to be completed by the end of current financial year.

(b) Does not arise.

Modern methods of production in Dalli Rajhara Mines in Durg District

4124. **Shri Mohan Jain** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any modern methods of production are being introduced in the Dalli Rajhara Mines in Durg District;

(b) the details thereof ; and

(c) the total expenditure involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Kunda): (a) and (b) The Rajhara Iron Ore Mines of Bhilai Steel Plant already employ modern method of open cast mechanised mining utilising heavy drilling and mining equipment, transport, crushing, screening and loading systems. The Dalli mechanised mines project which is under construction will also use similar modern methods. While, at Rajhara mines, the transport of ore from the mines faces is being done by rail, in the case of Dalli Mines, use of more flexible system of dumper haulage has been envisaged. In addition, at Dalli mines, washing of the ores has been provided for to improve the quality of iron ore lumps and fines required for the blast furnaces and Sinter Plant.

(c) The approved revised cost estimates of Dalli mechanised mine project is Rs. 28.64 crores.

हिमाचल प्रदेश में मंडी ग्रौर निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिज जल

4125. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश मे मंडी ग्रौर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ग्रभी हाल में खनिज जल का पता चला है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; ग्रौर

(ग) इस खनिज जल का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात ग्रौर खानमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) ग्रौर (ख) हिमाचल प्रदेश के नन्दी–कुल्लू इलाके की व्यास ग्रौर पार्वती घाटियो में ताप खनिज जल स्रोतों के पांच स्थलों का पता चला है ।

(ग) राज्य सरकार इस समय एक स्रोत (मनाली क्षेत्र के वशिष्ठ नामक स्रोत) के जल का गर्म जल स्नानागारों के लिए प्रयोग कर रही है।

Provident Fund Outstanding in Madhya Pradesh

4126. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs & Labour** be pleased to state :

(a) the number of the establishments in Madhya Pradesh against which the amount of provident fund was outstanding in October, 1977 ; and

(b) the number of such cases being filed in courts indicating the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Employees' Provident Fund authorities have intimated as follows :—

(a) & (b) There are 19 establishments in default of Rs. 15,000 and above in Madhya Pradesh regional office. A statement showing the number of cases filed and indicating the details thereof as received from the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh is enclosed. [Placed in Library *See* No. L. T-1382/77]

District-wise number of Passport Issued in Gujarat

†4127. **Shri Dharamasinhbhai Patel :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the district-wise number of persons in Junagadh, Rajkot, Jamnagar, Amereli, Surendranagar, Bhavnagar and Kutch Districts in Saurashtra Kutch region in Gujarat issued passports for going abroad during the period from 1-4-1977 to 31-10-1977 ;

(b) the district-wise number of applications in this regard pending as on 1-11-1977 and the reasons therefor ; and

(c) when passports will be issued against the pending applications ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) & (b) A statement is laid on the table of the House, showing the district-wise break-up of passports issued by the Regional Passport Offices Ahmedabad during the period 1-4-1977 to 31-10-1977 as also a district-wise break-up of complete applications pending as on 1 November, 1977 and applications pending as on the same date for want of additional information/documentation from applicants.

(c) : Applications are picked up for processing according to the dates on which they are received. At present, in the case of applications supported by sworn affidavits, there is a 4-month time-lag between the receipt of an appplication and the issue of a passport. In the case of applications supported by verifications certificates signed by Members of Parliament and Government Officers of the rank of Deputy Secretary and above and Stipendiary 1st Class Magistrates, the time lag is 2 months. Passports will be issued on pending complete applications within a period of 4 months or 2 months as the case may be, from the date of their receipt, depending on whether they are supported by Sworn Affidavits or verification certificates.

Statement

Regional Passport Office, Ahmedabad

S. No	District	Passports issued 31-4-1977—31-10-77	Applications for passports pending as on 1-11-1977	
			Pending applications complete in all respects	Applications pending for want of addl. information/documentation from applicants
1	2	3	4	5
1.	Junagadh	3085	1015	54
2.	Rajkot	1349	883	419
3.	Jamnagar	3441	1243	31
4.	Amreli	175	191	21
5.	Surendra Nagar	105	38	16
6.	Bhavnagar	295	279	105
7.	Kutch	5722	2453	602
	Total	14,172	6,102	1,248

Grant of Telephone Connections to Ranpur Sorath Village from Bhaisan Sorath Telephone Exchange

†4128. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a telephone exchange has started functioning at Bhaisan-Sorath in Junagadh District, Gujarat having 50 telephone board and if so the number of telephones operating now ;

(b) whether 20 persons from Rajpur Sorath village, situated at a distance of about three or four kilometers from Bhaisan Sorath telephone exchange have applied for telephone connections from there and have also deposited the money therefor and if so, their number and the dates on which the money was deposited; and

(c) by when connections would be given to the applicants from Ranpur village ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) A small automatic exchange of 50 lines capacity has been commissioned at Bhaisan Sorath in Junagadh District on 17-10-1977. At present there are 18 telephone connections working from it.

(b) Three intending subscribers from Ranpur-Sorath have made advance deposits as per rules on 13-9-77, 17-9-77 and 19-9-77.

(c) These are long distance connections. Considerable line will be required for these. Steps are being taken to arrange for these.

देश में अधिकृत विदेशी औषधियों की बिक्री

4129. **डॉ० डी० बी० चन्द गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आयातित औषधियों की किस्म तथा बचाव के परीक्षण के लिये पर्याप्त उपकरण हैं ;

(ख) क्या ऐसी औषधियां, जो उन देशों में जहां वे बनाई जाती हैं बेची जाने के लिये अनुमति नहीं होती, भारत में बेची जाती हैं, और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई कि ऐसी औषधियां, जो उन देशों में जहां वे बिना अनुमति के बनाई जाती हैं और निर्यातक देश द्वारा निर्धारित स्तरों की नहीं होती हैं, काल-बाधित औषधियों सहित, भारत में बेची जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यातक देशों को यह कहने का है कि वे इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करें कि उत्पाद निर्यातक देश में बेचे जाने योग्य हैं और उत्पाद के किस्म नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन करने वाले संयंत्र की नियमित जांच की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 30-ख के उपबन्धों के अनुसार किसी भी ऐसी औषधि को इस देश में आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती जिसे उस देश (निर्यातक देश) में तैयार करना और बेचना मना है जिसमें वह बनाई जाती है । पत्तनों पर नियुक्त

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारी औषधियों की क्वालिटी का परीक्षण करने के अलावा आयात की गई औषधियों पर इस दृष्टि से भी परीक्षत करते हैं कि क्या वे लेबलिंग अपेक्षाओं पर पूरा उतरती है या नहीं। किसी भी ऐसी औषध को आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है जिसके इस्तेमाल की तारीख बीत चुकी हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

4130. **श्री डी० बी० चन्द गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में ऐसे इस्पात संयंत्रों की संख्या क्या है जो अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) उन संयंत्रों में जो अपनी क्षमता से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई नये तरीके लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) :(क) छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में से जमशेदपुर (टिस्को), भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों में अप्रैल-नवम्बर, 1977 की अवधि में विक्रेय इस्पात की उनकी क्षमता का उपयोग क्रमशः 10.3 प्रतिशत, 97.2 प्रतिशत और 92.3 प्रतिशत हुआ है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इस्को के बर्नपुर के कारखाने में उसी अवधि में क्षमता का उपयोग क्रमशः 67.2 प्रतिशत और 60.8 प्रतिशत हुआ है। इन कारखानों के उत्पादन पर बिजली की आपूर्ति पर प्रायः प्रतिबन्धों/रुकावटों और इस्को में मालिक-मजदूर संबंध अच्छे न होने के कारण इन कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन स्थापित क्षमता के उपयोग के बारे में तभी बताया जा सकता है जब 17 लाख टन पिण्ड के प्रथम चरण की सभी मुख्य इकाइयां चालू हो जायेंगी।

(ख) 1974-75 से लेकर इस्को और दुर्गापुर इस्पात कारखाने दोनों के उत्पादन में क्रमिक तथा निरन्तर वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में आवश्यक आदानों की बेहतर उपलब्धि, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव में सुधार, उपयुक्त पूंजीगत मरम्मत और प्रतिस्थापन, जहां कहीं आवश्यक हो अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, प्रौद्योगिक सुधार आदि शामिल हैं।

(ग) प्रौद्योगिक नवीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

Telephone Exchange at Rajdhanwar, District Giridih, Bihar

†4131. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the 43 individuals/traders have requested for the provision of a telephone exchange at Rajdhanwar which is a major mandi, a police station and the Divisional headquarters in District Giridih, Bihar ; and

(b) whether Government intend to open a telephone exchange in Rajdhanwar w.e.f. January, 1978 as per their declaration ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : No, Sir.

(b) If adequate number of application are received, the Government would consider the proposal.

Loan given to MICA Miners' Wholesale Cooperative Store, Karma by MICA Mines Labour Welfare Fund

4132. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether an amount of Rs. 12 lakhs was given to the Mica Miners' Wholesale Cooperative Store, Karma (Koderma, Bihar) as a loan from the Mica Mines Labour Welfare Fund a few years ago (probably in 1964-65);

(b) if so, the amount repaid to the Fund and the amount still outstanding and who stood surety for payment of arrears and interest thereon ; and

(c) whether most of the money has been misappropriated in this Cooperative Store and Government have not fixed the responsibility in this regard on any perosn so far and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) An amount of Rs. 14.50 lakhs was given as loan.

(b) (i) Amount repaid by the Stores=Rs. 7,501.00.

(ii) Amount outstanding against the Stores.

(a) Principal=Rs. 6,99,499

(b) Interest =Rs. 6,00,000

Total =Rs. 12,99,499

(iii) No surety was obtained from the Managing Committee of the Store.

(c) The matter is being investigated.

साइप्रस के प्रश्न का निपटारा

4133. **श्री चतुर्भुज** :

श्री नटवर लाल बी० परमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइप्रस के प्रश्न का निपटारा करने के लिये मध्यस्थता करने की कोई पहल की है अथवा कोई अन्य प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा साइप्रस की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) से (ग) भारत सरकार साइप्रस के प्रश्न के न्यायोचित समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाती रही है । भारत संयुक्त राष्ट्र के साइप्रस-विषयक पांच सदस्यीय गुट-निरपेक्ष संपर्क दल का सदस्य है और मई 1975 में जार्जटाउन में शासनाध्यक्षों की बैठक में इस बारे में बताई गई राष्ट्रमंडलीय समिति का

सदस्य भी है । साइप्रस संकट के तुरन्त बाद जो 15 जुलाई, 1974 को शुरू हुआ, भारत ने गुट-निरपेक्ष साइप्रस विषयक संपर्क दल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर महासभा में इस विषय पर एक प्रस्ताव रखा (1 नवम्बर 1974 का सं० 3212 (XXIX)/बाद में सुरक्षा परिषद् ने इस प्रस्ताव की पुष्टि 13 दिसंबर, 1974 के अपने प्रस्ताव सं० 365 में की । महासभा के अनुवर्ती अधिवेशनों ने भी उक्त प्रस्ताव की विषय-वस्तु की पुनः पुष्टि की है । इस वर्ष महासभा के 32वें अधिवेशन में भारत ने साइप्रस के प्रश्न पर इस प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन किया जो बहुत बड़े बहुमत से पारित हुआ ।

भारत की नीति हमेशा साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और उसके गुट-निरपेक्ष दर्जे का समर्थन करने की रही है । इस सुस्थिर नीति की साइप्रस द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र में भी बहुत सराहना की गयी है ।

Sikh Gurdwaras in Pakistan and Bangladesh

†4134. **Shri Ishwar Chowdhry :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sikh community have requested the Government of India to seek permission for them to keep their Sewadars in Gurudwaras in Pakistan and Bangladesh ;

(b) if so, whether Government of India have made any correspondence with the Governments of Pakistan and Bangladesh in this regard ; and

(c) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) As rgerads Pakistan, a Protocol was arrived at in September 1974 on Pilgrimages and Shrines. Under this the maintenance of shrines in either country is the responsibility of the Government of that country. Nevertheless, the question of allowing Indian Sewadars to proceed to some of the important Gurudwaras in Pakistan in advance of the group pilgrimage was taken up with the Pakistan Government who did not consider it feasible to allow this.

As regards Bangladesh, it has been possible to keep Indian Pujaris in the Sikh Gurudwaras there on a more or less continuing basis.

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी चसनाला, धनबाद कोलियेरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी से ज्ञापन

4135. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चसनाला, धनबाद के कोलियेरी स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी से 2 अगस्त, 1977 का एक अभ्यावेदन माँग पत्र के साथ मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी माँगे पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) यह अभ्यावेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कोलियरीज), इस्को के नाम था और उन्होंने ही इसे प्राप्त किया था।

29 LSS/77—7

(ख) माँगें निम्नलिखित हैं :—

(1) पदोन्नति नीति में संशोधन किया जाए ;

(2) मजदूरी बोर्ड के ऊंचे ग्रेड में भर्ती विभागीय पदोन्नति द्वारा की जाए ;

(3) सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ग्रावास की व्यवस्था की जाए-ग्रन्यथा 1-1-1977 से मकान किराया भत्ता (ईंधन ग्रौर बिजली के खर्चे भी शामिल हैं) दिया जाए ;

(4) पूरी तरह से सुसज्जित एक ग्रस्पताल का निर्माण किया जाए ; भारत में कहीं पर भी चिकित्सा/इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाए ;

(5) स्कूल की इमारत का निर्माण किया जाए ;

(6) चसनाला ग्रौर रामनगर में स्कूल के बच्चों के लिए बसों की व्यवस्था तथा बस के खर्च में उपयुक्त कमी की जाए ;

(7) एक कोयला खान से दूसरी कोयला खान में बदली पदोन्नति देकर ग्रथवा कम से कम वर्तमान ग्रेडों में ग्रतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ देकर की जाए ;

(8) क्लब की बिल्डिंग क्लब की गतिविधियों के लिए खाली की जाए ;

(9) 500 रुपये मासिक से ग्रधिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को ग्राठ घंटे से ग्रधिक काम करने के लिए समयोपरि भत्ता दिया जाए ;

(10) उचित कार्य तथा कल्याण विभाग की स्थापना की जाए ;

(11) पीने के साफ पानी की पर्याप्त सप्लाई ; घरेलू ईंधन की सप्लाई की व्यवस्था की जाए ;

(12) ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों तथा उनके रिहायशी क्षेत्र में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ;

(13) सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने पर पहले दर्जे के रेल भाड़े का भुगतान किया जाए ;

(14) केन्टीन की सुविधाग्रों की व्यवस्था की जाए ;

(15) सभी कर्मचारियों को कोयला-क्षेत्र भत्ता दिया जाए ;

(16) जैसा कि ग्रधिकारियों को देय है, उसी रूप में कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत दी जाए ;

(17) छुट्टियाँ उसी प्रकार मिलनी चाहिएं जिस प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड में मिलती हैं ;

(18) कर्मचारियों के ग्राश्रितों को ग्रनिवार्य रूप से नौकरी दी जाए ;

(19) ग्रप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के लिए ऋण ग्रौर ग्रग्रिम की व्यवस्था की जाए ;

(20) सभी कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाए ; स्कूटर/मोटर साईकिल खरीदने के लिए ऋण दिया जाए ;

(21) बाढ़ सहायता तथा सूखे की सहायता के लिए ऋण दिया जाए ;

(22) कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों में कर्मचारी एसोसिएशन से परामर्श किया जाए ; तथा

(23) पिछली तारीखों से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता/परिवर्ती मंहगाई भत्ता दिया जाए ;

(ग) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद की मध्यस्थता से इन माँगों को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए कंपनी के प्रबन्धक एसोसिएशन से बातचीत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कर्मचारी संगठन की मांग

4136. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें पता है कि राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कर्मचारी संगठन (नेशनल कौंसिल फार सेफ्टी इन माइन्स एम्पलाईज एसोसिएशन) द्वारा अपने लम्बी समय से चली आ रही माँगों के पूरा न होने के प्रश्न को लेकर धनबाद में 6 से 10 अक्तूबर, 1977 तक सत्याग्रह शुरू किया था जिसके लिए इस संगठन ने अनेक ज्ञापन दिए थे और जिसके लिए उक्त संगठन ने 1 नवम्बर, 1977 से माँगें पूरी होने तक अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ;

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उनकी शिकायतें दूर करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय है, ने सूचित किया है कि श्री रघुनाथ सिंह नामक एक क्षेत्रीय अधिकारी ने, जो राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के कर्मचारी संगठन का सदस्य भी है, 7 से 10 अक्तूबर, 1977 तक सत्याग्रह किया था। उनकी माँगे निम्नलिखित थीं :--

(1) क्षेत्रीय अधिकारी का स्थानान्तरण तरफदारी तथा विभेद की नीति का अनुसरण करते हुए किया गया है। इसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए तथा स्थानान्तरण रद्द किया जाना चाहिए।

(2) तरफदारी तथा विभेद की नीति को समाप्त किया जाना चाहिए।

(3) परिषद् को स्थायी घोषित किया जाए।

(4) परिषद् के कार्यकलापों को अचानक क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में जाँच की जानी चाहिए।

(5) उपदान योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

इसी व्यक्ति ने इन्हीं माँगों को लेकर 1-11-77 से भूख हड़ताल का नोटिस भी दिया था परन्तु व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण उसने भूख हड़ताल नहीं की ।

इन शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने में कोई अनुचित देरी नहीं हुई है । चूंकि यह परिषद् एक पंजीकृत निकाय है और चूंकि इसे भंग करने की अन्तर्निष्ठ व्यवस्था भी मौजूद है, इसलिए इसे स्थायी घोषित करना सम्भव नहीं है । तथापि, यह बात इन कर्मचारियों को वे सभी प्रसुविधाएं दिए जाने की राह में रुकावट नहीं बनी है, जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । ग्रेच्युटी योजना प्रारम्भ करने के बारे में छान-बीन की जा रही है । परिषद् ने स्थानान्तरण के मामलों में विशेषकर, तरफदारी और विभेद बरते जाने के आरोपों का खण्डन किया है । श्री सिंह से उनके रामगढ़ से सीतारामपुर स्थानान्तरण के बारे में प्राप्त हुई एक प्रार्थना विचाराधीन है । सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों में किसी निदेशक की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की मनाही नहीं है । जहां तक माँग संख्या 4 का संबंध है, चूंकि श्री सिंह ने परिषद् के कार्यकलापों को पहुंचाई गई क्षति के स्वरूप तथा क्षति के लिए अभिकथित जिम्मेदार व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस संबंध में कोई जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद के पास भविष्य निधि का जमा न किया जाना

4137. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कोयला खान श्रमिकों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद के पास जमा नहीं कराई गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे गंभीर अपराध के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम कृपाल सिंह) : (क) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के संबंध में ग्यारह करोड़ तथा पचासी लाख रुपये की राशि श्रमिकों व नियोजकों के अंशदान की बाबत भूतपूर्व मालिकों की ओर बकाया थी । राष्ट्रीकरण के पश्चात् कम्पनियाँ वर्तमान देय राशियों को जमा करने में काफी नियमित रही हैं । तथापि, 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, लगभग एक करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के संबंध में भूतपूर्व मालिकों की ओर बकाया राशियों की उन्हें भुगतान किए जाने वाले मुआवजे में से वसूली के लिए भुगतान आयुक्त के समक्ष दावे मामले दायर कर दिए गए हैं । जहाँ तक राष्ट्रीकरण के पश्चात् की अवधि के बारे में राष्ट्रीयकृत कम्पनियों के पास पड़ी बकाया राशियों का संबंध है, आरंभिक कार्रवाई, जैसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करना आदि की जा चुकी है । यदि देय राशियों को जमा नहीं किया जाता, तो उनके विरुद्ध कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध--अधिनियम, 1948 में व्यवस्थित आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, भाटपाड़ा और कल्याणी एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना

4138. **श्री सौगत राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, भाटपाड़ा और कल्याणी एक्सचेजों को, इन क्षेत्रों के औद्योगिक महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वचालित एक्सचेजों में बदलने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) भाटपाड़ा और बैरकपुर में मैनुअल एक्सचेंज हैं, जिन्हें आटोमेटिक एक्सचेजों में बदलने की योजना है। कल्याणी में पहले से ही आटोमेटिक एक्सचेंज है।

(ख) भाटपाड़ा में आटोमटिक एक्सचेंज स्थापित करने का काम चल रहा है और मार्च 1978 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। बैरकपर में आटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है। आशा है कि वह आटोमेटिक एक्सचेंज अगली योजना-अवधि के अंत तक चालू किया जा सकता है।

दिल्ली/नई दिल्ली के अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए की गई कार्यवाही

4139. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है ;

(ख) प्रत्येक अस्पताल के आपातकालीन (एमरजेन्सी) वार्ड में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधार किये गये हैं ;

(ग) विलिंगडन अस्पताल के बारे में संसद के गत सत्र में उन्हें प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दिल्ली के अस्पतालों में और अधिक शय्याओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार के क्या क्या प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान अस्पतालों में अधिक भीड़ को कम करने के लिए हरिनगर (पश्चिम दिल्ली) में 500 पलंगों वाला एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है।

रोगियों को दी जा रही सेवाओं को सुधारने के लिए अस्पतालों के मैडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ के काम की निगरानी संबंधी कार्यविधियों की समीक्षा की गई है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के काम की समीक्षा करने और उनमें कारगर सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया गया है।

(ख) एमरजेन्सी विभागों के काम की समीक्षा कार्यभार के आधार पर की गई है और जहां कहीं भी आवश्यक था वहां अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है ?

(ग) विलिंगडन अस्पताल के विरुद्ध मुख्य शिकायतें एमरजेन्सी विभाग के बारे में थीं। जैसाकि ऊपर उत्तर के भाग (ख) में बताया गया है एमरजेन्सी विभाग का स्टाफ बढ़ाने और इसके काम को दोषमुक्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

(घ) दिल्ली प्रशासन हरि नगर (पश्चिम दिल्ली) में 500 पलंगों वाला एक अस्पताल और शाहदरा में भी 500 पलंगों वाला एक अस्पताल खोल रहा है। दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में 100–100 पलंगों वाले सात नए अस्पताल खोलने और दिल्ली प्रशासन और नगर निगम के प्राधिकारणों द्वारा चलाए जा रहे कुछ अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव विचार के विभिन्न चरणों में हैं।

श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण पर पुनर्विचार

4140. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण पर उसे और अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने की दृष्टि से पुनर्विचार किया है ताकि श्रमिक उत्पादक गतिविधियों में भाग ले सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का सार संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1383/77]। समिति की रिपोर्ट की प्रति संसद के पुस्तकालय में भेज दी गई है।

कच्छ जिले और शमखोपाली गांव में टेलीफोन कनेक्शन

4141. **श्री अनन्त दवे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कच्छ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे ;

(ख) क्या शमखोपाली गांव के लोगों ने बहुत पहिले ही टेलीफोन कनेक्शन के लिए धन दे दिया था ; और

(ग) उनको अब तक कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) से (ग) : वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Forcible Sterilization in Ministry

4142. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of gazetted and non-gazetted employees, separately, of his Ministry who had undergone sterilization operation during emergency ;

(b) whether Government will find out as to whether some of those operations were done forcibly; and

(c) Government's future policy in regard to sterilization operations of their employees?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) The required information is being collected and will be laod on the table of the Sabha in due course.

(c) The Government's Policy in regard to Family Welfare Programme is that there will be no compulsion or coerison in respect of any section of the population.

Removal of Staff during Emergency

4143. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry who were removed from service on various charges during emergency;

(b) the number of employees out of them re-instated and the number of those yet to be re-instated; and

(c) the reasons for which they have not been re-instated so far and the future scheme and the policy of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Detention of Pakistanies in India and Indians in Pakistan

4144. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **External Aflairs** be pleased to state :

(a) the grounds on which the Indians have been detained in Pakistan and the Pakistanies have been detained in India; and

(b) whether the Government of both countries propose to hold any negotiations to get the prisoners of either country released.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) Government have no precise information of the grounds on which Indians had been detained in Pakistan. As regards Pakistani detenu in India, most of them entered illegally or were staying in India illegally. There are also some persons against whom there are various other charges of breach of law.

(b) Government are in constant touch with Pakistan Government to secure release of Indian detainees and for repatriation of Pakistani detainees in India. Since April 1976, four exchanges of such detainees have taken place between the two countries.

लोगों का अरब खाड़ी के देशों में अवैध रूप से जाना

4145. **श्री सडुआर्डो फैलीरो :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस देश के लोग बड़ी संख्या में विदेशों और विशेषकर अरब खाड़ी के देशों को अवैध रूप से जा रहे हैं; और

(ख) सरकार का लोगों के अवैध रूप से वहां जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी, हां। यह बात सरकार की जानकारी में आयी है कि भर्ती करने वाले कुछ एजेन्ट भारतीय श्रमिकों को, उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया और उसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन किये बिना खासतौर पर खाड़ी के देशों में भेज रहे हैं।

(ख) सरकार ने निकासी के मुख्य बिन्दुओं पर यानी बम्बई, दिल्ली, अमृतसर के हवाई और समुद्री पत्तनों पर, जहां से कि इस प्रकार का उत्प्रवासन आमतौर से होता है, अपनी निगरानी बढ़ा दी है। उत्प्रवासन प्राधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे इन बिन्दुओं की अचानक जांच किया करें और उत्प्रवासन के इच्छुक ऐसे व्यक्तियों को तब तक जाने की इजाज़त न दिया करें जब तक कि वे जरूरी औपचारिकतायें पूरी न कर लें। इन कथित गैर-कानूनी उत्प्रवासनों में सहायता देने वाले भर्ती एजेन्टों के नाम जब कभी सरकार की जानकारी में लाये जाते हैं तो वह इन्हें समुचित कार्यवाही के लिए राज्य प्राधिकारियों के पास भेज देती है। सरकार ने उत्प्रवासन के इच्छुकों को अखबार और दूसरे प्रचार माध्यमों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के बारे में सलाह भी दी है। हवाई/जहाजरानी कम्पनियों को भी यह सलाह दी गई है कि वे स्थान आरक्षण से पहले उत्प्रवासन प्राधिकारियों से इस बात की सम्पुष्टि कर लें कि उत्प्रवासन के इच्छुक इन व्यक्तियों ने निर्धारित प्रक्रिया की अपेक्षायें भी पूरी कर ली है या नहीं।

नेत्र विज्ञान के क्षेत्रीय संस्थानों पर खर्च

4146. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंधता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र-विज्ञान के छः क्षेत्रीय संस्थानों पर सरकार की योजना के अनुसार प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना खर्च किया जायेगा और इस खर्च में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का अनुपात क्या होगा ; और

(ख) इन संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर किस-किस हद तक है और किन राज्यों ने इस दायित्व को वहन करने की जिम्मेदारी ले ली है और किन राज्यों ने नहीं ली है, राज्यों द्वारा दायित्व न वहन किये जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दृष्टि विकार निवारण और अन्धता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 50 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। केन्द्रीय सरकार इस व्यय को नहीं बांटेगी। तथापि दृष्टि विकार निवारण और अंधता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन, केन्द्रीय सरकार लगभग 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति संस्थान को एक बार लगभग 25 लाख रुपये की सहायता देगी।

(ख) क्षेत्रीय संस्थान प्रबंध मंडल द्वारा चलाए जाएंगे, जिसमें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय, संस्थान और संबंधित न्यास के प्रतिनिधि होंगे। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने पहले ही अपने-अपने राज्य के लिए निर्धारित क्षेत्रीय संस्थान के विकास के लिए अपनी-अपनी सम्मति भेज दी है। कर्नाटक सरकार की सम्मति के शीघ्र ही मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह कार्यक्रम सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

Setting up of Regional Institute of Ophthalmology

4147. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state the action taken so far to set up the six Regional Institute of Ophthalmology under the Eradication of Blindness Programme, and the time by which this work would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): The six Institutes, which are proposed to be developed into Regional Institutes of Ophthalmology under the National Programme for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness, are already in position. Additional inputs are required to be put in by the Central Government, State Governments and the Trusts Governing the Institutions. The work of development of these Regional Institutes is to commence from the current financial year and would be completed in five years.

Opening of a Regional Institute of Ophthalmology of Aligarh Gandhi Eye Hospital, Aligarh

4148. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the management of Gandhi Eye Hospital is creating hurdles in the scheme of the Government to open a Regional Institute of Ophthalmology at Aligarh in order to keep its control over this institute ; and

(b) if so, the action being taken by Government to remove the elements creating hurdles in implementations of this National Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) Negotiations are on with the Government of U.P., University Grants Commission and the University of Aligarh for resolving the issue.

तूफान पीड़ित राज्यों के लिये चिकित्सा सहायता

4149. **डा० हेनरी आस्टिन :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले हाल के तूफान से केरल राज्य भी प्रभावित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालय से सहायता मांगी है ;

(ग) मंत्रालय ने इन राज्यों को कितनी और किस प्रकार की सहायता की है ;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन राज्यों को सहायता की पेशकश की है और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता की; और

(ङ) क्या सरकार इन राज्यों को सहायता देने, भविष्य में आने वाली ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, दवाइयां प्राप्त करने में हमारी सहायता मांगी गई थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा पहले घोषित की गई वित्तीय सहायता में चिकित्सा राहत के लिए भी व्यवस्था है। केरल के लिए सहायता की शीघ्र ही घोषणा किए जाने की सम्भावना है।

हमने इन राज्यों को जो सहायता दी है वह इस प्रकार है :—

(1) केरल : हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 25000 रुपये के मूल्य की दवाइयाँ मुफ्त सप्लाई की गई हैं।

(2) तमिलनाडु : 5,61,625 रुपये मूल्य की दवाइयाँ भुगतान के आधार पर सप्लाई की गई हैं।

(3) आन्ध्र प्रदेश : 33,20,375 रुपये के मूल्य की दवाइयाँ भुगतान के आधार पर सप्लाई की गई हैं।

तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को सामूहिक रूप से टीका लगाने के लिए एक जेट टीका दल भेज दिया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्यों में तालमेल, बैठाने का कार्य कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों को अग्रिम प्लान सहायता को आंकते और देते समय उसके स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी पहलुओं पर भी उस मंत्रालय द्वारा समुचित विचार किया जाता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकरण में आमूलचूल परिवर्तन

4150. **श्री उग्रसेन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्यकरण में आमूलचूल परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिषद् के पूरे तथा अधिक उपयोगी प्रयोजन इस्तेमाल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) तथा (ख) सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्य के मूल्यांकन के लिए विशेषरूप से तथा अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों के समग्र परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस मूल्यांकन समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन पारेषण

4151. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार सेवा अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन पारेषण के संबंध में कार्य कर रही है; और

(ख) क्या इस बारे में देशों के बीच समझौते किये हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टलसेट) के हिन्द महासागर पर स्थित उपग्रह के माध्यम से प्रसारित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम को संभाल सकने की क्षमता पुणे और देहरादून के उपग्रह भू-केन्द्रों में है। अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह-संगठन (इन्टलसेट) द्वारा दूरदर्शन सेवा संबंधी संचार के लिए उपग्रह का

हिस्सा आबंटित किया जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले देशों को इस तरह के कार्यक्रम का लेन-देन तय करने के पहले, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टलसेट) के साथ तालमेल स्थापित करना पड़ता है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र और अन्य एजेन्सियों की माँग के अनुसार विदेश संचार सेवा अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम सुलभ करती है। इसके लिए विदेश संचार सेवा और विदेश के दूरदर्शन प्रशासन के बीच किसी औपचारिक करार की जरूरत नहीं है।

Workers educated under Workers' Education Scheme

4152. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of workers educated under the Workers' Education Scheme so far ;

(b) whether the number of workers educated is satisfactory ; and

(c) if not, whether Government have taken any decision to take new steps to increase the number of educated workers and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kirpal Sinha) : (a) According to the information received from the Central Board for Workers' Education the number of workers trained under the Workers' Education Scheme by the end of October, 1977 is 30,51,000. In addition, one lakh eightyone thousand workers participated in the programmes conducted by grantees.

(b) the targets set out in this regard have been achieved.

(c) The Board has recently decided to undertake Pilot Projects at seven Regional Centres for education of rural workers.

Amount given to E.S.I.C.

4153. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state whether the Employees' Insurance Corporation's projects are financed by Government and if so, the amount given by Government upto 1976 and the amount government propose to spend during 1977 and 1978 ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : No. The projects are financed by the Employees' State Insurance Corporation from its own funds raised from the contributions from the employers and the employees. The expenditure on providing medical benefit is shared between the ESIC and the State Governments in the ratio of 7 : 1.

कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हर्जाना माफ किया जाना

4154. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री चतुरभुज :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 14-ख के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि के निलम्बित भुगतान पर हर्जाना लगाया जाता है ;

(ख) क्या अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसे कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं कि एक बार लगाये गये हर्जाने को वह माफ/कम कर सकें ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सैकड़ों दोषी प्रतिष्ठानों को गैर-कानूनी रूप से करोड़ों रुपये का हर्जाना संबंधी माफ/कम कर दिया है और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को दोषी नियोजकों पर बकाया राशि से अनधिक राशि तक जुर्माना करने का अधिकार प्रदान करती है। कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा लगाये गये जुर्मानों की पुनरीक्षण इस संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) : इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण), दिनाँक 8 जून, 1977 में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कुछ मामलों में बिना किसी कानूनी स्वीकृति के दण्ड जुर्मानों की राशियां कम करने अथवा माफ़ करने का आरोप लगाया गया था। शाह जाँच आयोग ने एक रिपोर्ट माँगी थी, जो उन्हें भेजी जा चुकी है।

औद्योगिक संबंध अधिनियम में संशोधन

4155 **श्री बसन्त साठे :**

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से औद्योगिक संबंध अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि न्यायालयों के फैसलों अथवा करारों को क्रियान्वित न करने को गम्भीर अपराध तथा ऐसी त्रुटियों के लिये दंड को प्रशम्य (कंपाउंडेबल) बनाया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की क्या रूपरेखा है ; और

(ग) उसमें दिये गये विभिन्न सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्र में या आन्ध्र प्रदेश में कोई औद्योगिक संबंध अधिनियम नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस राज्य में लागू किए जाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव भेजे। परन्तु उनमें इस प्रकार के कोई सुझाव शामिल नहीं हैं।

भविष्य निधि के अंशदान का बढ़ाया जाना

4156. **श्री बसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि के अंशदान में दो प्रतिशत की वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि भविष्य निधि अंशदान की दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए, जहां यह 6¼ प्रतिशत है और जहाँ यह 8 प्रतिशत है वहाँ इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए। इस मामले में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

Number of telephone connections at Barhalganj District Gorakhpur, and trunk call booked from there

*4157. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone facilities have been provided at Barhalganj in Gorakhpur District of Uttar Pradesh and if so, the total number of connections there ;

(b) the number of trunk calls booked for Gorakhpur or other places through them and vice versa and the number of trunk calls on which conversation took place from January to October, 1977; and

(c) whether he is aware that Gorakhpur-Barhalganj telephone line remains generally out of order and if so, the reasons therefor and if not, whether the line will be kept under watch for a month?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir. A 50 line MAX III has been provided with 35 working lines. The exchange is parented to Gorakhpur Trunk Exchange.

(b) 900 Trunk Calls were originated from the exchange of which 598 were effective. Date for incoming calls is not maintained.

(c) No Sir. The trunk line between Barhalganj and Gorakhpur is generally working satisfactorily with an efficiency of 88 to 90 per cent.

समितियों और सरकारी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के रूप में विदेशों के दौरों पर गये संसद सदस्यों की संख्या

4158. **श्री केशवराव घोंडगे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में कतिपय समितियों और सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों के रूप में कितने संसद सदस्यों ने विदेशों के दौरे किये;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और उनके दौरों के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) इस कारण सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों के दौरों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों के आधार पर अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रखे विवरण में दी गई है।

(ग) इन यात्राओं पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। इसे एकत्र कर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(घ) सरकार केवल उन्हीं विदेश यात्राओं को प्रायोजित करती है जो जनहित में हों ।

विवरण

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियों के अधीन समितियों और प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों के रूप में अगस्त-नवम्बर, 1977 के दौरान जिन संसद सदस्यों ने विदेशों की यात्राएं की उनकी संख्या का विवरण ।

संसद सदस्य	किस देश की यात्रा की	यात्रा का उद्देश्य	यात्रा-अवधि	
			से	तक
1. श्री एच० वी० कामथ	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राष्ट्र महासभा	20-9-77 से	
2. श्री रामधन	,,	के 32 वें अधिवेशन	,,	
3. श्री ए० सी० जार्ज	,,	में भाग लेने के लिए	,,	
4. श्रीमती एस० कुलकर्णी	,,		,,	
5. सैयद काजिम अलीमिर्जा	,,		,,	

विदेशों में टेलीफोन तथा टेलेक्स सेवाएं शुरू करना

4169. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च आवृत्ति रेडियो प्रणाली के जरिए सेवाओं के संचालन में कितनी प्रगति हुई है और अधिकाधिक देशों के साथ टेलीफोन तथा टेलेक्स सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : आयन मण्डलीय संचरण की परिस्थिति की वजह से उच्च आवृति रेडियो सम्पर्क की आन्तर्निहित सीमाएं हैं । विश्वसनीय तथा पर्याप्त स्तर की संचार सेवा सुलभ करने की दृष्टि से यह प्रणाली अपर्याप्त है । इसीलिए भारत सहित संसार के अनेक देशों ने अपनी वाह्य दूरसंचार व्यवस्था के लिए उपग्रह संचार की आधुनिक प्रणाली अपनाई है । इसके माध्यम से चौड़ी पट्टी वाली विश्वसनीय और कुशल सेवा रात-दिन सुलभ रहती है ।

भारत के वाह्य टेलीफोन परियात का 99 प्रतिशत, टेलेक्स परियात का 95 प्रतिशत और तार परियात का 75 प्रतिशत भाग सीधे अथवा अन्य उपग्रह के माध्यम से (थ्रुपुट) स्थापित संचार सम्पर्क द्वारा निपटाया जाता है । उन देशों के साथ जहां उपग्रह के माध्यम से संचार सम्पर्क संभव नहीं है उच्च आवृत्ति रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ।

भारत का संसार के सभी देशों के साथ तार सेवा सम्पर्क, 196 देशों के साथ टेलीफोन सेवा सम्पर्क और 191 देशों के साथ टेलेक्स सेवा सम्पर्क है । यह सम्पर्क उपग्रह उच्च आवृत्ति रेडियो प्रणाली के माध्यम से सीधे अथवा 'स्विच्ड' सेवाओं द्वारा साधा जाता है ।

Telecommunication Problems

4160. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) Whether in the meeting of Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocations, questions relating to formulation of National Frequency Allocations Plan for frequency bands, frequency coordination requirements of specialised systems, selection of sites for wireless installations and other telecommunication problems were considered; and

(b) If so, the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes sir. These subjects which are of a continuing nature are discussed at the meetings of the Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocations (SACFA) which are held periodically. The last (32nd) meeting of the Committee was held on 8th September, 1977.

(b) As a result of the deliberations of the SACFA, national usage plans for different parts of the radio frequency spectrum have been made and also reviewed, specific radio frequency authorisations to various wireless users and services agreed upon and siting for radio intallations of all the national users coordinated and cleared. The review of frequency allocations/authorisations takes into account changes in international allocations, progress of technology and changes in the requirements of users.

Demand of Wage and Bonus by Workers of Readymade Garment Factories

4161. **Shri Daya Ram Shakya:**

Shri P. K. Kodiyan:

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the problems of the workers of Readymade Garment Factories in Delhi regarding payment of wages, bonus and making them permanent;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) whether any representations have been received by Government on behalf of the Readymade Garment Workers' Union in this regard?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) and (b) According to the information received from the Delhi Administration, minimum wages for Employment in Readymade Garments have been fixed by the Delhi Administration with effect from 1-12-1977. It has also been decided by them to constitute shortly a Committee consisting of five representatives from the managements' side and an equal number from workers' side and one officer of the Labour Department to sort out wage disputes of previous service of the employees. As regards bonus, most of the factory managements and the unions of the workers have mutually agreed for payment of bonus for the previous year. The complaints for non-payment of bonus are also being looked into by the Delhi Administration under the Payment of Bonus Act.

(c) No Sir.

आई० बी० एम० श्रमिक संघ का अभ्यावेदन

4162. **श्री भगत राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० एम० श्रमिक संघ के अध्यक्ष की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें आई० बी० एम० द्वारा ड्राइवरों के शोषण तथा अतिरिक्त श्रम न्यायालय के पंचाट का पालन न किए जाने एवं प्रबन्धकों द्वारा पंचाट के अनुसार बर्खास्त किए गए ड्राइवरों को बहाल करने में देर करने के हथकंडे अपनाए जाने के बारे में बताया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इससे पहले कि निगम (आई० बी० एम०) को भारत में अपना कारोबार बन्द करने की सरकार की नीति के अनुसरण में अपनी आस्तियां वितरित करने दी जायें, इन श्रमिकों के दावे निपटाये जायें ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। आई० बी० एम० श्रमिक यूनियन का अभ्यावेदन तदनुसार दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाया गया था। दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अब सभी अनिर्णीत विवादों तथा श्रमिकों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से तय कर दिया गया है।

एक विद्युत परियोजना में लगे गुलाम श्रमिक

4163. **श्री भगत राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 नवम्बर, 1977 के 'दि ट्रिब्यून' में "स्लेव लेबर आन ए पावर प्रोजेक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत (एक विद्युत परियोजना में लगे गुलाम श्रमिक) प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें परियोजना में लगे उड़ीया श्रमिकों की दीन दशा का वर्णन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार श्रमिकों की दशा सुधारने और उन्हें पूरी मजूरी का भुगतान कराने, कार्य घंटों तथा शर्तों को नियमित करने, मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं आदि देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) : (क) से (ग) सरकार ने निर्दिष्ट प्रैस रिपोर्ट को देख लिया है। इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है, ताकि वे इसकी जांच कर सकें और अपने निष्कर्षों के प्रकाश में अपेक्षित समुचित उपचारी कार्रवाई कर सकें। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन वर्गों के श्रमिकों को लागू होने वाले श्रम कानून को लागू कर, ताकि वे (श्रमिक) कानूनों व्यवस्थित संरक्षण प्राप्त कर सकें और उन सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें जिनके वे हकदार हैं।

Public Call Office in Sub-Post Offices of Bulandshahr District, Uttar Pradesh

†4164. **Shri Rajkeshar Singh** : Will the Minister of **Communications be** pleased to state:

(a) the number of sub-post offices in the District of Bulandshahr, Uttar Pradesh where the facility of Public Call Office has not been provided so far; and

(b) whether Government intend to provide the same during the year 1977-78?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Thirteen, Sir.

(b) It is proposed to provide Public Call Offices at 3-Sub-Post Offices during the year 1977-78.

Introduction of C.G.H.S. Scheme in Ghaziabad

4165. **Shri Rajkeshar Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Central Government employees are living in Ghaziabad and they come daily to Delhi for duty;

(b) whether the employees have to face a lot of difficulties due to inadequate medical facilities available to them there; and

(c) whether Government intend to introduce Central Government Health Service Scheme in the city for employees?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes.

(b) and (c) There is no proposal to introduce Central Government Health Services Scheme in Ghaziabad. The concentration of Central Government employees in Ghaziabad is not sufficient to justify the introduction of Central Government Health Service Scheme in that city. However, the Central Government employees residing in Ghaziabad are governed by the CS(MA) Rules, 1944 for medical treatment.

Grants for Exploration of Rock Phosphate in Rajasthan

4166. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines be** pleased to state whether Government propose to provide grants to Rajasthan, a backward State, to enable it to make use of modern techniques for the exploration and processing of phosphate deposits in Jhamarkotara and Udaipur?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): No, Sir.

(सभा पटल पर रखे गये पत्र)
PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत अभिसमय तथा सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही संबंधी एक विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं जैनेवा में जून, 1976 में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 61वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय तथा सिफारिशों पर की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1364/77]

राज्य सभा से संदेश
Message from Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 13 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 पास किया है ।

पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक
PORT LAWS (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा (हसन) : मैंने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न दिये हैं जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है । कृपया इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रकार की शिकायतें करने से कोई लाभ नहीं । आप मेरे चेम्बर में आये, वहां इस पर चर्चा करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling Attention to matter of urgent public importance

नेशनल हेराल्ड के प्रबन्धकों द्वारा पत्र के दिल्ली संस्करण को बन्द करने का कथित निर्णय

श्री कृष्णकांत (चंडीगढ़) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "नेशनल हेराल्ड के प्रबन्धकों द्वारा पत्र के दिल्ली प्रकाशन को स्थगित किये जाने का कथित निर्णय जिससे वह बंद हो सकता है तथा पत्रकारों और कर्मचारियों पर उसका दुष्प्रभाव ।"

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : इस प्रस्ताव का विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है । वर्तमान मामले में इसका सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है ।

हाल ही में संशोधित इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट, जो 5 मार्च, 1976 से लागू हुआ, के अन्तर्गत ऐसे औद्योगिक संस्थापन जिसमें 300 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों, को अपने यूनिट को बन्द करने के अपने इरादे को सूचित करने के लिए समुचित सरकार को 90 दिन का नोटिस देना पड़ता

है । दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 'दि नेशनल हेरल्ड', दिल्ली, जिसमें कैजुअल कामगारों सहित लगभग 400 कामगार काम करते हैं, ने 14 दिसम्बर, 1977 तक प्रशासन को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया था । इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन में उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 दिसम्बर, 1977 तक प्रबन्धकों ने 'दि नेशनल हेरल्ड' के दिल्ली कार्यालय को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया था ।

श्री कृष्ण कांत : यह कहना गलत है कि प्रस्ताव का विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

इस समाचार पत्र के बंद होने का प्रश्न सितम्बर, 1977 से चल रहा है । जब कभी भी समाचार पत्रों में इस बारे समाचार छपते तो प्रबन्धक यही कहते कि जनता सरकार इसे बंद करना चाहती है ।

क्या मैं जान सकता हूं कि यह मामला 3-4 महीनों से चल रहा है । कर्मचारियों ने इसकी सूचना श्री शांतिभूषण को दी है और अनुरोध किया है कि इस पर विचार करें । यह अखबार दिवालिया नहीं है और चल सकता है, यह बात समाचार पत्रों से स्पष्ट होती है ।

कर्मचारियों ने प्रबन्धकों के कहने पर बताया है कि वे इस अखबार का प्रबन्ध कुछ शर्तों पर अपने हाथ में लेकर चला सकते हैं । कर्मचारियों की इस रजामंदी पर प्रबन्धक पीछे हट गये । आपातकालीन स्थिति के दौरान नेशनल हेरल्ड की परिचालन संख्या में बहुत वृद्धि हुई । इस अखबार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है । इसकी असली कठिनाई कुप्रबन्ध है (व्यवधान) । श्री शांति भूषण की सूचना में भी यही बात लायी गयी थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री अडवाणी ने इस सम्बन्ध में श्री शांति भूषण से विचार विमर्श किया है ।

श्री रविन्द्र वर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि समाचारपत्र बंद नहीं होने दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने वचन पर अटल है ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : माननीय सदस्य ने नेशनल हेरल्ड के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का जिक्र किया है । विधि मंत्री के लिखे गये पत्र पर विचार हो रहा है ।

समाचार पत्र के प्रबन्ध के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, उनके बारे जांच की जा रही है और सरकार इस पर निगरानी रख रही है । यह समाचार पत्र राजधानी का एक महत्वपूर्ण पत्र है । मैं कह चुका हूं कि दिल्ली प्रशासन को कल तक इस समाचार पत्र के बंद किये जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

इस समाचार पत्र के लेखों की जांच की जायगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधि मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि प्रबन्ध बोर्ड ने 8 दिसम्बर 1977 की अपनी बैठक में पत्र को बंद करने का निर्णय लिया था जिसकी सूचना सरकार को भी दी गयी थी । सरकार को इस बात की जानकारी थी और मंत्री महोदय का इस प्रकार का वक्तव्य सराहनीय नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि श्रीमती गांधी तथा उनके गिरोह के लोग इस अखबार को बंद करना चाहते हैं ताकि उनके द्वारा की गयी धांधली तथा गबन पर पर्दा पड़ा रहे । इस समाचार पत्र में अपना लेखा-परीक्षक नहीं है । यह बात खेदजनक है कि स्वर्गीय नेहरू का पत्र कालाधन बनाने का साधन बना ।

यह पत्र 40 वर्ष पहले 100 रुपये के शेयरों के साथ चलाया गया था । आज यह अखबार 3 करोड़ रुपये का है । इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि 100 रुपये किस प्रकार 3 करोड़ रुपये बन गये । सर्वश्री धनासिंह, युनुस आदि आदि ने इस समाचार पत्र को बहुत लूटा है । समाचार पत्र की परिचालन संख्या और विज्ञापन आय में दो वर्षों के अन्दर लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है ।

पत्रकार इस अखबार को दैनिक किराये के आधार पर लेना चाहते हैं लेकिन श्रीमती गांधी ने इनकार कर दिया । वे इसे 9000 रुपये प्रतिमास किराये पर देना चाहते हैं ।

मुख्य उद्देश्य धांधली और गबन को छिपाये रखने का है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी पूरी जांच करेंगे ? इसमें कर की चोरी भी हुई है । क्या नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों की एक सहकारी समिति नहीं बनायी जा सकती जो इस समाचार पत्र को चलाये । क्या मंत्री महोदय ने इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं ?

क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन भी देंगे कि समाचार पत्र को किसी भी दशा में बंद नहीं होने दिया जायेगा ?

श्री लालकृष्ण अडवाणी : जिन वित्तीय अनियमिताओं की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, सरकार को उनके बारे पूरी जानकारी है । हमारे नोटिस में यह बात भी आयी है कि नेशनल हेरल्ड प्रबन्ध द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि आदि की 65,000 रुपये की राशि देय है । समाचार पत्र को कलकटर ने इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है ।

यदि किसी समाचार पत्र में धांधली हुई हो तो सरकार इसकी जांच अवश्य करेगी ।

माननीय सदस्य ने प्रश्न तो कोई नहीं पूछे लेकिन सुझाव जरूर दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इनके सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : हां, उन सुझावों को अवश्य ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : This matter pertains to Information and Broadcasting, Labour, Company Affairs and Finance Ministry. All the four ministries should constitute a committee to go into the affairs of the National Herald.

Associated Journal Ltd. has shares of one Public Fund Trust amounting to Rs. 56 crores. Shrimati Gandhi has 80 per cent shares in this Trust and her name is not appearing in the return. The Committee should go into all the aspects i.e. circulation and advertisement etc. etc.

Financial condition of the paper is very good. It is not known as to why this paper is being closed.

I want an assurance from the Government that this paper will not be closed. Secondly, I want all the four ministries and CBI to unearth this scandle. Thirdly I want to know whether Government will appoint Director in the Board of this paper ?

Shri L. K. Advani : All the four ministries will coordinate their activities with a view to unearth the scandle of this paper.

Our Government is not in favour of appointing Director in the Board. All the suggestions of the hon. member will be taken into consideration.

श्री कंवर लाल गुप्ता : मंत्री महोदय ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि समाचार पत्र बंद नहीं होगा ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी ।

Shri Vijay Kumar Malhotra (Delhi-South) : It is clear from the report of the various questions that this paper is at the shrink of closure.

I want to know the reasons for closing this paper when its financial position is very sound. Also I want to know the reasons for which this paper's assets rose from Rs. 100/- to three crores.

There are liabilities worth 60 lakh on the paper. These liabilities should be recovered from the assets of the paper.

Services of two employees from the Lucknow branch of the paper were terminated without any sound reason. They have not so far been reinstated. They should be provided sufficient protection.

Shri L. K. Advani : We will definitely ask the management at a proper time to let us know the reasons for closing the paper.

The question of termination of services of two employees is under consideration of the State Government.

I may further submit that as regards the questions of land given to National Herald, being used for purposes other than running the paper, it will be looked into.

Shri Ugrasen (Deoria) : Let us have a look on the historial background of National Herald. This paper was originally started in 1936 with the efforts of Pandit Jawahar Lal Nehru with small donations of Rs. 10, 20, 50 and 100. Later this Company was converted into an associated journal. We the old Congressmen had a dream that when India will be free, National Herald will reflect the national awaking and national ideology. But now the things are all-together changed. The same National Herald has not paid provident fund to its employees.

It has been stated by the Minister that till 14th December, 1977 he had no information about the reported threat regarding closing down of his paper. But I want to bring it to his notice that on 7th September when the representatives of Associated Journal Workers Union called upon the General Manager of National Herald, even at that time they were given to understood that paper is likely to be closed completely. Perhaps the Management wanted to close down the paper gradually. But may I ask from the Government that can the paper be closed without proper notice in such an illegal manner? I want that proper steps should be taken by the Government so as to ensure that this paper is not closed down in such an arbitrary manner and neither any Union Leader nor any employees ot the paper should be retrenched.

Shri L. K. Advani : I am grateful to hon. Member for giving some important information about the historical background of National Herald. I may once again make it clear that a formal notice to the Government under industrial dispute act is necessary. Just with the suspension of publications, the obligations of a paper does not come to an end. So in view of all these things the situation is being examined.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं मदन तथा सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एग्री-एक्सपो-77 के समापन समारोह के अवसर पर संसद् सदस्यों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। उन्हें काफी पीछे बिठाया गया। यह संसद् सदस्यों का अपमान है। मुझे याद है कि 1952 में भी रक्षा मेले के आयोजन के समय एक एसी ही घटना घटी थी तथा वह मामला यहां उठाया गया था। उस समय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकार इस बात के लिए सतर्क रहेगी कि संसद् सदस्यों को अलग स्थान दिया जायेगा। इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक निश्चय ही गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर उचित ध्यान दे। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इस देश में संसद् सदस्यों का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनकी महत्ता कम नहीं होनी चाहिये।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

19वां तथा 28वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय : मैं लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के जिंक की सिल्लियां की खरीद से संबंधित पैराग्राफ 37 पर 19वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2 प्रत्यक्ष कर, के एक विदेशी कम्पनी को छूट की अनियमित अनुमति से संबंधित पैराग्राफ 17 पर 28वां प्रतिवेदन।

समितियों के लिए निर्वाचन

Election to Committees

(एक) राजघाट समाधि समिति

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1)(घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, सरकारी अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ होने वाली कार्यावधि के लिए डा० सुशीला नायर के स्थान पर; जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951, की धारा 4 की उपधारा (1)(घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, सरकारी अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ होने वाली कार्यावधि के लिए डा० सुशीला नायर के स्थान पर; जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

दो (पशु कल्याण बोर्ड)

कृषि तथा सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1)(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, निर्वाचन की तिथि से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, निर्वाचन की तिथि से आरम्भ होने वाली आगामी कार्यावधि के लिए पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं अपने सहयोगी श्री चांद राम की ओर से वाणिज्य पोत परिवहन में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) मैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में और आगे संशोधन करने तथा उसी के परिणामस्वरूप भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में भी कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में और आगे संशोधन करने वाले तथा उसी के परिणामस्वरूप भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में भी कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) नागपुर द्वारा कोल हैंडलिंग प्लांट की खरीद

श्री नरसिंह यादव : श्रीमान जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

Shri Subhash Ahuja (Betul) : I want to draw the attention of the Government to the bungling going on in the Western Coalfields, Nagpur. Every year large purchases of goods and equipment are made and then there is large scale bungling of the same. It is also learnt that coal handling plants and other goods worth about Rs. 1 crore are soon going to be purchased and tenders have been invited for the same. It is also learnt that there is large scale corruption and favouritism in this regard. Orders for coal handling plants worth Rs. 30,00,000 are being given to Rampur Engineering Company although other Companies have also offered to supply the same at a lower price.

In the past also, favouritism was shown to Jindal Company in the purchase of conveyor belts. Orders worth Rs. 34 lakhs were placed with that Company while Poona Rubber Company was given orders only worth Rs. 60—70 thousand although their price was less and the quality of their supplies was also considered to be superior. Now the time has come when this kind of corruption has to be stopped. The Government should also ensure that the equipment which is now being purchased, should be purchased after calling proper tenders from all companies. The entire working of this company should be looked into.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या नियम 377 के अन्तर्गत अध्यक्ष को अपना निर्णय देने या न देने अथवा उसे स्थगित करने का अधिकार है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय को मिल कर उन्हीं के साथ विचार-विमर्श कर लीजियेगा। जब तक वह अनुमति नहीं देते तब तक मैं इसे उठाने की अनुमति नही दे सकता। श्री चक्रवर्ती।

(दो) कलकत्ता की छात्राओं के साथ रेल कर्मचारियों का अभद्र व्यवहार

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : श्रीमान जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जोगमाया कालेज की 40 छात्राओं ने अपने दो अध्यापकों के साथ 30 अक्तूबर 1977 को 61-अप जनता एक्सप्रैस से देहरादून के लिए यात्रा आरम्भ की थी। उन्होंने शुल्क का भुगतान किया तथा चीफ रिजर्वेशन सुपरवाईज़र हावड़ा से 40 सीट वाली एक बोगी अलाट करवा ली। उसी दिन गाड़ी छूटने के बाद लगभग आधी रात के समय बदमाशों का एक गिरोह कम्पार्टमेंट (बोगी) में घुस आया तथा उसने अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा की। जब गाड़ी लखनऊ स्टेशन पर पहुंची तो अध्यापकों ने घटना के बारे में लखनऊ के स्टेशन मास्टर को सूचना दी। लखनऊ तथा मध्यवर्ती स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों ने किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। इतना ही नहीं जब 1-11-77 को गाड़ी हरिद्वार पहुंची तो उनकी बोगी गाड़ी से काट दी गई जिसके फलस्वरूप छात्राओं को और भी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा।

अब जरा मैं आपको उनकी वापिसी की यात्रा का हाल भी सुना दूं। यद्यपि उन्होंने अपनी वापसी यात्रा के लिए बोगी रिजर्व करवा ली थी परन्तु फिर भी जब वह छात्राएं देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं तो उनकी रिजर्व करवाई हुई बोगी वहां मौजूद नहीं थी। बहुत अधिक कठिनाई से उन्हें कलकत्ता के लिए गाड़ी मिली। लेकिन लकशर स्टेशन पर एक टी० टी० ई० शराब पी कर उनके कम्पार्टमेंट में घुस आया और जी० आर० पी० के व्यक्तियों से कहा कि इनका सारा समान आदि प्लेटफार्म पर

फैंक दें। लेकिन अन्य यात्रियों की सहायता से ये छात्राएं फिर इसी गाड़ी से यात्रा कर सकीं। श्रीमान जी यह काफी गम्भीर मामला है जिसकी पूर्ण जांच करवाई जानी चाहिये तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जाये उसकी सूचना छात्राओं को भी दी जानी चाहिये।

(तीन) आंध्र प्रदेश में तूफान पीड़ितों के लिए धन तथा राहत सामग्री का वितरण

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई-पूर्व) : यह सदन तथा दक्षिण के लोग जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वेंगल राव, दक्षिण में 'बंसीलाल' कहे जाते हैं.... (**व्यवधान**)

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 के अन्तर्गत किसी को अपमानित करने वाला आरोप नहीं लगाया जा सकता। सदस्य महोदय एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निन्दनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जोकि सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जब तक वह अपने शब्द वापिस नहीं लेते हम, उन्हें बोलने नहीं देंगे। नियम 377 के अन्तर्गत राज्य का मामला यहां नहीं उठाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी जो कुछ सदन के समक्ष नियम 377 के अन्तर्गत रखना चाहते थे, उसकी अनुमति अध्यक्ष महोदय ने दे दी है। अतः मेरा श्री स्वामी से अनुरोध है कि वह उसी विषय तक ही सीमित रहें जिसकी अनुमति उन्हें अध्यक्ष महोदय ने दी है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : 'हिन्दू' जैसे अनेक समाचार पत्रों में यह छपा है कि राज्य का प्रशासन पूर्णतया ठप्प हो गया है। श्री लकप्पा के प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी जब आन्ध्र-प्रदेश में गई थीं तो वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्त्ताओं को राहत कार्य करते देखा तो उन्होंने पूछा कि यह स्वयं सेवक कैसे कार्य कर रहे हैं.......... (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : नियम 377 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल लोक महत्व के विषय को ही यहां उठाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी सम्भवतः किसी दस्तावेज का ही मामला उठाना चाहते हैं।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : जब श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने स्वयं देखा कि आन्ध्र प्रदेश के तूफान-पीड़ित क्षेत्रों में समूचा राहत कार्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है तो उन्हें यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सभी स्थानों पर क्यों काम कर रहे हैं और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बोस एलूरी (नरसापुर) : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। मैं उस समय वहां पर उपस्थित था। किराये के लोगों को बैज दिये गये थे जिन लोगों ने वहां पर काम किया वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नहीं थे।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : वास्तव में सभी ने यह स्वीकार किया है कि आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इतना अच्छा काम किया है कि किसी और देश में उन्हें नोबल शान्ति पुरस्कार के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाता। यह शर्म की बात है कि सरकारी एजेन्सी बुरी तरह असफल हुई और स्वयं सेवी संगठन निष्काम सेवा कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस दल ने सरकारी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और जिला शिक्षा अधिकारी, हैदराबाद ने एक आदेश जारी किया जिसमें उप-शिक्षा अधिकारियों, स्कूलों के उप-निरीक्षकों, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाईस्कूलों के मुख्याध्यापकों (सरकारी

और प्राइवेट) से छात्रों तथा अन्य लोगों से प्राप्त कपड़े तथा अन्य सामान सम्बन्धित स्कूलों के उप-निरीक्षक और उप-शिक्षा अधिकारी के पास 12 दिसम्बर तक भेजने को कहा गया। आदेश में आगे यह भी कहा गया कि ये अधिकारी इस सामान को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलील पाशा या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंप दें तथा भारतीय छात्र संघ इस सामग्री को तूफान पीड़ित क्षेत्र में भेजने का प्रबन्ध करेगा। इस प्रकार सरकारी तन्त्र का उपयोग दलीय कार्यों के लिये किया गया। मैं इसे सरकार के ध्यान में लाकर भारत के राष्ट्रपति के ध्यान में लाना चाहता हूं जिससे राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश सरकार को बरखास्त कर दें।

(चार) सीमेंट के उत्पादन में गिरावट

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं सीमेंट के अभाव और उसके उत्पादन में कमी की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं। उद्योग मंत्री ने सीमेंट के उत्पादन की कमी को स्वीकार किया और परिणाम-स्वरूप वह चोर बाजारी में चला गया है तथा नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है।

यह बहुत गम्भीर बात है और इसका उपभोक्ताओं पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार इस ओर ध्यान दे और चोर बाजारी बन्द करे यदि आवश्यक हो तो कमी को दूर करने के लिये सीमेंट का आयात भी करे।

भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे के बारे में हुए समझौते के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : AGREEMENT BETWEEN INDIA AND BANGLA DESH FOR SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

प्रो० समर गुह (कन्ट.ई) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे तथा जल के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भारतीय गणतंत्र की सरकार और बंगलादेश जन-वादी गणतंत्र की सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा 14 नवम्बर, 1977 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

फरक्का बांध परियोजना प्रतिवेदन और मूल समझौते के कागजात सरकार ने स्वीकार किये तो यह कहा गया था कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन को बचाना है। परन्तु समझौते के पाठ को देखने और प्रधानमंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि यह समझौता तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आधार पर न करके शुद्ध रूप में राजनीतिक आधार पर किया गया है। सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य बंगलादेश की सैनिक सरकार को प्रसन्न करने के अलावा और कुछ नहीं है।

हमारे सामने महत्व का विषय यह है कि क्या इस समझौते मे फरक्का बांध का मूल उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा? क्या यह समझौता तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर उचित है? क्या यह समझौता प्रयोग के आधार पर किया गया या हुगली पर किये गये वास्तविक प्रयोग पर भी विचार किया गया? क्या यह 1975 में बंगलादेश से किये गये समझौते से किसी रूप में बेहतर है। सरकार यह भी बताये कि क्या पिछली सरकार ने कोई ऐसा वचन दिया था जिसके आधार पर इस सरकार को यह समझौता करना पड़ा है और क्या सरकार ने गंगा के पानी का कोई दीर्घकालीन हल निकाल लिया है?

कलकत्ता बन्दरगाह बंगाल की ही बन्दरगाह नहीं है वरन् यह पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था का फेफड़ा है। इस पर कम से कम दस राज्यों का व्यापार उद्योग और वाणिज्य निर्भर करता है। इसलिये यह कहना गलत है कि फरक्का का मामला केवल बंगाल का ही मामला है। यह एक राष्ट्रीय मामला है।

29 LSS/77—9

यह सच है कि बंगला देश से बात करते समय जनवरी 1977 से किसी भी जल विज्ञान विशेषज्ञ से परामर्श नहीं किया गया जबकि बंगलादेश की ओर से हमेशा एक विशेषज्ञ रहा।

प्रधान मंत्री और श्री जगजीवन राम दोनों ने यह कहा है कि हम केवल 10 दिन के लिये फरक्का से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को राजी हुए हैं। यह सर्वथा गलत है । यह उनके द्वारा दिये गए आंकड़ों के विपरीत है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि हम 20,000 से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे।

पुणे जल विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र के प्रयोग से पता चलता है कि इतना पानी छोड़े जाने से 26 से 27 लाख टन तक गाद जम जायेगी। ये आंकड़े सरकार के सामने थे । परन्तु चर्चा के समय इन पर विचार नहीं किया गया। पुणे प्रयोग शाला द्वारा सब बातों पर विचार करने के बाद यह पता चला कि कम पानी के मौसम में पानी का बंटवारा इस प्रकार करने से बड़े भयंकर परिणाम निकलेंगे ।

समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह निर्णय कैसे लिये कि कम पानी वाले महीनों में 20,000 क्यूसेक पानी की निकासी से कलकत्ता बन्दरगाह से हुगली नदी में जहाजरानी हो सकेगी। प्रतीत होता है कि सरकार ने 1952 के मानसिंह प्रतिवेदन को ले लिया है जो केवल प्रोटोटाइप प्रयोग पर आधारित था और जिसमें डा० के० एल० राव के वे वक्तव्य नहीं हैं जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गत पांच वर्षों के लिये लोन पीरियड सहित 40,000 क्यूसेक पानी के साथ प्रयोग किये जाने चाहिये। यह राय केवल डा० के० एल० राव की ही नहीं थी। सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को फरक्का से पानी की निकासी की मात्रा निर्धारित करन के लिये आमंत्रित किया था ताकि कलकत्ता बन्दरगाह को बचाया जा सके। सभी की यह राय थी कि 40,000 से 46,000 क्यूसेक पानी की न्यूनतम आवश्यकता है। सरकार ने इन सब की राय क्यों मांगी और बाद में उस राय को क्यों नहीं माना?

सारे साल भारत को 37.3 से 45 प्रतिशत और बंगलादेश को 62.7 से 55 प्रतिशत पानी मिलेगा। गंगा नदी भारत में 1,370 मील बहती है और बंगलादेश में केवल 88 मील बहती है; 94.7 प्रतिशत सिंचाई क्षमता और गंगा बेसिन की 94 प्रतिशत जनसंख्या भारत में हैं। मुख्य गंगा चेनल का 90 प्रतिशत भारत में पड़ता है । क्या कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय नदी या करार है जिसके अनुसार बाद के देश जिसे उस पानी का 5 से 10 प्रतिशत पानी मिलता है, अन्य देश की मुख्य बन्दरगाह को पंगु बनाकर जल का अधिकांश भाग मिलता हो। इस प्रकार का असमान बंटवारा विश्व में देखने को कहीं नहीं मिलेगा।

जब बंगला देश पाकिस्तान में था तो 1960, 1961, 1962 और 1968 में गंगा के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में भारत और बंगला देश के प्रतिनिधियों के बीच बैठकें हुई। उस समय फरक्का बांध बनाया जाना था। 1960 के शुरू में उन्हें 3500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता थी, जबकि 1960 के अन्त में यह आवश्यकता बढ़कर 18,000 क्यूसेक हो गई। बाद में 1961 में 29,000 क्यूसेक और 1962 में बढ़कर 32,000 क्यूसेक हो गई और फिर 1968 में यह बढ़कर 49,000 क्यूसेक हो गई। इस वृद्धि का अर्थ क्या है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय राय क्या है। पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेगना नदियों का बहुत सा पानी बंगाल की खाड़ी में प्रतिवर्ष बेकार गिरता है। उस समय बंगाला देश पाकिस्तान में था। पाकिस्तान इस फालतू पानी का लाभ उठा सकता था। यह सभी जानते हैं, बंगलादेश की समस्या इस बांध की समस्या नहीं है बल्कि बाढ़ नियंत्रण की समस्या है। जहाजरानी की भी समस्या है। पानी के खारेपन की समस्या नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि यदि बंगलादेश की नदियों से 40,000 क्यूसेक पानी की निकासी से अधिक खारेपानी नहीं बनता तो फरक्का से 40,000 क्यूसेक की निकासी से बंगलादेश की नदियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कहा गया है कि 1975 में किये गये करार को मानने के अलावा कोई चारा न था। परन्तु यह कहना गलत होगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भारत को कुछ भी करने के लिये वचनबद्ध किया है। फरक्का परियोजना को चालू करने के लिये बंगलादेश की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं है। बंगलादेश के साथ हम पहले किसी प्रकार से वचनबद्ध नहीं हैं। यह केवल एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। हमने स्वयं वहां के सैनिक शासन को सन्तुष्ट करने के लिये ऐसा किया है। क्या यह 1975 के समझौते से किसी प्रकार बेहतर है? वह केवल एक वर्ष के लिये था। मैं उस समझौते की विषयवस्तु में नहीं जाना चाहता। यह कोई सशर्त समझौता नहीं था।

यह भी कहा गया है कि यह एक अन्तरिम समझौता है। पिछला समझौता पांच वर्ष के लिये था और 3 वर्ष के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जायेगी। पहले यह केवल एक वर्ष के लिये था और सर्वेक्षण प्रति वर्ष किया जाना था। क्या यह एक अन्तरिम समझौता है? 5 वर्ष के भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। उस समय तक कलकत्ता बन्दरगाह प्रायः समाप्त ही हो जायेगी और कलकत्ता बन्दरगाह के समाप्त होने का अर्थ पश्चिम बंगाल का समाप्त होना है और पश्चिम बंगाल के समाप्त होने का अर्थ पूर्वी भारत के आर्थिक पहलू का समाप्त होना है।

यह बात समझ में नहीं आती कि यह करार अन्तरिम है और पांच वर्षों के लिये है। अभी तक सभी अन्तर्राष्ट्रीय इस बात के पक्ष में थे कि भारत को 46,000 क्यूसेक जल मिलना चाहिये। अब वे अपनी राय बदल लेंगे।

ऐसा कहा जा सकता है कि यह करार करके हमने अपने दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखा है और इस प्रकार एक स्थायी समझौता हो जायेगा। उन्होंने गंगा और ब्रह्मपुत्र के जोड़ने के लिये सर्वेक्षण की बात भी नहीं मानी है। इसके लिये वे 1975 में मान गये थे। उन्होंने अकेले ही सर्वेक्षण करने की बात को माना है। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं है। इससे कलकत्ता पत्तन को बहुत हानि होगी।

गंगा के ऊपरी भाग से अधिक जल आने की संभावना बहुत कम है। कोसी में अधिक पानी देने की हम नेपाल से मांग करते आ रहे हैं ताकि फरक्का के लिये गंगा में अधिक पानी आ सके। परन्तु नेपाल ने हमारी बात नहीं मानी। इस प्रकार कलकत्ता पत्तन के हितों के विरोध में यह करार किया गया है।

यह करार किसी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर नहीं किया गया है। हमने बंगला देश के सैनिक शासक को खुश करने के लिये यह किया है। उसने बी० बी० सी० को एक भेंटवार्ता में कहा है कि भारत वहां पर होने वाली गड़बड़ के लिये जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदयः : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे तथा जल के प्रभाव को बढ़ाने के बारे में भारतीय गणतंत्र की सरकार और बंगलादेश जन-वादी गणतंत्र की सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा 14 नवम्बर, 1977 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

श्री चित्त बसु (बारसात): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं। श्री समर गुह ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए फरक्का बांध करार की पृष्ठ भूमि को ब्यौरे से बताया है।

इस करार के लिये मैं कृषि मंत्री अथवा विदेश मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराता। क्योंकि इस संबंध में हुई वार्ताओं से इनका सम्बन्ध नहीं था।

इस समझौते से कलकत्ता बन्दरगाह और पश्चिम बंगाल के हितों को बेच दिया गया है और यह सब बंगलादेश के सैनिक राज को प्रसन्न करने के लिये किया गया है। इस समझौते के बारे में किसी आर्थिक या तकनीकी पहलू पर विचार नहीं किया गया है। यह राजनीतिक विचारों के आधार पर किया गया है। वास्तव में बंगलादेश को गंगा के केवल 6,500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। बैरज के लिये 5000 क्यूसेक और शेष गंगा कबादत परियोजना के लिये परन्तु सरकार ने लीन पीरियड अप्रैल-मई में 62.5 प्रतिशत पानी दिया है जो 55,000 क्यूसेक बैठता है । इस प्रकार लगभग 37,000 क्यूसेक पानी गंगा से बहेगा। इससे कलकत्ता बन्दरगाह को कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो केवल बंगलादेश को ही लाभ होगा।

यह बात सही है कि यह समझौता तकनीकी या विशेषज्ञों की सलाह से नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में हमारे विदेश सचिव ने कहा है कि 40,000 क्यूसेक से कम जल से कलकत्ता बन्दरगाह की समस्या समाप्त नहीं होगी। यही बात पहले विशेषज्ञ कह चुके हैं। जब तक गंगा में प्रतिदिन ताजा पानी नहीं आता तब तक पानी का खारापन बढ़ता जायेगा। पहले इलाहाबाद तक जहाज चलते थे परन्तु अब गंगा के ऊपरी भागों में जहाजरानी नहीं होती। [अतः यह केवल कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने का प्रश्न नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के जीवित रहने का प्रश्न है।

फरक्का बैरज राजनीतिक कारणों से नहीं बनाया गया है। 1962 में जब इसका कार्य आरम्भ किया गया था तो उसे आर्थिक दृष्टि से किया गया था। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार बांध के बनाने से सहमत नहीं थी। यह तो 1974 में पहली बार समझौता हो पाया था। उस समय शेख मुजीब वहां की सरकार के नेता थे।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि यह अल्पकाल के लिये त्याग है। दीर्घकालीन समस्या के समाधान के लिये सरकार कैसे सोच रही है। इस करार पर हस्ताक्षर होने से पूर्व यह पता चल गया था कि बंगलादेश ने कहा है कि वह फरक्का के बारे में केवल तभी बात करेंगे कि जब भारत मेघालय में रह रहे राजनीतिक शर्णार्थियों को वापस देने का वायदा करे। उस समय यह माना गया था कि उनको वापस भेजा जायेगा। हमें आशा थी कि हमें सैनिक शासन की सहानुभूति मिलेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

कलकत्ता बन्दरगाह भारत में दूसरे नम्बर की बड़ी बन्दरगाह थी अब वह पांचवें नम्बर पर चली गई है। आगामी पांच वर्षों में यह 10वें नवम्बर पर हो जायेगी। सरकार ने यह सिद्ध करने के लिये जल्दबाजी की है कि उसकी नीति सुदृढ़ है। सरकार ने सैनिक शासन को बचाने के लिये जल्दबाजी में यह कदम उठाया है। उस समय यह शासन अपने अन्तिम दिन गिन रहा था। इस करार से सरकार ने कलकत्ता बन्दरगाह पश्चिम बंगाल राज्य और समूचे पूर्वी क्षेत्र के हितों को हानि पहुंचायी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : फरक्का सम्बन्धी समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस समस्या पर निष्पक्ष रूप से एक राष्ट्रीय मामले के रूप में विचार करना चाहिये। परन्तु हमें मालूम हुआ है कि इस मामले में संबंधित राज्यों से मश्विरा नहीं किया गया है। हम समझते हैं कि देश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। हम इस समझौते के परिणाम जानना चाहते हैं।

हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि कलकत्ता पत्तन देश की अर्थव्यवस्था तथा समूचे पूर्वी क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस पर निर्भर करता है। लेकिन क्या समझौता करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया। मेरे विचार में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कांग्रेस ने अपने 30 वर्षों के शासन में पूर्वी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया।

केन्द्रीय सरकार को पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं पर उचित ध्यान देना चाहिए और इसके शीघ्र विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें आशंका है कि इस करार के फलस्वरूप भागीरथी और हुगली नदियों की मुख्य धारा समाप्त हो जाएगी। अतः यह केवल दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि फरक्का बांध परियोजना कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने के लिए ही बनाई गई थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि फरक्का बांध परियोजना कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने और उसका सुधार करने के लिए बनाई गई है। परन्तु पश्चिम बंगाल या पूर्वी क्षेत्र के लोगों का विचार है कि इस समझौते से न तो कलकत्ता बन्दरगाह को बचाया जा सकेगा और न ही उसमें सुधार किया जा सकेगा।

हमें बताया गया है कि जब तक उद्गम क्षेत्र से हुगली नदी में अधिक जल नहीं आता तब तक कलकत्ता पत्तन को बचाया नहीं जा सकता। यह कोई राजनीतिक विचार धारा नहीं है। यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मत है। गंगा के मुख्य प्रवाह को पद्मा नदी की ओर मोड़ने का परिणाम यह होगा कि हुगली में बरास्ता भागीरथी के कम जल आएगा।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई
Dr. Sushila Nayar in the Chair]

विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी की सारे साल आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार ने भी कहा है कि सारे साल भागीरथी गंगा नदी से 40,000 क्यूसेक पानी डालने की आवश्यकता है।

अब अन्य समस्या यह है कि गंगा के पानी की रुख बदलने के लिए कई अपस्ट्रीम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस समस्या का अध्ययन करने हेतु 1956 में विशेष सेल ने गंगा बेसिन जल अध्ययन संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस संगठन को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों पर लगभग 60 स्थानों पर डिस्चार्ज ब्यौरा एकत्रित करना है।

यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न निहित नहीं है। अन्य राज्यों के प्रयोग हेतु जल प्रदान करने का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि अपस्ट्रीम सिंचाई परियोजनाओं में गंगा के पानी के अधिकांश भाग को बदला जा रहा है परन्तु अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिये अपस्ट्रीम में पानी के रूख बदलने के बारे में क्या किया जाए। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु परिणाम यह हुआ कि फरक्का बांध जिसे कलकत्ता बन्दरगाह को न्यूनतम पानी देने के लिये बनाया गया था, समझौते के अन्तर्गत अब वह पानी नहीं मिलेगा, दूसरी ओर बहुत सा पानी अन्य सिंचाई योजनाओं की ओर भेजा जा रहा है। सरकार को यह पानी या तो फरक्का से देना होगा या यह देखना होगा कि गंगा का पानी भागीरथी के मुहाने तक पहुंचे। अतः इस समझौते के बाद फरक्का से मिलने वाला पानी का प्रवाह कलकत्ता बन्दरगाह के लिए पर्याप्त नहीं है। काई निकालना नदियों पर बांध बांधना और भूमि के कटाव को रोकना आदि आवश्यक उपाय करने होंगे।

कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। यह पत्तन देश की अर्थव्यवस्था का एक भाग है। इस देश के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए कहा गया हमने बलिदान दिया अब राष्ट्र को हमारे लिए बलिदान करना होगा यही हम चाहते हैं।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : गंगा जल के बंटवारे के बारे में भारत सरकार और बंगलादेश के बीच हुए समझौते से सारे देश को निराशा हुई है। फरक्का समझौते का संबंध केवल कलकत्ता पत्तन से ही नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध देश के 60 करोड़ लोगों से है।

हुगली नदी में गाद भर जाने के परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन का ह्रास होना शुरू हुआ और इसी ह्रास के कारण पत्तन से होने वाले व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1974-75 में केवल 75 लाख टन माल का यातायात हुआ जबकि 1964-65 में 110 लाख टन माल का यातायात हुआ। इस बन्दरगाह ने केवल समूचे पूर्वी क्षेत्र की ही सेवा नहीं की है अपितु नेपाल और भूटान जैसे देशों की भी सेवा की है। 13 विशेषज्ञ समितियों ने इस बात की जांच की है कि किस प्रकार इस पत्तन का पुनर्वास किया जा सकता है।

भारत ने 1975 में 156 करोड़ की लागत से फरक्का बांध पूरा किया था। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे डिजाइनरों ने इस बड़े बांध का निर्माण किया है। इस बांध के कारण वर्ष 1976 में हमें लगभग 40,000 क्यूसेक पानी मिला है। इसके फलस्वरूप हमारे विशेषज्ञों ने यह कहा था कि बन्दरगाह से नीचे तीस मील तक नदी की सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः कलकत्ता बन्दरगाह को पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह ऐतिहासिक बांध बनाया गया था परन्तु हमें इस समझौते से क्या मिला। हमे केवल स्टोर की गई क्षमता का केवल 37.5 प्रतिशत पानी मिला जबकि बंगला देश को 62.5 प्रतिशत मिला है । यह स्मरण रहे कि हमने यह बांध बंगलादेश को पानी की सप्लाई को स्थायी या नियमित करने के लिए नही बनाया, बल्कि कलकत्ता बन्दरगाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। हमें केवल 20,000 क्यूसेक पानी मिला जबकि कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने के लिए हमें कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है।

यह दुःख की बात है कि सरकार यह कहती है कि यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि एक तकनीकी समस्या है। क्या सरकार ने इसमें किसी तकनीकी व्यक्ति की राय ली। सारी बातचीत एक नौकरशाही ने की । हमारे पास तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति है लेकिन हम उनकी सहयोग नही ले पाए और इसी कारण यह गड़बड़ हुई है ।

क्या हमने इस समस्या का विश्लेषण किया है ? भारत और बंगलादेश को कुल कितने जल की आवश्यकता है । बंगला देश के पास सिचाई के उद्देश्यों हेतु समुचित जल संसाधन है । उनके यहां पद्मा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी के अतिरिक्त उनकी अनेक सहायक नदियां भी हैं। क्या हमें इस बात की जानकारी नहीं कि विश्व बैंक ने बंगला देश की आवश्यकता 50,000 क्यूसेक जल की बताई है लेकिन हमने फिर भी उन्हें 62.5 प्रतिशत स्टोर की गई क्षमता दे दी है।

हुगली नदी में काई जमने से कलकत्ता बन्दरगाह छोटी होती जा रही है। अब यहां पर केवल 1.75 मिलियन टन की ढुलाई होती है जबकि पहले आधा विदेशी व्यापार यहां से होता था। कलकत्ता बन्दरगाह समाप्त होती जा रही है । यदि हम पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास का विस्तृत विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि शेष देश के मुकाबले पर कम होती जा रही है। चूंकि कलकत्ता बन्दरगाह छोटी हो गई है अतः पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास ठप्प हो गया है।

इंजीनियरिंग निर्यात परिषद के अनुसार उन्होंने देश के लिए 575 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने पूर्वी भारत के लिए 120 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि सभी इस्पात संयंत्र भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन तथा अनेक इंजीनियरिंग संस्थाएं पूर्वी भारत में स्थित है 1977 में पश्चिम बंगाल ने 66 प्रतिशत इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात किया। यह सब कहने का निष्कर्ष यह है कि कलकत्ता पत्तन की अकुशलता के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र का औद्योगिक विकास ठप्प हो रहा है।

मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रकार की कुर्बानी के बावजूद हमें बंगला देश से क्या मिला ? यहां तक कि ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने के लिए सहयोग की बात भी नहीं कही गई। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर प्रधान मंत्री द्वारा विचार

किया जाना चाहिए। फरक्का के बारे में एक मुश्त समझौता होना चाहिए ताकि बंगला देश सरकार ब्रह्मपुत्र का गंगा से मिलाने के लिए लिंक चैनल बनाए। एक बार ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने पर हमें पानी की कोई कमी नहीं होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि बंगला देश इस सम्पर्क को बनाने में कभी रूचि नही लेगा। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि कम से कम एक वर्ष बाद हमें इस मामले पर उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि यह सम्पर्क बनाया जा सके जिससे कलकत्ता पत्तन की कुशलता भी बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास भी होगा।

श्री कृष्ण कान्त (चण्डीगढ़) : विचाराधीन प्रस्ताव फरक्का समझौते से संबंधित है। 1762 के भूचाल से इस क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया था यदि इस क्षेत्र का भूगोल न बदला होता तो गंगा का पानी भागीरथी और हुगली में बहता रहता और कोई समस्या खड़ी न होती। इसके बाद 1947 में फिर भौगोलिक परिवर्तन हुआ जब इस क्षेत्र के दो देश बने। इस दौरान एक और ऐतिहासिक परिवर्तन भी हुआ है। हम पहले अंग्रेजों के अधीन थे और उसके बाद भारत स्वतन्त्र हुआ । विभाजन के समय रेडक्लिफ ने एक लाइन डाली ताकि फरक्का बांध भारत में आ सके और कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने के लिए एक बांध बना सके। उसके बाद यह पूर्वी पाकिस्तान बना और उसके बाद बंगला देश बना उसके बाद 1975 में श्रीमती गांधी ने शेख मुजीब के साथ समझौता किया। प्रस्तावक ने कहा है कि यह एक ऐसी बात है कि जो इस सरकार ने बंगला देश के सैनिक शासन को प्रसन्न करने के लिए की है। हमने लोकतंत्री नीति अपनाई है परन्तु सरकार को एक दूसरी सरकार के साथ व्यवहार करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

संकल्प के प्रस्तावक ने कलकत्ता पत्तन की समस्या के बारे में उल्लेख किया, है और कहा है कि वहां वर्ष भर 50,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता होती है। जब फरक्का बांध का निर्माण किया गया था तब नहर की क्षमता केवल 40,000 क्यूसेक रखी गई थी अतः इसमें अधिक जल नहीं आ सकता अंतिम रूप से परीक्षण करने के बाद गंगा बांध परियोजना 1959 में तैयार की गई तकनीकी विशेषज्ञों की राय के आधार पर योजना आयोग ने कहा कि फरक्का बांध का निर्माण एक सही कदम है। अतः सारे मामले को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यदि सारे वर्ष हम 40,000 क्यूसेक जल मिलता रहे तो हम संतुष्ट हैं।

कलकत्ता पत्तन केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं अपितु देश भर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है लेकिन अब हम बंगला देश के लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं। वहां के लोगों को भारत के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। इस समझौते से निश्चय ही हमें लाभ हुआ है। जो जल हमें पिछले इन सभी वर्षों के दौरान नहीं मिला वह अब हमें वर्ष में 8 से लेकर 10 महीने तक प्राप्त होता रहेगा। यह एक द्विपक्षीय समझौता है हमने किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था।

अतः यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमने बंगला देश को बता दिया है अगले तीन वर्षों के भीतर हमें द्विपक्षीय तौर पर योजनाएं बनानी होगी हमने नेपाल को इसमें सम्मिलित करने से इन्कार कर दिया है। हमने बंगला देश को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि ब्रह्मपुत्र-गंगा नहर के बारे में भी हमारे साथ बातचीत करें। अतः इस समझौते का अवलोकन उचित परिप्रेक्ष्य में करना होगा। अब यह जिम्मेदारी भारत सरकार पर है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समझौते की भावना का पालन कम से कम समय में किया जाए। कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। संयुक्त नदी आयोगों के माध्यम से बातचीत शुरू करने के लिए सरकार को तीन वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ताकि गंगा ब्रह्मपुत्र को जोड़ने में समझौता तीन वर्ष से पहले कम से कम समय में हो जाए गंगा बेसिन की किसी भी योजना का आकार छोटा नहीं किया जाना चाहिए अपितु हमें बंगला देश के जरिए ब्रह्मपुत्र का जल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इस मामले पर उनसे एक समझौता करना चाहिए।

अतः इस समूचे समझौते को उचित परिप्रेय में पश्चिम बंगला तथा बंगला देश के लोगों के संबंधों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में प्रधान मंत्री के लिए यह सबसे बड़ा देश भक्ति का कार्य है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जनता पार्टी ने इस विशिष्ट समस्या का दो मुख्य आधारों पर अवलोकन किया है। पहला तो यह कि बंगला देश के लोगों से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहने के साथ घनिष्टतर भी हों और दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि कलकत्ता पत्तन नष्ट न हो तथा उसका सुधार हो।

कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने के लिए वर्ष भर 40,000 क्यूसेक जल रहना बहुत आवश्यक है। विशेषज्ञों ने एकमत से यह सिफारिश की है कि कलकत्ता पत्तन को नष्ट होने से बचाने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल का होना बहुत जरूरी है, यहां तक कि तत्कालीन विदेश सचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में भी कहा था कि कलकत्ता पत्तन को जीवित रखने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल उसे वर्ष भर मिलता ही रहना चाहिए। यह राष्ट्र हित में है और कलकत्ता पत्तन के हित में है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फरक्का में गाद की सफाई हेतु ऊपरी जल की उपलब्धता के लिए भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

फरक्का तथा अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल का उपयोग अच्छी तरह हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। कलकत्ता पत्तन के हित हेतु समग्र राष्ट्र के हेतु यदि सरकार के वायदों का आदर करना है तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : यह पूछा गया है कि किस के हित में यह फरक्का समझौता किया गया है। श्री मुजीबुर्रहमान की मृत्यु के पश्चात् बंगला देश और हमारे देश के बीच संबंध खराब हो गए। बंगला देश में प्रतिक्रियावादी तत्व बहुत सक्रिय है। धमकी दी गई है कि, 70,000 लोग फरक्का बांध की ओर प्रयाण कर रहे हैं। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी जिससे यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाता। क्या हम संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के संबंध में एक कटु अनुभव को भूल गए हैं। क्या हम उस दुखद अनुभव की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने इस फरक्का समझौते द्वारा एक ही बार में इस कटु रवैये को धोकर रख दिया। इस व्यवस्था की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

40,000 क्यूसेक जल होना चाहिए अथवा 50,000 क्यूसेक इस बारे में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की राय का हवाला दिया गया है। बहुत सारे विशेषज्ञ एक बात पर कभी सहमत नहीं होते। मान सिंह रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता पत्तन के लिए 24,000 क्यूसेक जल ही पर्याप्त है। कई उलझने वाली रिपोर्ट हैं। हम किस पर विश्वास करें। केवल व्यवहारिक और प्रशासनिक दृष्टि कोण पर ही विश्वास किया जा सकता है।

जनता सरकार कलकत्ता पत्तन को नष्ट नहीं होने देगी, लेकिन यह बात याद रखनी होगी कि कलकत्ता पत्तन भी कभी गहरे जल वाली पत्तन नहीं हो सकती। एक अद्यतम विकास द्वारा कलकत्ता द्वारा किए जाने वाले व्यापार का ढांचा ही बदल गया है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन व्यापार का ढांचा बिल्कुल भिन्न हो गया है। अब यह व्यापार छोटे जहाजों के द्वारा नहीं किया जाता अपितु ऐसे जहाजों के द्वारा किया जाता है जो 35,000; 50,000 60,000 अथवा एक लाख टन तक भार

उठा सकते हैं। इसके लिए हमें गहरे समुद्री पत्तनों की आवश्यकता है। कलकत्ता पत्तन की समस्या गाद भरने की है। 20,000 अथवा 25,000 क्यूसेक जल तो इसी में चला जाता है। सरकार ने कलकत्ता और हल्दिया पत्तन से गाद निकालने के लिए पहले से ही एक योजना बना रखी है।

कहा गया है कि समझौता राजनीतिक था। आखिर हमारी विदेश नीति क्या है। क्या विदेश नीति दूसरों को वस्तुएं उपहार में देने की है। हमारी विदेश नीति अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए गुट निरपेक्षता की है। हम अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकते और हमारे प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं किया है। हमने उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भी नहीं दिया है। हमने केवल सदभावना का आदान प्रदान किया है। हमें आर्थिक लाभ हुआ है और उन्हें भी आर्थिक लाभ हुआ है। साथ ही हमारे संबंध भी घनिष्ट हुए हैं। यही इस समझौते की उपलब्धियां है।

गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ जोड़ने का भी उल्लेख किया है। नहर द्वारा यह सम्पर्क बनाने की बात कही गई है यद्यपि समझौते में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसमें निहित माना गया है। सद्भावना से हमारे प्रधान मंत्री कुछ अरसे में ऐसा कराने में समर्थ होंगे।

श्री समर गुह ने कहा कि लोगों को कलकत्ते में नमकीन जल पीना पड़ रहा है। इस समझौते के द्वारा जब अधिक जल पत्तन पर आएगा तो निश्चय ही पानी में नमक की मात्रा कम हो जाएगी और कलकत्ता के लोगों को अच्छा जल पीने के लिए मिलेगा।

कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा का कार्य एक लम्बा कार्य है। सरकार गहराई में मिट्टी निकालने का कार्य अपने हाथ में लेगा, ताकि पत्तन को चढ़ाने उतारने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सके।

हमने एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय कड़े रवैये को नरम किया है दूसरी ओर अपने राष्ट्रीय हितों की आहूती नहीं दी है। यह समझौता लेने देने की भावना से किया गया है। फ़रक्का समझौता एक उपलब्धि है। मैं इस समझौते का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : समस्या यह है कि हमने एक भव्य समझौता किया है जिसके अन्तर्गत हम फ़रक्का से केवल 40,000 क्यूसेक जल से बहुत कम जल लेंगे। सभी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल तो बहुत जरूरी है।

इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि इन्दिरा गांधी की सरकार तो 11,000 से लेकर 16,000 क्यूसेक जल लेने पर समझौता करने को राजी हो गई थी और इस सरकार ने बंगला देश की सरकार को उस अवधि के लिए जबकि पानी की कमी होती है 20,000 से 21,000 क्यूसेक जल देने पर राजी करा लिया है। लेकिन यह बात आसानी से भुला दी गई है कि समझौता केवल एक वर्ष के लिए किया गया है और वर्ष 1976 में किसी भी समझौते के अभाव में 35,000 से लेकर 40,000 क्यूसेक तक जल लिया।

प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सदस्यों को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि बातचीत द्वारा केवल जल प्राप्त करने का मसला हल नहीं हुआ है। अपितु इससे हमारे निकटतम पड़ौसी देश से संबंध भी सुधरे हैं। वास्तव में सरकार ने कलकत्ता पत्तन के हित को एक पलड़े में रखा है और दूसरे पलड़े में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देकर यह निर्णय लिया गया है।

बंगला देश की तथाकथित आवश्यकता के सामने अपने देश की आवश्यकता की बलि क्यों दी जानी चाहिए। बंगला देश को कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है इस पर जल विज्ञान विशेषज्ञों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों ने विचार किया है। यह तो सब जानते हैं कि बंगला देश में पानी का आधिक्य है। इस पृष्ठभूमि में यह समझना कठिन है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर ही क्यों किए जाएं यदि जल की मात्रा इतनी नहीं है जिससे दोनों देशों की आवश्यकताएं पूरी हों सकें तो हम क्यों बड़ा भाग दूसरे देश को दें और कम जल प्राप्त करें। इससे संदेह नहीं कि यह समझौता करते समय कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा की बात को ध्यान में नहीं रखा गया और अनावश्यक ही बंगला देश की बात मानकर उपलब्ध जल का अधिक भाग उन्हें देना स्वीकार कर लिया है।

कहा जा रहा है कि बंगला देश ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जो कि बंगला देश में बनाई जाने वाली एक नहर द्वारा गंगा नदी तक ले जाया जाएगा, देने पर राजी हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कलकत्ता की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन तथ्य यह है कि अब तक बंगला देश मामले पर चर्चा करने से भी इंकार करता है। यदि वह चर्चा करते भी हैं तो वित्त का प्रश्न है। अगर वह मान भी जाए तो भी बंगला देश इतनी बड़ी परियोजना पर पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I have listened to the speeches of some of my friends. Some of them called this agreement a sell-out while others have said that interests of our country have been sacrificed. It is said that Calcutta Port will suffer due to shortage of water and that there will be difficulty. The Government never claimed that there will be no difficulty. Even if there will be some difficulty, the right thing has been done in the interest of the country.

This is a national problem and should not be looked at from party angle. We have to consider this matter rising above consideration of party politics.

The present agreement has been signed keeping in view a broad perspective. It shows that India wants to have friendly relations with her neighbours and is trying to sort out one by one problems with the neighbouring countries. During a short span of 9 months the new Government has dispelled all doubts about its foreign policy in foreign countries. Our relations with a number of countries are improving. This agreement has to be viewed in this perspective.

No party can be said to have won in the agreements of this kind. Such agreements are arrived at in a spirit of give and take. If it is viewed in this light this agreement is in national interest.

The problem has been continuing for years together. Perhaps in our history there are only a few problems which have been solved bilaterally with our neighbours without the assistance of any third party. This is one such problem which has been solved through mutual negotiations and the Government deserves congratulations for that. India wants to solve all problems with her neighbours through mutual negotiations bilaterally. This agreement will convince Bangladesh that India wants friendship with her. If there are any difficulties experienced in the working of the agreement these could be considered at the time of review and could be tackled through talks.

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : समझौते के पक्ष में दिये गये भाषणों को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत सरकार ने वर्तमान बंगलादेश सरकार के राजनीतिक ब्लैक मेल के सामने हथियार डाल दिए हैं। फरक्का परियोजना के समूचे प्रश्न पर सरकार ने आर्थिक और सामाजिक बातों की तुलना में पड़ोसी देश से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की बात को अधिक महत्व दिया है।

सरकार बदलने से तथ्यों में तबदीली नही आ सकती। बंगला देश सरकार द्वारा शिकायत किये जाने पर जब इसे मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीति समिति में चर्चा की गई तब श्री जगत मेहता ने कुछ तथ्यों का हवाला दिया था और यह तथ्य सरकार के बदलने से बदल नहीं गए हैं।

इस समझौते की तुलना कुछ सदस्यों ने उस समझौते से की है कि जो भूतपूर्व सरकार ने किया था। वह समझौता अप्रैल, के 10 दिनों और मई के 30 दिनों के लिए किया गया था। वह समझौता तो पूरे वर्ष के लिए भी नहीं था। वर्तमान समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार को केवल दो महीने ही कम पानी नहीं मिलेगा अपितु वर्ष में पांच महीने कम जल मिलेगा।

वर्तमान समझौते से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है। निश्चय ही पड़ौसी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने का विचार प्रशंसनीय है और हमें पड़ौसी देशों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिएं लेकिन राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी देकर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कलकत्ता पत्तन नष्ट हो रहा है। यह समझ नहीं आता है कि सरकार ने कम पानी वाले 5 महीनों के दौरान समझौते के अन्तर्गत इतना कम जल लेने की बात कैसे मान ली। भारत का भाग अप्रैल के महीने में 40,000 क्यूसेक से घटाकर 25,000 क्यूसेक मई के महीने में 26,750 क्यूसेक कर दिया गया है। बंगलादेश को जनवरी के शुरू के 10 दिनों में 58,500 क्यूसेक जल मिलेगा और कमी के पांच महीनों में भी उसे कभी भी 34,000 क्यूसेक जल से कम नहीं मिलेगा। अत: बंगलादेश को उसके हक से बहुत ज्यादा दिया गया है। इस समझौते के द्वारा राष्ट्र के हितों की बलि दे दी गई है। भारत और बंगलादेश के बीच किए गए इस फरक्का समझौते का निरनुमोदन करता हूं।

श्री ए० बाला पजनौरं (पांडीचेरी) : हर्ष और विषाद की मिश्रित भावनाओं के साथ हमें इस समझौते का विरोध करना चाहिये। यह हर्ष का विषय है कि हमने बंगलादेश के साथ समझौता किया है क्योंकि सद्भावना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही इस समझौते से कलकत्ता पत्तन को जो कठिनाई होगी उससे हमें विषाद है।

हमें इस बात की खुशी है कि जनता पार्टी के सदस्य ने यह कहा है कि यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के बाद तीन वर्ष के लिए किया गया है और फिर हमें बंगलादेश के साथ बातचीत करनी होगी और फरक्का के लिए कोई समाधान निकालना होगा।

मैं मद्रास की कुबुल नदी के बारे में जानता हूं। राज्य सरकार उस नदी में से गाद नहीं निकाल सकी यदि कुबुल जैसी छोटी सी नदी के बारे में ऐसी स्थिति है तो फरक्का में गंगा के पानी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हम नदी में से गाद नहीं निकाल सकते तो यह समस्या बनी रहेगी और इसे हल करना बहुत कठिन होगा।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस सारे मामले पर पुनर्विचार करे। इस समझौते में ऐसी कोई पावन बात नहीं है कि उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

ब्रह्मपुत्र नदी के जल को गंगा नदी में मिलाने की हम बात कर सकते हैं ताकि कलकत्ता पत्तन को बचाया जा सके। इसके लिए चाहे जितना खर्च करना पड़े सरकार को इस संबंध में विश्वास दिलाना चाहिए कि कलकत्ता की जनता को इस गाद से बचाया जायेगा।

कुछ सदस्यों से मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें लोगों के अधिकार समाप्त नहीं करने चाहिये। हमें इन मामलों में बहुत सावधान रहना होगा। ऐसे मामलों को हल करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। हमें इन समस्याओं को बड़ी शांति से और सोचविचार कर हल करना चाहिये तथा संबंधित जनता के हितों और राष्ट्र की प्रगति को ध्यान में रखना चाहिये।

भूतपूर्व सरकार सभी मामलों को स्वीकार कर लेती थी क्योंकि उसका यहां बहुत अधिक बहुमत था। वर्तमान सरकार का दिल बहुत उदार है और खुले मन से काम करती है। अतः सरकार को इस मामले पर पुर्नविचार करना चाहिये और सम्भव हो तो बंगलादेश में संसद सदस्यों का एक शिष्ट मंडल भेजना चाहिये ताकि इस मामले पर वे बेहतर समझौता कर सकें।

हम यदि कलकत्ता पत्तन को बन्द कर दें तो इससे न केवल पश्चिम बंगाल की ही अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त होगी बल्कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था ही बुरी तरह से अस्तव्यवस्त हो जायेगी। अतः जनता सरकार को इस समूचे मामले पर पुनः विचार करना चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : The Government deserves to be congratulated for solving this problem which is hanging fire for a long time. This agreement is a proof of the success of our foreign policy. It is heartening to note that today we have the largest number of friendly countries in the world.

It is strange that the Congress members are today opposing this agreement under which India will get 16,000 to 21,000 cusecs of water while under the previous agreements, the provision was made only for 11000 to 16000 cusecs. Therefore, this agreement is far better than the previous one. As regards its adverse effect on Calcutta port, it will be limited only for a period of 15 days. It can be solved through dredging.

It is said that this agreement will have an adverse effect on our import and export trade. But there is Haldia port which will serve this purpose. Even big ships could come in this port. Therefore, there is no cause for worry on this account. However, keeping in view the interests of Calcutta port, it is necessary for the Government to prepare a scheme to get maximum amount of water from Kosi or Brahmputra rivers for releasing it into Ganga so that there is sufficient water available for Calcutta port.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : मालूम होता है कि सरकार ने फ़रक्का बांध के महत्व को अच्छी तरह समझा नहीं है। कलकत्ता पत्तन के विकास और सुरक्षा के लिए और पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए फ़रक्का बांध 156 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार किया गया था।

बातचीत से पता चलता है कि सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र और राष्ट्र की कीमत पर बंगलादेश को प्रसन्न करना चाहती है यदि भारत को कलकत्ता पत्तन के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल नहीं मिला तो बहुत अधिक कठिनाई खड़ी हो जायेगी। जहां तक हल्दिया पत्तन का संबंध है हुगली नदी लगभग मुखी है। हावड़ा में गंगा, हुगली और आसपास के क्षेत्र की नदियों की गाद निकाली गयी है लेकिन गाद निकालने का काम ठीक नहीं चल रहा है।

सभापति महोदय आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र अपने आयात तथा निर्यात के लिए कलकत्ता पत्तन पर निर्भर करता है। यदि यह पत्तन शुष्क हो जाता है तो उसका प्रभाव देश के सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी राष्ट्र पर भी पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उसे इस करार के बारे में पुनः विचार करके इसके बारे में पुनरीक्षित करार करना चाहिये। प्रस्तुत करार के अन्तर्गत हमने 80 प्रतिशत से भी अधिक पानी बंगलादेश को दे दिया है। इस मामले में बंगाल सरकार के साथ किसी प्रकार का विचार विमर्ष भी नहीं किया गया। अतः यह राष्ट्रीय हित में ही है कि इस करार पर पुनः विचार किया जाये।

श्री वयालार रवि (चिरायिंकिल) : श्रीमान जी, क्या यह सच है कि यह करार करते समय वर्तमान या भूतपूर्व सरकार ने किसी के साथ भी विचार विमर्श नहीं किया गया?

The Minister for External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : I am thankful to the Member who have participated in the discussion. We can welcome the criticism but if it is alleged that this agreement has been entered into after secrificing the interests of the country, it is highly improper. This sort of eriticism cannot create a healthy atmosphare for a proper discussion.

Regarding this dispute. I may submit that it was hanging in balance for the last 25 years and on many occasions it was raised on several international forums also. It was also the view of common wealth countries that this matter should be mutually solved by both the countries without the intervention of any third party. Now when we have done so, we are being congratulated not only by America and Socialist Countries but also by Arab Countries.

The main point at stake was not how much water should be given to Bangla Desh and how much should be given to India. The development of a country is connected with water. The Ganges is our most popular and sacred river but the same river flows in Bangladesh in the name of Padma river. We will have to welcome the sentiment of others also. The previous Government demanded a minimum of 40,000 cusecs in United Nations. When the issue was in international forum, such a statement was necessary. We must hear in mind that in all there is 55000 cusecs of water. Bangladesh has submitted its requirement and the needs water for keeping the bishes alive. We could not ignore the requirement of Bangladesh all together because as and when an aggrement is agreed upon, there is definitely some give and take.

Our former Government had entered into an agreement in 975 which was to be reviewed after a year. So it was actually an obligation of former Government, which we had to carry out.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Speaker in the Chair]

So as I have submitted the agreement has been arrived at with due goodwill. There was no option with us but to increase the quantity of water being given to Bangladesh otherwise the problem could not have been solved. Moreover both the countries have agreed that they will make earnest efforts for finding out a long term solution of the problem. It has also been agreed that the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission, established in, 1972, shall carry out investigations and study of the schemes relating to the augmentation of the dry season. This Commission will submit its recommendations to both the Governments within a period of three years. It has been further provided in the agreement that it will be reviewed at the enquiry of three years.

Sir, we cannot make any river links without the consent of Bangladesh but I am surprised that when this agreement was arrived at in 1975, there was 'Deepawali' in whole of Calcutta to welcome the same. Several papers such as 'Patriot' and 'National Herald' wrote editorials in praise of agreement. But why the fears of Calcutta port were not raised at that time by anybody. My only submission is that the agreements entered into with foreign countrie's should not be judged merely from this angle that which Government made the agreement, but the agreements should be examined on one and same yardstick and that should be the yardstick of national interest only.

We will give special attention to Calcutta port and long term efforts will be made to increase the water in that port. If our friends such as Chetti Babu and other give some constructive suggestion for the improvement of Calcutta port we will definately welcome the same. We shall also give all possible financial aid for the improvement of this port.

Actually Farakka Barrage was constructed for Calcutta port but it is a well-known fact that even after the construction of this barrage, Calcutta port cannot accommodate big ships. So our immediate effort will be to take necessary steps for the improvement of Calcutta port. The President of Bangladesh is to visit India shortly, so we will be taking up the proposal to have a long term scheme for improvement of Calcutta port. But I may repeat once again that for any mutual benefit, mutual trust is a must and we cannot achieve anything if we doubt the integrity of each other.

With these words, I will request my friend Shri Chitti Babu not to press his amendment., My Congress friends are keen to press for the same and want to disapprove it in the first instance, but I hope good sense will prevail upon them and they will not press for it.

Shri Samar Guha (Contai): I have been inspired to speak in Hindi after the speech of Shri Vajpayee. It is correct that it is not proper for any matured country to violate the agreement entered by one Government. Technically Bangladesh is a foreign country I simply stated that whatever has been stated by Shri Vajpayee, has been stated from political point of view.

यह कहना खतरे से खाली नहीं है कि अधिकतम सीमा "40,000 क्यूसेक की है क्योंकि इस वक्तव्य से दूसरा पक्ष अनुचित लाभ उठा सकता है यह अधिकतम सीमा न होकर न्यूनतम सीमा थी। जहाजों के चलने की सम्भावना के बारे में मूल्यांकन कुछ गणनाओं के आधार पहले ही करना होता है। अब वह आधार ही बिगड़ गया है और परिणामतः अब उसे बदलना पड़ेगा। इस पर खर्च भी अधिक होगा। इसके अतिरिक्त, जल की 40,000 क्यूसेक की निकासी के आधार पर कलकत्ता पत्तन में सम्पूर्ण नदी नियंत्रण योजना शुरू कर दी गई है। इससे एक जहाज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की सम्भावना बन जायेगी। इस पर 25 करोड़ रुपए की राशि तत्काल खर्च करनी पड़ेगी।

जहां तक खारेपन का संबंध है, न्यूनतम पानी वाला महीना होने के कारण, खारापन की मात्रा बढ़ेगी। हाल्दिया में पीने का पानी गोआखाली से लिया जा सकता है। अब यह उपरिधार से होगा। इसका मतलब है कि इस पर 15 से 20 करोड़ रुपए का और खर्च होगा। इस प्रकार एक महीने के अन्दर ही 50 करोड़ रुपये की राशि देनी होगी।

मौलाना भाषानी के नेतृत्व में 50,000 लोगों के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। वह प्रदर्शन बिल्कुल विफल रहा है। उस प्रदर्शन के पीछे समर्थन बिल्कुल नहीं था। जहां तक इस विवाद को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने की बात है, इस बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं है। अनेक विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था जिन्होंने आदर्श प्रयोग किये हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि हुगली नदी को बहता हुआ बनाये रखने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता है।

दूसरी समस्या खारेपन की है। सतही जल के प्रयोग से भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई है। पाकिस्तानी क्षेत्र में ऐसा हजारों एकड़ों में हो गया है। सतही जल और भूमि जल के उपयोग में उचित सन्तुलन होना चाहिये। कृषि मंत्री को खारेपन की समस्या के अध्ययन के लिए एक समिति तुरन्त नियुक्त करनी चाहिये जो यह पता लगाये कि क्या ऐसा भूमिजल का उपयोग न किये जाने के कारण हो रहा है।

वर्ष 1975-76 में चुनावों के समय, पहली सरकार ने इस मात्रा को आधा-आधा अचानक कर दिया था ताकि बंगला देश द्वारा अधिक शोरगुल न मचाया जाए। परिणाम यह हुआ कि 36,000—40,000 से घटकर यह 27,000—32,000 क्यूसेक हो गई और इसका परिणाम भयंकर हुआ। धारा लगभग 200 फुट हट गई और गाद पुनः जमना शुरू हो गया। यदि सचमुच ऐसा है, तो जो स्थिति पांच वर्ष बाद होगी, उस पर चिन्ता होना स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष दो स्थानापन्न प्रस्ताव हैं। श्री चित्त बसु, आपका अपने प्रस्ताव के बारे में क्या विचार है ?

श्री चित्त बसु : विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया है कि कलकत्ता पत्तन के हितों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जो प्रश्न वाद-विवाद के दौरान उठाये गये हैं, उन्हें बंगलादेश के प्रेजीडेंट के साथ भारत में बातचीत करते समय उठाया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा के मामले में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

कुछ सदस्य : हां।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

The motion was by leave withdrawn

Shri Sangata Ray (Barrackpur) : Mr. Speaker Sir, it is correct that I am not as much senior to this House as Shri Vajpayee is, and he has given a good demonstration of his oratory but mine speeches and assurances cannot protect the interests of Calcutta port. But since this is an international agreement with another country, so we will not press for its disapproval because of doing so we will be weakening the Government of India. I, therefore, withdraw my substitute motion.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

कुछ सदस्य : जी हां।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

The motion was by leave withdrawn

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1977/25 अग्रहायण 1899 (शक) के 11 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, December 16, 1977/Agrahayana 25, 1899 (Saka).

MGIPRRND—29 LSS/77—III—D—2-3-78—200.